जल संसाधन विभाग

civil कंडिका

लोक लेखा समिति- प्रकाशन संख्या 372

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या - 363

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (रा० प्रा० एवं सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

उपस्थापन की तिथि ..../

लोक लेखा समिति- प्रकाशन संख्या - 372

सत्यमेव जयते

विहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या - 363

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (रा० प्रा० एवं सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

उपस्थापन की तिथि ..../

विषय - सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	लोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002	4-5
2.	महालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय एवं बिहार विधान-सभा सचिवालय	6-6
3.	प्रतिवेदन तैयार करने में सराहनीय योगदान करने वाले सहयोगी	
4.	प्राक्कथन	7-8
4.	प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ	9-120
7.	परिशिष्ट	121-136

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वर्ष- 2001-2002 ।

सभापति

1.	श्री रामदेव वर्मा,	स० वि० स०

सदस्यगण

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स० वि० स०
3.	श्री रामचन्द्र राय,	स० वि० स०
4.	श्री यदुवंश कुमार यादव,	स० वि० स०
5.	श्री शोभाकान्त मंडल,	स० वि० स०
6.	श्री गिरिधारी यादव,	स० वि० स०
7.	श्री मुनीलाल यादव,	स० वि० स०
8.	श्री प्रेम कुमार,	स० वि० स०
9.	श्री राम नारायण मंडल,	स० वि० स०
10.	श्री प्रभू दयाल सिंह,	स० वि० स०
11.	श्री हरि नारायण सिंह,	स० वि० स०
12.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,	स० वि० स०
13.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स० वि० स०
14.	श्री चण्डी प्रसाद,	स० वि० स०
15.	श्री बालदेव महतो,	स० वि० स०
16.	प्रो० नवल किशोर यादव,	स० वि० स०
17.	श्री वालेश्वर सिंह भारती,	स० वि० स०
18.	डा० मु० शमीम,	स० वि० स०

लोक लेखा समिति की उपसमिति (2) के सदस्यगण :-

सभापति

1.	श्री रामदेव वर्मा,	स० वि० स०

संयोजक

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स० वि० स०

सदस्यगण

3.	श्री रामचन्द्र राय,	स० वि० स०
4.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स० वि० स०
5.	श्री मुनी लाल यादव,	स० वि० स०
6.	डा० मो० शमीम,	स० वि० स०

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ० कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, रांची ।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, बिहार एवं झारखंड, पटना
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना ।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षक, पटना ।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री एम० एन० प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री एस० के० केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे० पी० पाल, सचिव ।
2. श्री ब्रज किशोर सिंह प्रभात ।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव ।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव ।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी ।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी ।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी ।
8. श्री शिवपुजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी ।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक ।

आदेश से विहित) निर्गत करना (समितियों) खतियानियों की तैयारी सहित कृपकों द्वारा अपने सत्यापन के लिए मांग की प्रति पर्चा भेजना पूर्व लिखित प्राप्तियों और वास्तविक संग्रहण तैयार करना आदि एक समय सारिणी निर्धारित की गई है जिससे सिंचाई की तिथि से खरीफ फसलों के लिए आपूरित जल का भुगतान 99 दिनों के अंदर और रब्बी फसलों के लिए 68 दिनों के अंदर किया जा सके।

(!) राँची, राजस्व, प्रमंडल, में विभिन्न ओपचारिकताओं जैसे सूदकरों जैसे सूदकरों खसरों से समितियों आदि को तैयार करना, हिताधिकारियों से वसूलनीय दरों को निर्धारण करने के लिए आवश्यक है, परन्तु 263821 एकड़ खरीफ 261894 एकड़ और रब्बी 1927 एकड़ 1987-88 में सिंचित भूमि का तैयार नहीं किया गयाथा। इस असफलता के कारण 50.06 लाख रुपये की मांग नहीं की गर्ठ क्रमशः अगस्त 1983 में अधिसूचित 19.00 रुपये और 15.00 रुपये खरीफ और रब्बी के लिए निर्धारित प्रति एकड़ पर गणना करने से ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस असफलता की ओर ध्यान दिलाने पर मार्च 1989 प्रमंडल के प्रभारी उपसमाहर्ता ने कहा (मार्च 1989) कि कर्मचारियों की कमी से निर्धारण कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका । मामले में आगे के परिणाम की सूचना प्राप्त नही हुई "दिसम्बर 1989" ।

(11) उसी प्रकार राजस्व प्रमंडल, औरंगाबाद में विभिन्न औपचारिकताओं को जैसे सिंचित क्षेत्रा की मापी, खतियौनी कार्य आदि को पूर्ण नहीं करने के कारण 1987-88 और उसके पूर्व के वर्षो में सिंचित 108820 एकड़ भूमि " खरीफ 101896 एकड़ औररब्बी 7922 एकड़ "हिताधिकारियों से वसूलीय जल दरों की मांग नहीं की गई। इस असफलता के कारण 38.32 लाख रुपये की मांग नही की गई" अगस्त 1983 से अधिसूचित खरीफ और रब्बी के लिए क्रमशः 36.20 रुपये और 20.70 रुपये प्रति एकड़ की दर से गणना करने पर "

इस चूक का लेखा परीक्षा में "दिसम्बर 1988" में ध्यान दिलाने पर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों के अभाव के चलते कार्य नही हो सका। आगे का प्रतिवेदन प्राप्त नही हुआ है "दिसम्बर 89" का ।

इस अगस्त 1989 में इस मामले की सूचना सरकार को दी गई थी, उनका उत्तर नही आया है "दिसम्बर 1989" ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभाग के वसूलीय जलकर का निर्धारण समय पर करें, जिससे कर निर्धारित होकर वसूल किया जा सके । उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) वर्ष 1989 की

कंडिका संख्या-7.8 जलकरों के निर्धारण और मांग प्रस्तुत करने में विलम्ब- बिहार हर सिंचाई नियम 1971 का नियम 36(1) में यह शर्त निहित है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी राजस्व में अधिसूचनानिर्गत कर सिंचाई के लिए आपूर्ति जलकर देयकरों का निर्धरिण किया जायेगा और राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के 45 दिनों के बाद ऐसे दर प्रभारी होंगे ।

लेखा परीक्षा के दौरान (5 जून, 1988) में यह देखा गया कि गंगा पम्प नहर परियोजना, चौसा "भोजपुर जिला" ने 1983-84 के खरीफ मौसम में सिंचाई के लिए जलापूर्ति करना आरम्भ किया, परन्तु लेखा परीक्षा की तिथि तक "जून, 1988" जल दर निर्ध्णरण करने के लिए अधिसूचना नहीं निर्गत किया गया था। तदनुसार विभाग द्वारा 1983-84 और 1987-88 में सिंचित खरीफ की 4146 एकड़ और रब्बी की 1865 एकड़ भूमि के लिए जल-शुल्क नही लगाया जा सका। विभाग के पास 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान सिंचित भूमि का ब्यौरा उपलब्ध नही था । खरीफ और रब्बी के लिए संबंधित क्रमशः 36.20 रुपये और 20.70 रुपये प्रति एकड़ जो सरकार द्वारा ऐसे मामलों में

निश्चित और अधिसूचित थे "अगस्त 1983" देय जल दर जिसकी मांग खरीफ और रब्बी मौसम 1983-84 और 1987-88 में ही केवल 1.89 लाख रुपये की थी नहीं की गई थी ।

उपरोक्त मामले की सूचना विभाग को अगस्त 1988 में और सरकार ने अगस्त 1989 में दी थी उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है "दिसम्बर-1989" ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिंफारिश :

विभाग देय जल कर की वसूली की दिशा में कारगर कार्रवाई करें। उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल)
जल संसाधन विभाग
राजस्व बकाया:

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-1.15

कंडिका- 1.15- वर्ष 1988-89 के अन्त तक जल दरों की बकाया राशि 34.88 करोड़ रूपये थी जिसमें 0.09 तथा 0.08 करोड़ रूपये क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी थी तथा 1.17 करोड़ रुपये भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूली के लिए प्रमाणित था ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशः

समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि भविष्य में इस तरह की चूक न हो।

समिति इसे अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-1.16

सरकार द्वारा बिहार राज्य निर्माण निगम प्रा० लि० में वर्ष 1988-89 तक

4.90 करोड़ रूपये की निवेश किया गया । वर्ष के दौरान घोषित लाभांश/प्राप्त ब्याज की राशि जिसें सरकारी हिसाब में जमा किया गया, की कोई सूचना सरकार द्वारा नही दी गयी ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1988-89 की कंडिका-1.16 के संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य निर्माण निगम लि0 के लिए वर्ष 1988-89 में कोई नया निवेश नही किया गया है । जहाँ तक लाभांश का प्रश्न है, इसे शून्य समझा जा सकता है क्योंकि निगम द्वारा उक्त वर्ष के लाभांश की घोषणा नही की गई है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.2.2

कंडिका-2.2.2- अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध होना ।

अनुदान संख्या 40 वृहत एवं मध्यम सिंचाई सिंचित विकास और बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत 114.04 करोड़ रूपये (वित्तीय 114.89 करोड़ रूपये तथा प्रभारित 0.14 करोड़ रूपये के अन्तर्गत व्यय को देखते हुए मार्च 89 में दिया तथा 84.43 करोड़ रूपये की अनुपूरक प्रावधान (वित्तीय 84.89 करोड़ रूपये एवं प्रभारित 09.14 करोड़ रूपये अभी तक सिद्ध हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

अनुपूरक आगणन तैयार करते समय योजना के खर्च के लिए जब प्रस्ताव आता है, तब छोटी से छोटी योजना को ध्यान में रखकर ही आवंटन दिया जाता है। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग 40 उपशीर्षो के अन्तर्गत आवंटन दिया जाता है । अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के जनवरी महीने में प्रायः

दिया जाता है, तब तक सभी उपशीर्षो का लेखा समेकित रूप से तेयार नही हो पाता है जिन योजनाओं में निधि की आवश्यकता होती है, उन्हीं से संबंधित लद्युशीर्ष/उपशीर्षो के अन्तर्गत अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव तैयार किया जाता है ।इस कारण वित्तीय वर्प की समाप्ति पर ही पता चल पाता है कि समेकित रूप से अनुपूरक धन व्यवस्था आवश्यक अथवा अनावश्यक सिद्ध हुई । भविष्य में विभाग इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि अनुपूरक धन व्यवस्था, वित्तीय नियम के निदेश के अनुपालन में तैयार किया जाय एवं अनुपूरक माँगों की और भी वास्तविक बनाया जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.2.4

कंडिका-2.2.4अनुदान संख्या-40 में कुल अनुदान 011.80 करोड़ रूपयों में 398.81 करोड़ रूपये ही खर्च हुए । विगत तर्क करोड़ से अधिक (114.89 करोड़ रूपये) एवं कुल अनुदान का 22.42 प्राधिकृत था । जब तक की मुख्य कारण वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय में क्या तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में क्या था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

अनुपूरक आगणन तैयार करते समय योजना के खर्च के लिए जब प्रस्ताव आता है, तब छोटी से छोटी योजना को ध्यान में रखकर ही आवंटन दिया जाता है। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग 40 उपशीर्षो के अन्तर्गत आवंटन दिया जाता है । अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के जनवरी महीने में प्रायः दिया जाता है । तब तक सभी उपशीर्षो का लेखा समेकित रूप से तैयार नही हो पाता है । जिन योजनाओं में निधि की आवश्यकता होती है, उन्हीं से संबंधित लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव तैयार कर वित्त

विभाग की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है । इस कारण वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर ही समेकित रूप से पता चल पाता है कि कुल व्यय घटकर कुल धन व्यवस्था का 10 प्रतिशत से अधिक हो गया । भविष्य में विभाग इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि अनुपूरक धन व्यवस्था वित्तीय नियम के निदेश के अनुपालन में तैयार किया जाए एवं अनुपूरक मांगों को और भी वास्तविक बनाया जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.2.6

कंडिका-2.2.6

क्र0	अनुदान सख्या और लेखा का शीर्ष	धन व्यवस्था (लाख रू0 में)	अभ्युक्ति
1	क क 1(3)(2) सुवर्णरखा जल आपूर्ति योजना गेतालसूद परियोजना 1,52.00		

विभागीय स्पष्टीकरण

अनुपूरक आगणन तैयार करते समय योजना के खर्च के लिए अब प्रस्ताव आता है तब छोटी-से-छोटी योजना को ध्यान में रखकर ही आवंटन दिया जाता है । सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग 40 उपशीर्षो के अन्तर्गत आवंटन दिया जाता है । अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के जनवरी महीने में प्राय: दिया जाता है । जिन योजनाओं में निधि की आवश्यकता होती है उन्ही से संबंधित लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । इस कारण वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर ही पता चल पाता है कि समेकित रूप से अनुपूरक धन व्यवस्था

आवश्यक अथवा अनावश्यक सिद्ध हुई । भविष्य में विभाग इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि अनुपूरक धन व्यवस्था, वित्तीय नियम के निदेश के अनुपालन में तैयार किया जाय एवं अनुपूरक मांगों को और भी वास्तविक बनाया जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.2.10

कंडिका-2.2.10 बचतों का अभ्यार्पण

अनुदान संख्या-40 में 1.00 करोड़ रूपये से अधिक का अभ्यर्पण (119.82 करोड़ रूपये) जो कि अभ्यर्पण के लिए उपलब्ध बचतों (114.70 करोड़ रूपये) से बहुत अधिक (4.82 करोड़ रूपये) था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

अनुपूरक आगणन तैयार करते समय, योजना के खर्च के लिए जब प्रस्ताव आता है, तब छोटी से छोटी योजना को ध्यान में रखकर ही आवंटन दिया जाता है। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग 40 उपशीर्षो के अन्तर्गत आवंटन दिया जाता है । अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के जनवरी महीने में प्राय: दिया जाता हे, तब तक सभी उपशीर्षो का लेखा समेकित रूप से तैयार नही हो पाता है जिन योजनाओं में नियिध की आवश्यकता होती है उन्ही से संबंधित लघुशीर्ष/उपशीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव तैयार किया जाता है । इस कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही पता चल पाता है कि समेकित रूप से अनुपूरक धन व्यवस्था आवश्यक अथव अनावश्यक सिद्ध हुई । भविष्य में विभाग इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि अनुपूरक धन व्यवस्था, वित्तीय नियम के निदेश के अनुपालन में तैयार किया जाय एवं अनुपूरक मांगों को और भी वास्तविक बनाया जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग वचत का समय•पर अभ्यार्पण करे । समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.3

कंडिका-2.3 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

1988-89 के दौरान संस्वीकृत आकस्मिक निधि से अग्रिम द्वारा किया गया व्यय लोन जो वर्ष के अन्त तक निधि को सामंजन द्वारा वापस नही किया गया ।

अनुदान/विनियोग सं0 एवं नाम	लेखों का शीर्ष	व्यय की राशि (लाख रू0 में)
40-वृहत् एवं मध्यम सिंचाई सिंचित कमांड क्षेत्र का विगत और बाढ़ नियंत्रण	4701-वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	599.21
	4711-बाढ़ पर पूंजीगत परिव्यय	400.00
	कुल योग -	999.21

विभागीय स्पष्टीकरण

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल ऐसे मामलों में लिया जाता है, जिसके लिए बजट में उपबंध नहीं रहता है । सामान्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत करते समय वित्त विभाग द्वारा अग्रिम की प्रतिपूर्त्ति के लिए विधान मंडल में बोट लेने के उद्देश्य से अनुपूरक आगणन सूची उसी समय प्रशासी विभाग से प्राप्त कर ली जाती है । अत: लोक लेखा समिति के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किये जाने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा अपेक्षित है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.4

कंडिका-2.4 नई सेवा

भारत कं संविधान में अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत "नई सेवा" पर व्यय जिसे उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण और सेवा के नये यंत्र पर विचार नही किया गया था, विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है । 1988-89 के दौरान अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत 4 मामलों में 5682.99 लाख रूपये (10100.73 लाख)एक मुश्त धन व्यवस्था, 9818.73 लाख रूपये मूल एवं 890.80 लाख अनुपूरक में से) लिये गये किन्तु न तो योजनाओं/निर्माण कार्यो का नाम कार्ड में प्रकाशित की गयी थी और न ही ऐसे मामलों का जानकारी विधान मंडल को अक्टूबर 1991 तक दिया गया था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

विभाग का आय-व्यय लेखा तैयार किये जाने केक्रम में परियोजनाओं के उप शीर्ष में किये गये उपबंधित राशि का सही आकलन नही हो पाने के फलस्वरूप उप उप शीर्ष में किया गया व्यय उपबंधित राशि से अधिक हो गया । परियोजनाओं के उप शीर्ष के अन्तर्गत किये गये प्रावधान से अधिक व्यय नई सेवा के अन्तर्गत परिभाषित होना चाहिये था एवं इसकी सूची विधान मंडल को अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करानी चाहिये थी, परन्तु विभाग के प्रक्रियात्मक मूल/त्रुटि के कारण ऐसा नही हो पाया । विभाग इसकी पुनरावृत्ति नही हो इसका उपाय सुनिश्चित कर लिया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ना नही चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.7

कंडिका- 2.7वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अन्तिम अनुदानों/विनियोगों, वास्तविक और परिणामों परिवर्त्तनों को उप शीर्षवार दर्शाते हुए विस्तृत लेने नियंत्रण पदाधिकारी के प्रति विशिष्ट परिवर्त्तनों को स्पष्ट करने के लिए भेजे जाते है । जल संसाधन विभाग में 68 उपशीर्षो के सभी मामलों में बचत एवं आवश्यक के कारणों को सूचित नहीं किया गया ।

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वजट तैयार करने का अब योजना के खर्च के लिए प्रस्ताव आता है, तब छोटी से छोटी योजनाओं को देखने के बाद आवंटन संसूचित किया जाता है । सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग चाली उपर्शीर्ष के अन्तर्गत बहुत से कार्यपालक अभियंताओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों को कार्य संपादन हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है। यही कारण है कि स्पष्टीकरण समय पर नही भेजा जा सका । विभाग अब कार्यो का मोनिटरिंग सुचारू रूप से कर रहा है । अतः भविष्य में इसकी पुनारावृत्ति न हो, इसके लिए विभाग सचेत है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इसे अब आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.8

कंडिका-2.8जल संसाधन विभाग के 169 विनियोग ईकाईयों के ऑकड़ों को महालेखाकार कार्यालय के ऑकड़ों से मिलान नहीं करने के कारण 33.76 करोड़ रूपये असमायोजित रह गये ।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्ष 1988-89 में सिंचाई विभाग के विभिन्न सभी शीर्षो के अन्तर्गत कुल 511.50 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध कुल वास्तविक व्यय 396.80 करोड़ रूपया हुआ है ।

कुल 33.76 करोड़ रूपये का विभागीय आँकड़ों का लेखा कार्यालय के आँकड़ों से समाधान नहीं हो पाया जो कुल व्यय का 8.5 प्रतिशत होता है । भविष्य में व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि किये गये पूरे व्यय के आँकड़ों का लेखा कार्यालय के आँकड़ो से समाधान समयानुसार कराया जा सके । इस संदर्भ में विभागीय द्वारा सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया जा चुका है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-2.5.6

कंडिका-2.5.6(क)अनुदान संख्या-45 में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं/योजनाओं के लिए योजनागत सीमा में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप 9 करोड़ रूपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हुई है । इसकी पूर्ति आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर की गई । बाढ़ नुनाविनयोग द्वारा अन्य मदों की बचत का एक तिहाई राशि का उपयोग योजनागत सीमा में बढ़ोत्तरी के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया होता तो आकस्मिकता निधि से लिया गया अग्रिम की राशि के साथ ही साथ अनुपूरक अनुदान की राशि को भी एक हद तक सिमित ग्खा जा सकता था । लेकिन ऐसा नही किया गया ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि भविष्य में इस तरह की चूक न हो। समिति इसे अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-3.21.9.1

कंडिका- 3.21.9.1

सुवर्णरेखा बांध गेतालसुद (राँची) के उप्लव मार्ग और मृदा बांध के निर्माण 600 लाख रूपये के लिए 1965-66 में एक संवेदक को सौपा गया था । 1971-72 के कार्य की पूर्णता के बाद अतिरिक्त मदों के लिए दावा के विवादकों मध्यस्थ का अग्रसारित किया गया था, फलत: संवेदक द्वारा रखे गये 61.19 लाख रूपये के सफल दावे के विरूद्ध 0.11 लाख रूपये का अर्थदंड (अगस्त 1974) अधिनिर्णय से संतोष नही होने पर संवेदक ने मध्यस्थ्यता अधिनियम 1940 की धारा 20 के अन्तर्गत नये मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अवर न्यायाधीश राँची में याचिका दायर की जिसको यद्यपि न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जिस पर उसमें उच्चे न्यायालय (1977) में एक अपील दायर किया । उच्च न्यायालय (मई 1984) के आदेश के अनुसरण में निम्न न्यायालय ने एक दूसार मध्यस्थ (अक्टूबर 1986) नियुक्त किया, जिसने संवेदक के पक्ष में 14.35 लाख रूपये अधिनिर्णय किया (जुलाई 1987) ।अधिनिर्णय की राशि भारी होने के कारण 9 अगस्त 1987 को, आपति याचिका को न्यायालय में दायर करने का काम जी.पी. को नही सौपने का विभाग ने निर्णय लिया, हांलांकि इस निर्णय के कार्यरूप में आने से पहले ही जी.पी. ने अपने अनुसार ही अवर न्यायालय राँची के न्यायालय में 1ली सितम्बर 1987 का एक समझौता याचिका दायर किया । जी.पी. की कार्यवाही बिहार कार्यवाही एवं प्रक्रिया के अनुकूल थी जिसमें जैसे कि निर्धारित था कि मुकदमा के किसी चरण पर यदि आयुक्त/कार्यालय विभाग के प्रमुख के मत में कि मामले में समझौता किया जा सकता था वह जी.पी. से परामर्श करने के बाद अपनी सम्पति के साथ एल.

आर. के आदेशों के लिए मामले का प्रतिवेदित करेगा । उसी समय बाद पत्र और जी.पी. के अभिमत को एक प्रति के साथ अग्रसारित करेगा ।

समझौता याचिका का दृष्टि में 14.35 लाख रूपये का अर्थदंड 24 सितम्बर 1987 को न्यायालय का कानून बन गया था । उच्च न्यायालय द्वारा पंचाट निम्न अदालत के सामने दोनों पक्षों के संयुक्त प्रार्थना के आधार पर न्यायालय का कानून बनाया जा चुका था । विभाग के अपील की खारिज (जुलाई 1988) कर दिया । सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के विशेष अवकाश के लिए याचिका (जनवरी 1989) प्रतिबंधित समय के बाद की मार्च 1989 में खारिज कर दिया गया था ।

जी.पी. के शुरूआती कार्यवाही निम्न न्यायालय कमें एक समझौता याचिका दायर करने का और उच्च न्यायालय के आधार पर अनुवर्ती अस्वीकृति आँर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने में विलम्ब की वजह से विपक्ष में फैसला राज्यं को 14.35 लाख रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. गेतालसूद बांध के निर्माण सन् 1971-72 में पूर्ण हुआ था । निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् संवेदक मेसस ' चनचनी बद्रर्स द्वारा अतिरिक्त मदों के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत किया गया । विवाचक ने संवेदक पर 0.11 लाख रूपये का अर्थ दंड निर्धारित किया । तत्पश्चात् अधिनिर्णय से संतोष नहीं होने पर संवेदक ने मध्यस्थता अधिनियम 1940 की धारा 20 के अन्तर्गत नये मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अवर न्यायाधीश राँची में याचिका दायर की जिसकी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । संवेदक ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की । उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निम्न न्यायालय ने एक दूसरा विवाचक नियुक्त किया ।

2. दिनांक 20.7.87 को माननीय विवाचक श्री जी.पी.साही, सेवा निवृत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग ने एवार्ड घोषित किया । एवार्ड की कुल राशि लगभग 14.35 लाख रूपये थी ।

उक्त एवार्ड निर्णय के विरूद्ध 31.8.87 तक प्रतिरोध अपील दायर करना था जिसे विभाग के अनुरोध पर 18.9.87 बढ़ाया गया । उच्च न्यायालय द्वारा 19.9.87 को ही एक पक्षीय निर्णय दे दिया गया ।

3. उच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, राँची बेंच में 22.12.87 को मिसलेनियस अप्रील दायर किया गया । दिनांक 11.7.88 को उच्च न्यायालय राँची बेंच द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया ।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में एस.एल.पी. दायर किया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दावा पक्षों के सहमति के आधार पर दिया गया है अत: उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

(1) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि संवेदक द्वारा कुल 150 लाख रू0 दावें के विरूद्ध 14.35 लाख रूपये का एवार्ड विवाचक द्वारा दिया गया है जो कुल दावे को 9.67 प्रतिशत है ।

(2) सरकारी वकील, राँची द्वारा उपरोक्त आशय की जानकारी तत्कालीन मुख्य अभियंता, राँची को दिया गया ।

(3) इस मामले में अपील दायर करने में मुख्य अभियंता एं उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कही भी विलम्ब नही किया गया है ।

(4) कंडिका में वर्णित यह तथ्य के सरकारी वकील द्वारा समझौता याचिका दायर करने एवं उच्च न्यायालय में अपील दायर करने में विलम्ब के कारण राज्य को 14.35 लाख रूपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(5) मेसर्स चनचनी ब्रदर्स द्वारा 31.3.89 को एवार्ड की राशि प्राप्त कर ली गयी है ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त कंडिका को विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-3.21.9.2

कंडिका-3.21.9.2 पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अन्तर्गत 15.10 किलोमीटर पर खाण्डा नदी में अतिरिक्त संरचनाओं के निर्माण का कार्य एक संवेदक (जनवरी 1982) को उसके निविदित लागत 88.77 लाख रूपये पर प्रदान किया गया था । कार्य जून 1983 में 80.34 लाख रूपये की लागत पर पूर्ण हुआ था । अंतिम भुगतान प्राप्त करने के बाद संवेदक ने मुख्यत: मजदूरी और सामग्री की लागतों में वृद्धि करों में बढ़ोत्तरी इत्यादि जो कि विभाग द्वारा अनुबंध के अतिमीकरण में विलम्ब के कारण हुई है कारण 21.15 लाख रूपये (फरवरी 1985) का एक अतिरिक्त दावा अतिमत किया । जब अनुबंध की धारा 23 के तहत (फरवरी 1985) में मध्यस्थ को अग्रसारित किया गया, अधीक्षण अभियंता पूर्वी कोशी नहर अंचल, वीरपुर ने अपनी मध्यस्थ क्षमता में संवेदक पक्ष में 5.79 लाख रूपये का एक अर्थदंड घोषित किया (जून 1986) जिसकी सितम्बर 1988 में भुगतान किया गया था । अभिलेखो की छानबीन दर्शित करता था कि कार्यो के लिए निविदाओं को सितम्बर 1980 में आमंत्रित किया गया। मुख्य अभियंता द्वारा सरकार के प्रति अनुमोदन के लिए फरवरी 1981 में भेजा

गया था दिसम्बर 1981 में सूचित किया गया था और अनुबद्ध जनवरी 1992 में अंतिम रूप दिया गया था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्ष 1980 के अनुसूचित दर पर आमंत्रित निविदा के अन्तर्गत संवेदक को जनवरी 1982 में 88.77 लाख रूपये के एकरारनामा के अंतर्गत कार्य दिया गया था ।

संवेदक द्वारा कार्य जून 1983 में कुल 80:34 लाख के लागत पर पूरा कर दिया, जो एकरारनामा की राशि से भी कम था।

दो वर्षो 1980 से 1982 के अंतर्गत मजदूरी दरों एवं करों में वृद्धि के आलोक में एकरारनामा के प्रावधान (धारा 23) के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता द्वारा संवेदक के 21.15 लाख के दावे के विरूद्ध 5.79 लाख का ही एवार्ड दिया ।

उपर्युक्त राशि के उपरान्त भी इस संरचना के निर्माण में एकरारित राशि 88.77 लाख के अन्तर्गत ही संरचना के निर्माण में कुल (180.34+5.79)86.13 लाख का भुगतान हुआ है इसपर परिहार्य भुगतान एकरारनामा के प्रावधान के अन्तर्गत हुआ है,. परन्तु इसमें सरकार को वित्तीय हानी नही है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-3.2.1.9.5

कंडिका-3.21.9.5 निर्माण व्यय

मुख्य अभियंता, सिंचाई, दरभंगा ने राज बिराज से हनुमानगर और पश्चिमी कोशी मुख्य नहर (नेपाल का हिस्सा) के बीच 15.10 किलोमीटर

पर खांडों नदी पर दक्षिणी तट जैकेटिंग तटबंध का निर्माण कार्य निम्नतम निविदाकर्त्ता को दिया (जुलाई 1980) और अक्टूबर 1980 में 27.37 लाख रू0 (अनुमानित लागत 21.51 लाख रू0) का प्रसंविदा उससे किया गया। निर्माण कार्य 3 महीने में पूरा किया जाना था । अक्टूबर 1980 से जनवरी 1981 के दौरान स्थल पर 3.11 लाख सी.एफ.टी. पत्थर के टुकड़े (8.52 लाख रू0 सुरक्षित अग्रिम दिया गया) आपूर्ति करने के बाद, ठेकेदार ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि विभाग द्वारा निर्माण कार्य का संरेखन को अंतिम रूप देने में विलंब हो रहा था । ठेकेदार ने विभाग द्वारा सेरेखन को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 5.00 लाख रू0 का दावा किया (अप्रैल 1982) । फिर, उसने संरेखन कार्य को अंतिम रूप देने के बाद अगस्त 1982 में कार्य प्रारंभ किया । दिसम्बर 1982 में 30.84 लाख रू0 की लागत पर निमार्ण कार्य पूरा करने के बाद ठेकेदार ने संरेखन को अंतिम रूप देने में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए विभाग पर 22.29 लाख रू0 का नया दावा किया (दिसम्बर 1982)। अतिरिक्त दावे के संचय में विवाद करार के खंड 23 के अंतर्गत फैसले के लिए अधीक्षण अभियंता के पास भेज दिया गया जिससे 4.39 लाख रू0 का अधिनिर्णय दिया (अप्रैल 1986) जो ठेकेदार को दिसम्बर 1986 में दिया गया ।

इस प्रकार विभाग द्वारा संरेखन का अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण सरकार को 4.39 लाख रूपए का परिहार्य व्यय करना पड़ा ।

विभागीय स्पष्टीकरण

मुख्य अभियंता, दरभंगा के क्षेत्राधीन नेपाल भाग में राज विराज से हनुमाननगर और पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के बीच (नेपाल का हिस्सा) 15. 10 कि0मी0 पर खांडों नदी पर दक्षिणी तट का जंकटिंग तटबंध का निर्माण

कार्य हेतु केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत मार्ग रेखन के आधार पर स्वीकृत नक्शा संख्या-800-के-101 के आधार पर निविदा निकाली गई और न्यूनतम निविदा दाता से एकरारनामा किया गया (9 एफ 2 वर्ष 80-81) । नेपाल सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत मार्ग रेखन में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके तहत् केन्द्रीय जल आयोग के श्री रामाराव, श्री गुणानन्द ठाकुर निदेशक, नेपाल सरकार एवं अधीक्षण अभियंता, वीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से कार्य स्थल पर निरीक्षण के पश्चात् नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तावित मार्ग रेखन की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रदान की गयी । तदनुसार संशोधित मार्ग रेखन के आधार पर रूपांकण से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया । संशोधित मार्ग रेखन से संबंधित नक्शा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नक्शा संख्या-800 के 137 स्वीकृत कर 31.7.82 को अधीक्षण अभियंता, वीरपुर को प्राप्त कराया गया एवं संशोधित मार्ग रेखन के अनुसार भू-अर्जन की कार्रवाई शुरू की गई ।

अधीक्षण अभियंता, वीरपुर का पत्रांक 847 दिनांक 15.5.82 द्वारा मुख्य अभियंता को सूचित किया गया कि पूर्व में इस कार्य के लिए किये गये एकरारनामा को बन्द कर पुनः एकरारनामा करके कार्य कराने मं अयधिक व्यय की संभावना है । अतः पूर्व में एकरारनामा संख्या- 9 एफ-2 वर्ष 80-81 द्वारा करारित संवेदक से ही संशोधित स्वीकृत मार्ग रेखन के अनुसार स्वीकृत नक्शा के अनुरूप कार्य कराना विभाग के हित में है ।

वर्ष 80-81 के बाद मजदूरी के दर में वृद्धि एवं पेट्रोलियम पदार्थो के दर में वृद्धि के कारण संशोधित स्वीकृत मार्ग रेखन के अनुसार निर्माण कार्य पर और अधिक व्यय होता ।

अतएव संवेदक के दावे के संबंध में विवाद करार के खण्ड-23 के अन्तर्गत फँसले कं लिए अधीक्षण अभियंता के पास यह मामला उपस्थापित किया

गया और अधीक्षण अभियंता द्वारा 4.39 लाख का निर्णय दिया गया जो नियमतः उचित है और विभाग को इससे वित्तीय लाभ भी हुआ ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति विभाग से अपेक्षा रखती है कि भविष्य में इस तरह की चूक न हो । समिति इसे अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-3.2.1.9.6

कंडिका-3.21.9.6

सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, चांडिल में आर.डी. 7 से 8 पर सुवर्णरेखा मुख्य नहर का निर्माण कार्य तीन ठेकेदारों के बीच बराबर वितरित किया गया जिन्होंने एक ही तरह की निम्नतम निविदा दर प्रस्तुत की थी और निर्माण कार्य उन्हीं शर्तो के अनुसार तीन विभिन्न प्रसविदों के अन्तर्गत उनके बीच आवंटित किया गया।

7.333 आर.डी. से 7.667 आर.डी. पर निर्माण कार्य का भाग 14. 14 लाख रूपए के करार मूल्य पर 6 महीने के भीतर पूरा करने के लिए ठेकेदार "ख" को आवंटित किया गया । (अप्रील 1983) । ठेकेदार में निमार्ण कार्य के समापन (अक्टूबर 1983) की अनुमानित अवधि के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया और उसके अपने ही कथन के अनुसार निर्माण कार्य पूर्णरूपेण नवम्बर 1984 से आरम्भ किया गया । फिर भी विभाग ने ठेकेदार के विरूद्ध प्रसविदा के खण्ड 2 और 3 के अन्तर्गत कोई दण्ड स्थल कार्यवाही नहीं की बल्कि समय सीमा उदारतापूर्वक बढ़ाया गया जबकि वित्तीय रूप में निर्माण कार्य का 90 प्रतिशत तक ही जून 1984 तक कार्यान्वित किया गया ।

मई 1984 में निर्माण कार्य की मात्रा और मूल्य का अनुमान किए बिना ही अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट उधार क्षेत्र के पार से मिट्टी ढाने के मद पर दावा सम्मिलित था जिसे फरवरी 1985 में कार्यपालक अभियंता द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि विर्निदिष्ट पट्टा के अन्तर्गत पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी और इस तरह की लम्बी दूरी से मिट्टी ढोंने का लिखित आदेश नहीं था और यह कि उसके अन्य दावे करार की शर्त्तो के अन्तर्गत नहीं आते है । ठेकेदार के अन्य कृति आदेश के विरूद्ध विरोध प्रकट किया और 10. 76 लाख रूपए का दूसरा दावा प्रस्तुत किया (अप्रील 1986) जिसे विभिन्न स्तरों पर पुन: परीक्षण किए जाने पर अन्तत: मुख्य अभियंता ने उन्ही कारणों से अस्वीकृत कर दिया (दिसम्बर 1985) जिन कारणों के तहत पहले से कार्यपालक अभियंता द्वारा अस्वीकृत किया गया था । ठेकेदार के महने पर मुख्य अभियंता ने मामले को अधीक्षण अभियंता, नहर अचंल, घाटशिला के पास फैसला करने के लिए भेज दिया (मार्च 1986) । ठेकेदार ने पुन: जनवरी 1985 से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का दावा करते हुए 12.76 लाख रूपए का नया दावा न्यायकर्ता के पास प्रस्तुत किया (अप्रील 1986) जिसे कार्यपालक अभियंता द्वारा विरोध किया गया (सितम्बर 1986) । न्यायकर्ता ने 3.50 लाख रू0 (12 प्रतिशत व्याज के साथ) का अधिनिर्णय ठेकेदार के पक्ष में दिया (अप्रील 1987) ।

विभाग ने इस अधिनिर्णय के खिलाफ न्यायालय में कोई आपत्ति दायर नही किया और जुलाई 1987 में 4.16 लाख रूपए ठेकेदार को दिया जिसमें 0. 51 लाख रूपए ब्याज का था । विभाग न्यायकर्ता के समक्ष ठेकेदार के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत नही कर सका क्योंकि उसमें प्रभविदा के खण्ड 2 एवं 3 के अन्तर्गत समय पर कार्य पूरा नहीं करने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदण्ड लगाने के निर्णय सूचित करते हुए कोई सूचना उसे जारी नही की थी ।

विभागीय स्पष्टीकरण

संबंधित संवेदक "ख" का समय सीमा बढ़ाये जाने का मुख्य कारण यह था कि निविदा दस्तावेज एवं एकरारनामें के पृष्ठ संख्या-11 के कंडिका 9 में कार्य पूरा करने के लिए आठ माह का समय सीमा पहले से निर्धारित था । मूल से एकरारनामा करते समय मुख्य पृष्ठ पर छः महीना टंकित हो गया । इसे तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से कार्य की महत्ता को देखते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय वृद्धि दिया गया ।

विनिर्दिष्ट बोरो एरिया के पार से मिट्टी ढोने के 10.76 लाख के दावे को कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता द्वारा अमान्य किया गया था । बाद में संवेदक के द्वारा विवाचन हेतु अनुरोध करने पर मुख्य अभियंता द्वारा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता श्री टी. एन. राय को विवाचक नियुक्त किया गया । संवेदक द्वारा ब्याज सहित 12.76 लाख का नया दावा प्रस्तुत किया गया जिसका संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा विरोध किया गया परन्तु विवाचक द्वारा संवेदक को 3.50 लाख (12 प्रतिशत ब्याज के साथ) का अबार्ड घोषित किया गया ।

मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स द्वारा इस अधिनिर्णय के विरूद्ध न्यायलय में आपत्ति इसलिये दायर नहीं किया गया क्योंकि सरकारी वकील द्वारा कानूनी सलाह दिया गया था कि उच्च न्यायालय में जाने से कोई फायदा न होगा । सरकारी वकील द्वारा यह भी शंका जाहिर किया गया कि उच्च न्यायालय में संवेदक 10.76 लाख रू० के दावे को जीवित करेगा। उसके दावे को मंजूर कर लिये जाने की सम्भावना रहेगी ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-3.21.9.7

कंडिका-3.21.9.7

जल निकास और अन्वेषण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में 18.74 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर ग्राम जफना में बाढ़ रोधी स्लूइस के निर्माण कार्य मार्च 1977 तक पूरा कर देने के लिए निमनतम निविदाकर्ता को सौपा (अप्रील 1976)। निर्माण कार्य जुलाई 1978 सम्पन्न में हुआ । ठेकेदार ने कुल 21.67 लाख रूपए के पिछले सभी दावों का भुगतान प्राप्त कर लिया (नवम्बर 1977), वह भी बिना किसी प्रतिरोध के और की गई मद भी उसने स्वीकार कर लिया ।

मुख्य अभियंता, सिंचाई, मुजफ्फरपुर ने मई 1982 में ठेकेदार द्वारा किए गए 10.60 लाख रूपए के दावे को अधीक्षण अभियंता, जल निकास और अन्वेषण अंचल, मुजफ्फरपुर के पास प्रसंविदा खंड 23 के अन्तर्गत फैसले के लिए अग्रसारित कर दिया । इस पर न्यायकर्ता ने कार्यपालक अभियंता, के पास मामला भेज दिया जिसने दावे को अयोग्य होने के कारण अस्वीकृत कर दिया (जून 1982) । न्यायकर्ता ने निर्माण कार्य के समापन की तिथि से अर्थात जुलाई 1978 से भुगतान की तिथि तक 8 प्रतिशत की दर से व्याज के साथ 1.56 लाख रूपए का पंचाट ठेकेदार के पक्ष में निर्णय दिया (अगस्त 1986) ।

अधोलिखित बात भी देखने में आयी :-

(i) न्यायकर्ता द्वारा पंचाट के भुगतान की मुख्य अभियंता द्वारा 27 मार्च 1987 की अनुमोदित किया गया और इसके दूसरे ही दिन (28 मार्च 1987) उसने प्रमंडलीय अधिकारी को एक दूसरा सूचना भेजी (कारण अभिलेख में नही है) कि पंचाट में संकलित ब्याज का भुगतान रोक दिया जाय । लेकिन उस समय तक प्रमंडल में सूचना प्राप्त हो चुकी थी और 2.65 लाख रूपए (जुलाई 1978 से 27 मार्च 1987 तक ब्याज के रूप में 1.09 लाख रूपए सहित ठेकेदार का पंचाट के पूर्ण निष्पादन के सिलसिले में दिया जा चुका था ।

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृतव वैसे लोगों के हाथों में हस्तगत् हुआ जो आजादी के दरम्यान निःस्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुये थे। आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था। देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाही की दखल अंदाजी बढ़ती गई। साथ-ही-साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उन पर अकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा और वह क्रमशः नौकरशाहों के हाथों में हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमित्ताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढांचे को अपनाने के साथ-साथ इस ढांचे की नजबूती प्रदान करने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वयन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौपी है। यह भी विदित है कि लोक लेखा समिति ''जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक' बताया गया है इसी रोशनी में बिहार विधान-सभा की लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है। यह प्रतिवेदन दिनांक 6.3.2002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मत से पारित किया।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाई जिसके कारण समिति आठ बैठकों में वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक 15 वर्षो के कंडिकाओं का निष्पादन करने में सफल हुई। अन्य विभागों

के लिए जल संसाधन विभाग की तत्परता अनुकरणीय है। समिति पर माननीय अध्यक्ष विहार विधान-सभा की विशेष कृपा रही है इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता था। इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टंककों, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियन्ताओं, कर्मचारियों एवं महालेखाकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं । इसके लिए विशेषकर सिंचाई विभाग के विशेष सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग एवं महालेखाकार के पदाधिकारीगण भी धन्यवाद के पात्र है। अन्त में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

रामदेव वर्मा
6.3.2002.

पटना :-
तिथि 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा
सभापति
लोक लेखा समिति
बिहार विधान-सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

जलकर विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) वर्ष - 1988-89

कंडिका सं०-1.7 असंग्रहित राजस्व- वर्ष 1988-8 के दौरान संग्रहीत राजस्व तथा वर्ष के अंत तक संग्रहण के लिए लम्बित राजस्व के बकाए (जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया) नीचे दिए जा रहे है :

राजस्व शीर्ष	संग्रहित राजस्व	संग्रहण के लिए बकाया बकाया राशि (राशि करोड़ रु० में)	मंतव्य तथा वर्षवार बकाए की स्थिति
जलकर	5.54	34.85	विभाग द्वारा कोई वर्षवार वर्गीकरण नहीं दिए गये ।

34.85 करोड़ रुपये में से 1.17 करोड़ रुपये भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली के लिए मांग पत्र मुकदमें किए गए थे। 0.09 करोड़ रुपये तथा 0.06 करोड़ रुपये की मांग क्रमशः न्यायालय और सरकार द्वारा स्थगित कर दिए गए। बचे हुए 33.53 करोड़ रुपये के लिए विभाग द्वारा कोई सचना नही दी गई थी।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश : विभाग राजस्व संग्रहण की दिशा में कारगर कार्रवाई करें। बकाया राशि की वसूली हेतु समय-समय पर समीक्षा करें उक्त निदेश के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) वर्ष 1988-89 की

कंडिका-1.11 (ख) जलकर विभाग से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्पप्ट रूप से अधिक थी :-

विभाग	प्राप्तियों का स्वरूप	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखा परीक्षा आपत्तियों की सं०	वर्ष जिसमें प्रतिवेदन संबंधित है।
सिंचाई	जलकर	311	1000	1997-98

अंतर्गत राशि इस विभाग के लिए 5.42 करोड़ रुपये है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभाग राजस्व संग्रह की दिशा में कार्रवाई करें। उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) वर्ष 1988-89 की

कंडिका-1.11 (ग) यद्यपि सरकार ने अनुदेशजारी किया है कि निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर विभागीय अधिकारियों द्वारा भेज दिया जाना चाहिए परन्तु दिसम्बर 1988 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी सितम्बर 1989 तक प्राप्त नहीं हुए थे वे निम्नलिखित है :-

विभाग	प्राप्ति का स्वरूप	निरीक्षण प्रतिवेदनों की सं० प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए	प्रतिवेदन निर्गत करने का प्रथम वर्ष
सिंचाई	जलकर	204	1978-79

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभाग निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर समय पर भेजवाने पर ध्यान दें । उक्त निदेश के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा० प्रा०) वर्ष 1988-89 की

कंडिका-7.8 जल दरों के निर्धारण में विलम्ब- बंगाल सिंचाई अधिनियम 1876 और उसके अधीन बनाये ये नियमों जो बिहार में भी लागू है में हिताधिकारियों से निर्धारित दर पर सिंचाई के लिए जलापूर्ति का जल दर वसूल करने की व्यवस्था है। जल दर निर्धारण के लिए निश्चित प्रक्रिया में विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति आवश्यक है जैसे सिंचित भूमि की सूची तैयार करना सूदकारों कृषकवार विस्तृत माप तैयार करना (खसरों) मांग विवरण बनाने के लिए आदेश (पी० के०

(ii) न्यायकर्ता ने जुलाई 1978 से (दावा मई 1982 में किया गया) ब्याज के भुगतान का अधिनिर्णय दिया । ठेकेदार के साथ विवाद के निपटारे में चार वर्षोंका समय लग गया । फिर मुख्य अभियंता ने प्रमंडल को पंचाट की रकम के भुगतान के लिए अपना अनुमोदन भेजने में 8 महीने का अलग से समय लिया ।

(iii) ठेकेदार को निर्गत की गयी आवश्यकता से अधिक विभागीय सामग्रियों की लागत के रूप में 0.75 लाख रूपये वसूली के लिए बांकी था । नियमत: 1.50 लाख रूपये दंडात्मक व्याज की दर से ठेकेदार से वसूली योग्य था । ठेकेदार को दिये गये पंचाट की रकम से सामान्य दर से वसूली भी नही की गयी थी जबकि न्यायकर्ता ने पंचाट में इसतरह की वसूली के लिए आदेश दिया था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में बाढ़ निरोधक स्लुईस का निर्माण कार्य 1978 में पूरा हुआ ।

2. संवेदक के दावे पर विवाचक द्वारा दिये गये अवार्ड के आलोक में 1.56 लाख + 1.09 लाख = 2.65 लाख रूपये का भुगतान 27.3.87 को किया गया ।

3. विभाग का 75,187 हजार रूपये की सामग्री संवेदक पर बांकी था, जिसे विवाचक ने वसूली करने के लिए कहा था । संवेदक को जमानत की राशि 73,015/- रूपये एवं अंतिम विपत्र के अनुसार संवेदक का 28,285/- रूपये अर्थात कुल 1,01,300/- रूपये संवेदक का विभाग के पास जमा है, जो वसूलनीय राशि से अधिक है ।

4. अत: विभाग को हानि नही है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-3.21.9.8

कंडिका-3.21.9.8

संविदा के खंड 2 के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन नही किये जाने की हालत में उसपर क्षतिपूर्ति लगाया जाना है । संविदा के एक या दो से अधिक शर्तो को पूरा नही किये जाने पर खंड-3 के अनुसार विभाग की संविदा रद्द करने का, जमानत जमा जब्त करने का एवं विभाग द्वारा की गयी अतिरिक्त लागत की राशि वसूल करने का अधिकार है ।

अधीक्षण अभियंता, बांध अंचल, चांडिल (सिंहभूम) ने 74.57 लाख रूपये के संविदागत लागत पर ब्लाक नं0-5 से 15 के लिए स्पिलवे डैम की नीव की खुदाई का कार्य एक ठेकेदार ''एक्स'' को जून 1981 तक निर्माण कार्य पूरा कर देने के लिए सौपा । बार-बार अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद भी ठेकेदार निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नही दिखलायी, यहां तक कि इसने जून 1982 तक निर्माण कार्य का 6 प्रतिशत मूल्य का ही कार्य किया । उसके कार्य की धीमी प्रगति पर विचार करते हुए उसके द्वारा मई 1982 तक समय बढ़ाने के प्रस्तार को ठुकरा दिया गया और उसकी उचित सूचना दिये जाने के बाद (जुलाई 1981) कार्यपालक अभियंता ने अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता से अनुमोदन प्राप्त कर संविदा के खंड 2 और 3 के तहत संविदा को विखंडित कर दिया (अगस्त 1981) । उसकी जमानत जमा के 3.24 लाख रूपया जब्त कर लिये गये और जून 1981 तक की गयी अद्यतन मापी के आधार पर भुगतान कर दिया गया (अगस्त 1981) ।

इस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर ठेकेदार ने विभाग के विरूद्ध 6.11 लाख रूपया का दावा किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमानत जमा के 3.24 लाख रूपये की वापसी भी सम्मिलित थी और उसके आग्रह पर (सितम्बर 1984) मुख्य अभियंता ने मामले को अधीक्षण अभियंता के पास फैसला के लिए भेज दिया । दिसम्बर 1985 में न्यायकर्ता ने ठेकेदार के अन्य दावों को अस्वीकृत करते हुए 3.24 लाख रूपये का पंचाट (अधिनिर्णय) दिया जो उसकी जमानत

जमा के बराबर था जो विभाग द्वारा पहले ही जब्त कर लिया गया था । यह रकम ठेकेदार को फरवरी 1986 में दिया गया । संविदा तोड़ने पर विभाग को हुई हानि की वसूल करने के लिए विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नही की गयी ।

विभागीय स्पष्टीकरण

यह कार्य चांडिल स्पीलवे के ब्लॉक सं0-5 से 15 के लिए नीव खुदाई का था, जिसका एकरारनामा सं0-एफ 2-57/80'81 था ।

2. कार्यपालक अभियंता के एफ-2'57/80-81 के एकरारनामें के अनुसार 3 (ए) से लेकर 3 (सी) में किसी एक के अनुसार कार्रवाई कर सकते है। कार्यपालक अभियंता ने क्लॉज 3 (ए) के तहत संवेदक का जमानत 3.24 लाख रूपये जब्त कर लिया । इसके बाद विवाचक ने 6.11 लाख रूपया दावे के विरूद्ध 3.24 लाख रूपया जयघोष दिया । विवाचक द्वारा दि गये अवार्ड पर सरकारी अधिवक्ता को वैधिक राय ली गयी और वैधिक राय के आलोक (संलग्न) में 3.24 लाख रूपया का भुगतान 1986 में किया गया चूंकि विवाचक द्वारा विवेचन में किसी तरह का मिसकन्डक्ट नहीं पाया गया ।

3. कार्यपालक अभियंता के द्वारा की गयी कार्रवाई 3 (ए) द्वारा तथा विवाचक के द्वारा की गयी कार्रवाई दोनों का अपना अलग-अलग अधिकार है ।

4. अत: विभाग द्वारा एकरारनामें के तहत कार्रवाई की गयी और विभाग को इसमें क्षति की बात नहीं है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-4.1

कंडिका-4.1 संथालपरगना में सिंचाई परियोजनायें

कंडिका-4.1.1 परिव्यय

संथाल परगना प्रमंडल जो दुमका, देवघर, साहेबगंज तथा गोड्डा जिलों से मिलकर बना है राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है । क्षेत्र की कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 5.83 लाख हेक्टेयर है जो कि क्षेत्र के सतही क्षेत्रफल का 41 प्रतिशत का निर्माण करता है । पूर्व योजना अवधि (1951 से पहले), सिंचाई का कोई भी निश्चित साधन नही था तथा कृषि मुख्यत: मौनसून पर आधारित थी । सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (1988-89) प्रधान, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं सिंचाई की शक्ति में क्रमानुसार योजना अवधि के दौरान 0.53 लाख हेक्टेयर उत्पन्न की गई थी । शेष में मुंख्य नदी अजॉय अपने सहयोगी नदियों के साथ बहती है ।

प्रथम से सातवी पंचवर्षीय योजनाओं(1988-89 तक) के दौरान योजना, परियोजनाओं की विस्तृत ब्यौरा नीचे अंकित है :-

योजना अवधि	प्रधान (स0 में)	मध्यम	लघु	कुल
(क) पांचवी योजना तक ली गई परियोजनायें	4	20	437	461
(ख) पांचवी योजना तक पूर्ण परियोजनायें	शून्य	17	322	339
(ग) छठी तथा सांतवीं योजना तक ली गई नई परियोजनायें	शून्य	शून्य	228	228
(घ) छठी तथा सातवीं योजना के दौरान पूर्ण परियोजनायें	शून्य	शून्य	233	233
(ड.) सातवीं योजना तक (1988-89) पूर्ण योजनाये	4	3	110	117

सात परियोजनायें जो छठी पंचवर्षीय योजना तक फैली हुइ (वृहत् 4, मध्यम 3), चौथी योजना के 3 से परियोजनायें (वृहत् 2,मध्यम 1) से तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना के चार परियोजनाओं (वृहत 2, मध्यम 2) बनी थी ।

कंडिका-4.1.2 संगठनात्मक व्यवस्था

संथाल परगना में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें जिनके अन्तर्गत 17 सिंचाई प्रमंडलों में जो कि कार्यपालक अभियंताओं द्वारा संपादित की जाती है जो 5 अधीक्षण अभियंताओं तथा 2 मुख्य अभियंताओं (देवघर और भागलपुर) के अन्तर्गत आते है । सर्वोपरि नियंत्रण जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव के साथ निहित होता है । (2. लिफ्ट सिंचाई योजना सहित)

लघु सिंचाई परियोजनायें एक अधीक्षण अभियंता तथा एक मुख्य अभियंता के अन्तर्गत 4 लघु सिंचाई प्रमंडलों द्वारा संपादित की जाती है जिसपर सर्वोपरि नियंत्रण जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग का होता है।

(1) परियोजनायें- जिसका कृषि लायक भूमि (सी.सी.ए.) 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो प्रधान परियोजना वर्गीकृत किया जाता है तथा वे जिसका सी. सी.ए. 2,000 हेक्टेयर और 10,000 हेक्टेयर के बीच ही मध्यम परियोजनाये । परियोजनायें जिसका सी.सी.ए. 2,000 हेक्टेयर के नीचे हो, लघु परियोजनायें कहलाता है ।

कंडिका-4.1.3 लेखा परीक्षा कभरेज

लेखा परीक्षा द्वारा दिसम्बर 1988 से मई 1989 तक विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का एक सामान्य समीक्षा तथा 2 मुख्य (अजाय बांध परियोजना और पुनासी जलाशय योजना एक मध्यम, सकरीगली पंप नहर योजना) तथा 2 लघु परियोजनायें (पहाड़पुर और भीमनाला की एक विस्तृत समीक्षा परिचालित की गई थी) लेखा परीक्षा के परिणाम क्रमानुसार कंडिकाओं में निर्देशित है ।

कंडिका-4.1.4 मुख्य अंश पर प्रकाश

-- संथाल परगना, एक आदिवासी बहुल योजना अधीन क्षेत्र, 20 मध्यम तथा 4 मुख्य परियोजनायें जो कि चौथा तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ली गयी थी में से केवल 17 मध्यम परियोजनायें ही पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ण हुई थी । 7 परियोजनायें जो कि छठी योजना तक फैली हुई थी में से 1 मध्यम परियोजना तथा 2 मुख्य परियोजनायें- चौथा योजना तथा शेष 2 मुख्य तथा 2 मध्यम परियोजनायें पांचवीं योजना अवधि से था । इन 7 परियोजनाओं में कोई भी सातवी योजनावधि तक पूर्ण नहीं हुई थी । सातवीं योजना तक में 665 लघु सिंचाई (लिफ्ट सिंचाई सहित) परियोजनायें ली गयी, उनमें से 555 पूर्ण हुई थी, 17 प्रतिशत का ह्रास हुआ ।

(कंडिका-4.1.1)

-- मुख्य तथा मध्यम परियोजनाओं पर क्रमबद्ध वृद्धि व्यय पांचवी, छठी तथा सातवीं योजनावधि के अंत तक क्रमशः 17.33 करोड़ रू0, 41.73 करोड़ रूपये तथा 96.05 करोड़ रूपये थे । छठी तथा सातवी पंचवर्षीय योजनाओं (मार्च 1989 तक) के दौरान 78.72 करोड़ रूपये के निवेश होते हुए भी उस अवधि के दौरान कोई भी सिंचाई शक्ति उत्पन्न नही हुई थी । उसी योजना की अवधि में अर्थात् (मार्च 1989 तक) लघु सिंचाईके संबंध में यद्यपि 16.95 करोड़ रूपये का निवेश था, सिंचाई शक्ति उत्पन्न में लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में क्रमशः 47 और 33 प्रतिशत का ह्रास हुआ । उत्पन्न शक्ति का उपयोगिता में अधिकतम ह्रास क्रमशः 94 और 95 प्रतिशत था ।

(कंडिका-4.1.5.2)

-- विभाग की सिंचित क्षेत्र के सीमा की कोई जानकारी नहीं थी जो कि छठी योजना अवधि तक 158.21 लाख रूपये के मूल्य का 317 सिंचाई योजनाओं द्वारा संपादित की गई थी ।

(कंडिका-4.1.5.7)

-- मई 1988 का 7 चल रहे मुख्य तथा मध्यम परियोजनाओं के पूर्ण होने समय का 4 से 10 सालों तक अधिक समय लगने का परिणाम लागत में 312 प्रतिशत की अधिकता थी ।

(कंडिका-4.1.6)

-- निष्पादन में बिलम्ब का मुख्य कारण बिहार राज्य निर्माण निगम द्वारा दोषपूर्ण सर्वेक्षण और अनुसंधान, संगठनात्मक त्रुटियाँ/दुविधाँ, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास में विलम्ब, भूमि-अर्जन और कार्य का दीर्घसूची निष्पादन आदि थे ।

(कंडिका-4.1.6.1 से 6)

-- अपर्याप्त नियोजन, निर्माण योजना के प्रत्येक अवस्था में मूल्याकंन तथा प्रबोधन में सिंचाई परियोजनाओं के यथासमय पूर्ण होने मे प्रतिकूल प्रभाव डाला ।

(कंडिका-4.1.6.7)

-- सिंचाई सुविधाओं की कमी से अधिकतम क्षेत्रों में बहुप्रयोजन पैदावार में रूकावट बनती थी ।

(कंडिका-4.1.7)

-- प्राधिक्य के द्वारा, अनाधिकृत, अनियमित, फर्जी परिहाय अतिरिक्त व्यय/लागत और दोषपूर्ण निष्पादन इत्यादि से अजाय बांध परियोजना (8. 68 करोड़ रूपये), पुनासी जलाशय परियोजना (0.83 करोड़ रूपए) और सकरीगली पंप नहर परियोजना (0.35 करोड़ रूपये) पूर्णयोग 9.66 करोड़ रूपये का उल्लेख किया था ।

(कंडिका-4.1.8.1 से 3)

अक्रर्मण्य कर्मचारी पर सितम्बर 1979 और मार्च 1989 के बीच 1.73 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था ।

कंडिका-4.1.5 उत्पन्न सिंचाई शक्ति और उसकी उपयोगिता

पांचवी, छठवी और सातवी पंचवर्षीय योजना (1988-89) तक उत्पन्न सिंचाई शक्ति और उपयोगिता को नीचे सूची में दर्शाया गया है :-

योजना अवधि	आधारभूत शक्ति	शक्ति हेक्टेयर लाख में)		शक्ति में ह्रास (प्रतिशतता कोष्ठक में	
		उत्पन्न	उपयोजित	उत्पन्न	उपयोजित
पाँचवी योजना तक मुख्य	1.12	शून्य	शून्य	1.12 (100)	..
मध्यम	0.47	0.33	0.24	0.14 (30)	0.09 (27)
लघु	0.16	0.10	शून्य	0.06 (38)	0.10 (100)
छठवी योजना मुख्य	1.12	शून्य	शून्य	1.12 (100)	..
मध्यम	0.47	0.33	0.24	0.14 (30)	0.09 (27)
लघु	0.30	0.16	0.01	0.14 (47)	0.15 (94)
सातवीं योजना के 1988-89 तक मुख्य	1.12	शून्य	शून्य	1.12 (100)	
मध्यम	0.47	0.33	0.24	0.14 (30)	0.09 (27)
लघु	0.30	0.20	0.01	0.10 (33)	0.19 (95)

कंडिका-4.1.5.1

1.59 लाख हेक्टेयर के आधारभूत सिंचाई शक्ति के विरूद्ध मुख्य और मध्यम परियोजनाओं के अन्तर्गत सातवीं योजनावधि तक (1988-89) शक्ति का उत्पादन केवल 0.33 लाख हेक्टेयर था (ह्रास 79.2 प्रतिशत) उसी प्रकार से लघु परियोजनाओं के संबंध में 0.30 लाख हेक्टेयर की आधारभूत शक्ति के विरूद्ध 0.20 लाख शक्ति उत्पन्न हुई, ह्रास 33.3 प्रतिशत था ।

कंडिका- 4.1.5.2

पांचवी, छठवी तथा सातवीं योजना (1988-89) अवधि के अन्त तक मुख्य, मध्यम तथा लघु परियोजनाओं पर व्यय क्रमशः 17.33 करोड़ रूपये, 41. 73 करोड़ रूपये तथा 96.05 करोड़ रूपये था । छठी तथा सातवी पंचवर्षीय योजना (1988-89 तक) 78.72 करोड़ रूपये का अतिरिक्त निवेश के बावजूद भी उस अवधि तक कोई सिंचाई शक्ति उत्पन्न नही की गयी थी । उसी अवधि के दौरान लघु परियोजनाओं (1988-89 के अन्त तक व्यय 16.95 करोड़ रूपये) के संबंध में शक्ति उत्पन्न में ह्रास क्रमशः 47 तथा 33 प्रतिशत तथा और शक्ति की उपयोगिता में ह्रास क्रमशः 94 तथा 95 प्रतिशत था ।

कंडिका-4.1.5.3

तटबंध के क्षतिग्रस्त होने के कारण निकास नालों के अवरूद्ध होने के कारण तथा मैदानी में नाले के निर्माण नहीं करवाने के कारण 45.04 हेक्टेयर को सिंचाई क्षमता वाले परियोजनाओं (राजाहर, जमनी टोला, सिमरिया तथा सुखानियाँ जो 1956-1977 के बीच पूर्व हुआ है । 1985-88 के बीच कोई सिंचाई कार्य नही हुआ लेकिन उनके अनुरक्षण पर 10.44 लाख रूपये व्यय किये गये ।

कंडिका-4.1.5.4

सिंचाई शक्ति उत्पन्न का अनुकूलतम उपयोगिता जलमार्ग के निर्माण, आवर्ती सिंचाई को लागू करना और फसल को नई प्रणाली का अभिग्रहण पर

निर्भर रहता है । तथापि यह देखा गया था कि पांचवी योजना के अन्त तक पूर्ण किसी भी 17 मध्यम परियोजनाओं में जलमार्ग का निर्माण नही हुआं, आवर्ती सिंचाई से परिचय नहीं हुआ तथा वैज्ञानिक फसल प्रणाली का अभिग्रहण नही हुआ ।

कंडिका- 4.1.5.5

संथाल परगना के जनजातीय क्षेत्रों में 1975-76 से 1986-87 के दौरान 0.25 लाख हेक्टेयर के सिंचाई शक्ति के सृजन के लिए 260 लिफ्ट सिंचाई योजनायें (अनुमानित लागत 1060.64 लाख रूपये) ली गयी थी, जिनमें से 181 योजनायें (अनुमानित लागत 693.68 लाख रूपये) 886.44 लाख रूपये के लागत पर उत्पन्न सिंचाई शक्ति के केवल 0.13 लाख हेक्टेयर ही दिसम्बर 1988 तक पूर्ण की गयी थी । शेष 79 योजनाओं (अनुमानित लागत 366.96 लाख रूपये) पर यद्यपि 398.84 लाख रूपये दिसम्बर 1988 के अन्त तक खर्च किये गये जो अपूर्ण की अलाभदायक रह गया ।

181 पूर्ण योजनाओं में से, दिसम्बर 1988 तक बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ विद्युत् संयोग शुल्क नहीं जमा के कारण 7 योजनायें (लागत 28.70 लाख रूपये) अक्रियाशील ही रह गयी थी, जबकि 51 योजनायें (275.78 लाख रूपये के लागत पर पूर्ण) क्रियाशील नही थे, यद्यपि अपेक्षित क्रियाशीलन शूल्क 38.97 लाख रूपये का बोर्ड को 1978-79 और 1985-86 के बीच जमा कर दी गयी थी ।

123 क्रियाशील योजनाओं में से 64 योजनायें (सिंचाई शक्ति 6035 हेक्टेयर), 320.63 लाख रूपये की लागत से पूर्ण की गयी थी, विद्युतीय और यात्रि की खरबी के कारण 1 से 5 सालों तक निष्क्रिय पड़ी थी । त्रुटियों के परिशोधन के लिए प्रमंडल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

1285.28 लाख रूपये का उपगत व्यय के बाद उत्पन्न 0.13 लाख हेक्टेयर की सिंचाई शक्ति के विरूद्ध 1986-87 और 1987-88 के दौरान केवल 805 हेक्टेयर (6 प्रतिशत) तथा 200 हेक्टेयर (2 प्रतिशत) की सिंचाई प्रदान की गयी थी यद्यपि इन दो वर्षो के दौरान पूर्ण योजनाओं के रख-रखाव पर 38. 62 लाख रूपये व्यय किया गया था ।

कंडिका-4.1.5.6

बिहार पर्वतीय क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (एक राज्य सरकार का उपक्रम), ने 71 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को लिया (पांचवी पंचवर्षीय योजना तक 35 और छठी योजना के दौरान 36) जिनमें से 1988-89 तक 65.98 लाख रूपये की लागत से केवल 28 योजनायें (सिंचाई शक्ति 2325 हेक्टेयर) ही पूर्ण हुई थी । 2325 हेक्टेयर का उत्पन्न शक्ति के विरूद्ध, 1887-88 तथा 1988-89 के दौरान क्रमशः केवल 165 हेक्टेयर (7 प्रतिशत) और 170 हेक्टेयर (7 प्रतिशत) ही सिंचित थी ।

कंडिका-4.1.5.7

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, बिहार अराजकीय सिंचाई अधिनियम 1922 के अन्तर्गत दुमका तथा साहेबगंज लघु सिंचाई प्रमंडलों द्वारा 158.21 लाख रूपये की लाग से, 317 छोटी सिंचाई योजनायें संकलित सिंचाई शक्ति 0.09 लाख हेक्टेयर के साथ निष्पादित की गयी थी । अधिनियम के अन्तर्गत, योजनायें, जो सरकारी कोष से निष्पादित की गयी थी, की लागत की वसूली के प्श्चात् रख-रखाव के लिए पंचायतों का हस्तगत की जानी थी । 158.21 लाख रूपये की वसूली के लिए न तो कोई कार्यवाही की गयी थी और न योजनायें रख-रखाव के लिए पंचायतों को ही हस्तानातरित की गयी थी । प्रमंडलों ने भी इन योजनाओं का अनुरक्षण किया, इन योजनाओं से सिंचाई मुहैया का भी विवरण उपलब्ध नही था ।

कंडिका- 4.1.5.8

कृषक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सरकार से अनुदान पर कुल लागत के 25 से 100 प्रतिशत की बीच का दर सीमा पर सिंचाई कुआं का निर्माण कर रहे थे । 1985-86 और 1987-88 के दौरान अनुदान के लिए 425. 42 लाख रूपये के आवंटन के विरूद्ध उपयोगित राशि 264.12 लाख रूपये थी । (ह्रास 37.9 प्रतिशत)

कंडिका-4.1.6चौथी और पांचवी योजनाओं के दौरान 7 परियोजनाएँ जिनपर कार्य शुरू किया गया, 4 से 10 वर्षो के समय अधिकता के प्राधिकृत की सांतवी योजना तक परियोजना पूर्व नही हुई । उनको पराचालित लागत में 312 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

कंडिका-4.1.6.1

परियोजनाएँ बिना संसूचित सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के तैयार किये गये । फलस्वरूप केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्पष्टीकरण विभाग समय पर नहीं दे सका, पखनी नदी पर शुरहाई जलाशय योजना का अनुमोदन इन्हीं कारणों से पी.डबलू.डी. द्वारा 38 वर्षो में दिया गया ।

कंडिका-4.1.6.2

(क) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संगठनात्मक त्रुटियाँ रही । जैसे अजाय बांध परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य सात प्रमंडलों में बांटा गया लेकिन उनमें कार्य क्षेत्र का बंटवारा नहीं किया गया । दुर्माबनी प्रमंडल को 18 माह तक कोई कार्य नही दिया गया और वहाँ के निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन पर 25.73 लाख रूपये व्यय किये गये । उसी प्रकार यांत्रिक प्रमंडल सितम्बर 1979 में भारी मशीनों की मरम्मत के लिए गठित किया गया लेकिन इन मशीनों को मरम्मत बाहर के ठेकेदारों से करवाया जाता रहा और मार्च 1989 तक 147.13 लाख रूपये निष्फल व्यय किये गये।

कंडिका-4.1.6.2

(ख) 1985 के बाद पुनासी जलाशय के कार्यान्वयन का कार्य 4 प्रमंडलों में बांट दिया गया लेकिन 557 चेन नहर की लंबाई एवं उनके वितरणी नाले आदि के कार्य किसी प्रमंडल को नही सौपा गया प्रमंडलो को पूर्ण कार्य भार नहीं देने के कारण संस्थापना व्यय 8 से 10 प्रतिशत की जगत 19 प्रतिशत हो गया ।

कंडिका-4.1.6.3

(क) तौराई जलाशय योजना का कार्यान्वयन बिना जलप्लावित क्षेत्र में पड़ी भूमि के अधिग्रहण किये ही प्रारंभ कर दिया गया भूमि अधिग्रहण में विलम्ब तथा विस्थापितों के पुनर्वास कीा समस्या का हल नहीं होने के कारण योजना के शीर्ष कार्य का कार्यान्वयन 1979 में ही बंद कर देना पड़ा। यह कार्य वर्ष 1989 तक पुनः प्रारंभ नहीं किया जा सका ।

कंडिका 4.1.6.3

(ख) सुगाधन जलाशय योजना भी फरवरी 1978 में शुरू की गई और इस पर 1983 तक 19.46 लाख रूपये व्यय किये गये । लेकिन विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या का हल नहीं होने के कारण भूमि अधिग्रहण नही हो सका और कार्य को त्यागना पड़ा ।

कंडिका-4.1.6.4

अजय, पुनासी, तोराई, गुमानी तथा सकरीगली जलाशय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में काफी विलम्ब होने के कारण उन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ। की तिथि से 10 से 17 वर्षो के बाद भी इनको अद्यतन उपलब्धि 1 से 25 प्रतिशत की रही ।

कंडिका-4.1.6.5

बिहार राज्य निर्माण निगम को सौपे विभिन्न कार्यो के कार्यान्वयन से 3 से 5 वर्षो तक विलम्ब के कारण निगम के बाँध एवं शीर्ष नियंत्रक का कार्य वापस लेना पड़ा । विलम्ब करने के लिए निगम पर किसी प्रकार के दंड शुल्क नही लगाया गया । वापस हुआ कार्य के लिए पुन: निविदा जून 1988 में निकाला गया लेकिन इसके लिए सरकार की स्वीकृति मई 1989 तक प्राप्त नही हुई है। इस कार्य पर मई 1989 तक कुल 246.40 लाख का व्यय हो चुका था।

कंडिका--4.1.6.6

गुमानी बांध के असैनिक कार्य मई 1984 में 216.80 लाख की लागत पर सम्पन्न करने के लिए एक ठेकेदार को दिया गया । कार्य जून 1985 तक पूर्ण होना था । लेकिन बांध के तीन पाये जिनका निर्माण फाटक के डिजाईन पर निर्भर करता था, फाटक के डिजाईन तब नही होने के कारण 1988 तक लंबित पड़ा था ।

कंडिका-4.1.6.7

विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं के मिट्टी के कार्य प्रारम्भ करने के साथ ही साथ वितरण प्रणाली की संरचना के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया । जहाँ मिट्टी के कार्य के 32 से 97 प्रतिशत की प्रगति हुई वही वितरण प्रणाली की संरचना के कार्य में 0 से 20 प्रतिशत की प्रगति हुई विभाग के उच्च पदाधिकारी भी इसे त्रुटि की ओर समुचित ध्यान नहीं दिये कार्यो के निरीक्षण भी मुख्य अभियंता द्वारा समय-समय पर नहीं किया गया । फलस्वरूप परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया जा सका ।

कंडिका-4.1.7

संथाल परगना क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने से बहुफसली फसल वाधित हुई । यद्यपि छठ्ठी योजना के अन्त तक प्रति

हेक्टेयर उपज में कुछ वृद्धि हुई । लेकिन यह वृद्धि कृति को नई तकनीकी बेहतर निदेश के कार्ण हुई । यदि सिंचाई के बेहर साधन उपलब्ध होते तो प्रति हेक्टेयर उपज खरीफ 19 क्वींटल तथा रब्बी 16 क्वींटल के स्थान पर प्रति हेक्टेयर उपज 40 से 50 क्वींटल के बीच होती जैसा कि जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा ।

कंडिका-4.1.8.1

सिंचाई परियोजना के पूरा होने के दिन से 4 वर्षो तक उन परियोजनाओं से लाभांवित कृषकों से समुन्नति क्षेत्र Betterment levy वसूल करना होता है । 17 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से लाभांवित कृषकों से 4.94 लाख रूपये सालाना समुन्नति अंशदान वसूल नही किया गया ।

कंडिका-4.1.8.2

1885-86 के दौरान जलकर के मद् कुल 105.80 लाख रूपये की मांग के विरूद्ध वसूली मात्र 11.74 लाख रूपये (11 प्रतिशत) ही हुई । मई 1989 तक इनकी वसूली के लिए कोई कार्रवाई नही की गई ।

कंडिका-4.1.9.1 कार्यान्वयन के अनियमितताएँ :-

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्नांकित अनियमितताएँ हुई :-

(i) बिहार राज्य निमार्ण निगम को अजय बांध के निर्माण के लिए निर्माण क्षेत्र को ही विहिन करना था जिसके लिए निगम को 35.85 लाख रूपये का भुगतान करना था लेकिन बिना कोई कारण के निगम को 46.15 लाख रूपये का भुगतान किया गया ।

(ii) निगम को बांध निर्माण हेतु मिट्टी की ढुलाई के लिए बिना ब्लास्टिंग के नरम परत में करने हेतु 950/896 रूपये प्रति हजार सी.एफ.टी. का

भुगतान करना था लेकिन निगम ने नरम परत की मिट्टी की खुदाई के लिए ब्लास्टिंग की विधि उपयोग में लाया और उसके लिए उसे 1879 रूपये प्रति हजार सी.एफ.टी. की दर से भुगतान किया गया । इस प्रकार 30 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया । यह भी देखा गया कि इस कार्य यानि नमर मिट्टी में विस्फोटक के उपयोग से खुदाई के कार्य को अलग से कोई मापी पुस्तिका पर अंकित नही था । विस्फोटक के प्रयोग के लिए आवश्यक संघटक ने गेसहीन विभागीय स्टोर से निगम को निर्गत नही किया गया था । कार्यपालक अभियंता ने दर की गणना में भी गलती की । जिससे निगम को 12.20 लाख रूपये की अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

(iii) मुख्य अभियंता के निदेश पर बांध में दो छत सभी बांध (कौफर डैम) के निर्माण का कार्य अप्रिल 1987 में लिया गया जो बांध के दाँये एवं बाँये भाग पर वृक्षों एवं पीलयायों की खुदाई में सुविधा प्रदान करने के लिए था । 14 जून को कार्यपालक अभियंता ने निगम को सूचित किया कि स्पेलोफिकेशन के अनुसार प्रत्येक बांध नही बनने के कारण उनसे रिसाव हो रहा था । जून 19 को निगम ने उसकी मरम्मति की सूचना दी और उसका मापी भी ली गई और सहायक अभियंता ने अगले दिन उसकी जाँच भी कर ली । 24 जून को कार्यपालक अभियंता ने यह सूचना की कि कौफर बांध नदी द्वारा बाढ़ में बहा दिया गया । उसकी कोई जाँच पड़ताल नही की गई तथा निगम को 17.57 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया । जब समाचार पत्रों में निगम को अनियमित भुगतान की खबर छपी तो मुख्य अभियंता ने यह कहकर कि बतना बांध पर व्यय बांध पर हुआ व्यय के समानुपातिक नही था, सरकार से वह अनुशंसा की कि निगम से 12 लाख रूपये की वसूली की जाय । मई 1989 तक सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया ।

(iv) एकरारनामें के शर्त के अनुसार श्रमिकों, साज सामान एवं तेल, मोबिल पर मूल्य वृद्धि का लाभ सिर्फ कार्य पूरा होने की नियत तिथि तक ही देय था लेकिन कार्य समय पर पुरा नही होने के कारण निगम को नियम तिथि के बाद की अवधि में भी उक्त मद् में मूल्य वृद्धि का लाभ दिया गया और निगम को 11.67 लाख रूपये का अनियमित भुगतान किया गया ।

(v) एकरारनामें में सिल्ट की सफाई के लिए किसी प्रकार का भुगतान नही होना था लेकिन इस मद् में निगम को 5.25 लाख रूपये का अनियमित भुगतान किया. गया ।

(vi) बांध के एस्टीमेंट में गड्ढों से निकाली गई मिट्टी का उपयोग बांध बनाने में करना था । लेकिन ऐसा नहीं कर बाहर से मिट्टी ढुलवाकर बांध बनाने के एवज में 0.71 लाख सी.एफ.टी. बांध से निकासी गई मिट्टी निगम को 5.52 लाख रूपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा ।

(vii) 1886 में बांध के निमार्ण के लिए सी.डब्लू.सी. द्वारा अन्तिम रूप से डिजाईन अनुमोदित किया गया । चूंकि अनुमोदित डिजाईन के अनुसार बांध के अक्ष को 2.512 मीटर नदी तट की ओर खिसकारा गया, औपबंधिक रूप से बनाये गये डिजाईन पर निर्माण कार्य के लिए निगम को 5.31 लाख रूपये का निष्फल भुगतान करना पड़ा ।

(viii) बिना समुचित जाँच पड़ताल के एस्टीमेंट बनाने के कारण कार्य का मूल एस्टीमेट 541.30 लाख रूपये से बढ़कर 1670.76 लाख रूपये हो गया तथा कार्य के परिमाण में 3255 सी.एफ.टी. मिट्टी कार्य से बढ़कर 4562 लाख सी.एफ.टी. हो गया । मार्च 1987 तक कार्य पर 795.03 लाख रूपये व्यय किये गये लजो मूल एस्टीमेंट से 50 प्रतिशत से भी अधिक की राशि है फिर भी कार्य को पूरा करने के लिए 775.72 लाख रूपये

की और आवश्यकता थी । इनके कारणों की जाँच से पता चला कि कार्य के डिजाईन में अप्राधिकृत हेर फेर किया गया, खोदे गये नहर को समतल करने तथा ढालुआ बनाने के लिए फिर से उसमें कुछ मिट्टी भरा गया सिल्ट की सफाई आदि पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

(ix) सिकटिया, जामतारा, नाला तथा कुण्डहित प्रमंडलों से अन्य प्रमंडलों में सिमेंटों के हस्तानान्तरण के सिलसिले में 4.03 लाख रूपये का 0.21 लाख बोरा सिमेंट का कम लेखा जोखा किया गया । 2.12 लाख रूपये का 0.12 लाख बोरा सिमेंट जमा हुआ पाया गया । इस प्रकार 6.15 लाख रूपये क्षति के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण नही किया गया।

(1) विभाग इसकी कंडिका के क्रम से जाँच करे और समुचित कार्रवाई करे।

(2) की गई कार्रवाई से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराये ।

कंडिका-4.1.9.2 पुनासी जलाशय योजना

(i) जलाशय निर्माण क्षेत्र की भूमि (चैन 0 से 30 के बीच) के समय पर अधिग्रहण नही होने के कारण इसके निमार्ण व्यय में 17.82 लाख रूपये की वृद्धि हो गई तथा जिस कार्य को दिसम्बर 1983 में पूरा होना था वह मार्च 1988 तक पूरा नहीं किया जा सका ।

(ii) चेन संख्या 31 से 41 के कार्य के लिए दो निविदादाताओं का अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत नीचे की दर के निविदा के रहते हुये अभियंता प्रमुख ने 5 प्रतिशत ऊँची दर पर निविदादाता (तृतीय न्यूनतम दर) की दर स्वीकृत कर लेने के कारण विभाग को 3179 लाख रूपये अतिरिक्त परिहार्य व्यय करना पड़ा ।

(iii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जलाशय निमार्ण के लिए खोदे गड्ढ़े से निकाली गई मिट्टी का उपयोग जलाशय के बांध के निर्माण के लिए करना था ।

लेकिन गड्ढ़े से निकाली गई 10.85 लाख सी.एफ.टी. मिट्टी को उक्त कार्य में नहीं उपयोग में लोने एवं बाहर के दूर के क्षेत्रों से मिट्टी ढुलाई कर भरवाने के कारण विभाग को 8.30 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

(iv) झाझा/जसीडीह प्रमंडल में 0 से 434 चेन के बीच मुख्य नहर में कार्य करवाया गया । लेखा परीक्षा में देखा गया कि कुल 51 चेनों में 14 संवेदकों को कार्य दिया गया । संवेदकों ने 5.02 लाख रूपये का कार्य करवाया लेकिन निर्माण क्षेत्र की जमीन समय पर अधिग्रहण नही होने के कारण संवेदकों ने कार्य त्याग दिया । शेष कार्य को पुनः दूसरे संवेदकों को 20.32 लाख में आवंटित किया गया । इस प्रकार समय पर भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण विभाग को 3.30 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

कंडिका-4.1.9.3 सकरीगली पम्प नहर योजना

साहेबगंज जिला में उपर्युक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सितम्बर 1988 में दी गई । कार्य को 5 वर्षो के भीतर पूरा करना था लेकिन मई 1989 तक 415.81 लाख रूपये व्यय कर 3 पम्पों की स्थापना तथा कुल 20 किलो मीटर नहर के कार्य में से मात्र 11.44 कि0मी0 नहर कार्य के 48 संरचनाओं का ही निर्माण किया गया । मात्र 0.66 कि0मी0 नहर के 35 संरचनाओं के निर्माण कार्य शुरू भी नही किया गया । इस प्रकार इस योजना पर मई 1989 तक व्यक्ति 416.81 लाख रूपये निष्फल रहे । लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि 1987 तक 2922 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के निर्माण के विरूद्ध मात्र 90 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का ही उपयोग किया गया । यह भी पाया गया कि 1980 में ही एक्वाडक्ट निर्माण का कार्य रेलवे को दिया गया । रेलवे को 1986-87 तक 33.85 लाख रूपये उक्त कार्य के लिए अग्रिम भी दिया

गया । लेकिन मई 1989 तक कार्य प्रारम्भ ही नही हो सका । पम्पों के संचालन के लिए विद्युत बोर्ड से एकरारनामा किया गया । बोर्ड ने अगस्त 1985 में विद्युत लाइन की आपूर्ति कर दिया । पम्पों की स्थापना 1987 में की गई तथा जून 1988 तक के चालू नही किये जा सके । फलस्वरूप अगस्त 1985 से जून 1988 के बीच की अवधि के न्यूनतम जमानती राशि के रूपये एकरारनामें के अनुसार 35.54 लाख रूपये बोर्ड को भुगतान करना पड़ा जो निरर्थक ही थे ।

कंडिका-4.1.9.4 पहाड़पुर लद्यु सिंचाई योजना:

20 चेन लम्बे मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए 4.95 लाख रूपये के अनुमानित आकलन पर, जिसका प्रशासनिक स्तर पर अनुमोदन सितम्बर 1980 में प्राप्त हुआ था कार्यपालक अभियंता, साहेबगंज के द्वारा एक ठेकेदार को जुलाई 1981 में 2.78 लाख रूपये की अनुमानित लागत पर जनवरी 1982 तक पूर्ण करने के लिए प्रदान किया गया था । 15.12 लाख सी0एफ0टी0 मिट्टी के कार्य और 0.50 लाख सी0एफ0टी0 गोला पत्थर पर डामर लगान के विरूद्ध, ठेकेदार ने क्रमश: 13.26 लाख सी0एफ0टी0 और 0.39 लाख सी0एफ0टी0 सीमा तक कार्य सम्पन्न किया और फरवरी 1985 (बढ़ी हुई मध्यवर्ती अवधि) में 2.75 लाख रूपये प्राप्त करने के बाद कार्य को छोड़ दिया । अवशिष्ट कार्य 7.50 से 8. 25 चेनों में संबंधित 2.60 लाख सी0एफ0टी0 का मृदा कार्य और 0.11 लाख सी0एफ0टी0 का गोला पत्थर पर डाभर लगान का कार्य अधीक्षण अभियंता द्वारा उसी माह मे अनुमोदित अनुमानों के आधार पर मार्च 1985 में 1.26 लाख रूपये की लागत पर सहायक अभियंता, बोरी जोर द्वारा विभागीय रूप में कार्यान्वित किया गया था । सम्बद्ध माप पुस्तका को छानबीन से पता चला कि मृदा कार्यो के मापी को खण्डीय मापी के बजाए गड्ढ़ा के माप के आधार पर अभिलिखित किया गया था जिसमें सरकार की स्थायी अनुदेशों की उपेक्षा की गई थी । पूर्व-क्षैतिज तथा उत्तर-क्षैतीस मापी को न तो अभिलिखित की गई थी और न

ही कार्यपालक अभियंता द्वारा जॉच का कृदा कार्यो में कार्यान्वत ही की गई थी । यद्यपि मिट्टी के बॉध (20 चेनों) के सम्पूर्ण लम्बाई में कार्य विभागीय कार्य के कार्यान्वयन से चेन 7.50 से 8.25 तक के अंतराल में पूर्ण किया गया था, जनवरी 1988 में एक संशोधित अनुमान तैयार किया गया था, 2.68 लाख रूपये का एक नया प्रावधान उसी कार्य के लिए उसी भाग में पुनः बनाया गया था, इस आधार पर भू-अधिग्रहण के लिए मुआवजे के भुगतान नही करने के कारण हुए जन आन्दोलन के कारण पूर्व में कार्य नहीं हुआ था । यह दिखाता था कि 1.26 लाख रूपये का विभाग द्वारा किए गए पूर्व में कार्य के लिए भुगतान काल्पनिक मापी के आधार पर किया गया जिसके लिए मई 1989 तक किसी पर उत्तरदायी नही डाला गया है ।

कंडिका-4.1.9.5- भीमनाला लद्यु सिंचाई योजना:

भीमनाला लद्यु सिंचाई योजना दुमका प्रखंड के खेरा गॉव में 109 हेक्टेयर का सिंचाई शक्ति के उत्पन्न करने के लिए (सरकार द्वारा दिसम्बर 1982 में प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया) मुख्य अभियंता द्वारा मार्च 1983 में 8 लाख रूपये की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी ।योजना को कार्यपालक अभियंता, दुमका द्वारा कार्यान्वित करना था इसके विभिन्न अवयवों का तिनर्माण जैसे, मूदा बांध, स्वक्षलय प्रकार का निकास, मुख्य नियंत्रक और नहर (अनुमनाति लागत 6.54 लाख रू0) की फरवरी, 1983 (अनुबंध मूल्य: 5.56 लाख रूपये) में सौपा गया और अक्टूबर 1983 तक पूर्ण करने के लिए नियत किया गया, अप्रैल 1987 में 7 लाख रूपये की लागत पर पूर्ण हुआ था ।

24 मई 1987 की अधीक्षण अभियंता ने अपने निरीक्षण के क्रम में देखा कि स्वक्षालय प्रकार का निकास जिसके निर्माण पर 0.69 लाख रूपये का व्यय किया गया था अधागति के कारण ढह चुका था । अधीक्षण अभियंता द्वारा अतिरिक्त कहा गया कि निकास के ढाचे में ढीप 22 फीट के गिराव के समूचित

व्यवस्था नही होना ही क्षति का कारण था (कार्यान्वयन के दौरान दीप का पता नही लगने का उत्तरदायित्व किसी पर नहीं डाला गया था) !

4.1.10 अन्य दिलचस्प प्रकरण

4.1.10.1 1978-79 के दौरान अजय बांध परियोजना (106.84 लाख रूपये) गुमानी बांध परियोजना (10 लाख रूपये) और तोरई जलाशय योजना (7. 50 लाख रूपये)के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य निर्माण निगम को 124. 34 लाख रूपये चलायमान पेंशनियों के रूप में भुगतान किया गया था । पेंशनियों की वसूली चलित लेखा बिल से पूरा किया जाना था । मार्च 1989 तक निगम को गिए गए 236.40 लाख रूपये के चलित भुगतानों के विरूद्ध इससे केवल 22.75 लाख रूपये (18 प्रतिशत) को चलायमान पेंशिनियों की वसूली हुई और मार्च 1989 के अन्य तक निगम पर 101.59 लाख रूपये (82 प्रतिशत) का बकाया शेष छूटा रह गया था ।

4.1.10.2अधीक्षण/कार्यपालक अभियंता, दुमका ने बिना किसी आवश्यकता है 1992-93 के दौरान सामानों को खरीदा । कार्य संपादन की जाँच परीक्षण से व्यक्त होता था कि 1982-83 के दौरान उनके द्वारा दिए गए खरीद संबंधित आदेशों में उच्च घनत्व के पालीइयाइलाज (एच.डी.पी.ई.) पाईपों को आपूर्ति के लिए राशि 59.64 लाख रूपये थी । लघु कार्यो के अनुमानों में एच.डी.पी.ई. पाइपों के उपयोग के लिए कोई आवश्यकता नही था । आवश्यकताओं के निर्धारण का आधार अभिलेख में भी उपलब्ध नही था । यूत/प्रमंडल के विभिन्न अभिलेख रखने पड़ते थे जैसा कि खरीद आदेशों के रजिस्टर प्राप्त सामानों की दैनिक पुस्तक, भंडार/सामानों का स्थल पर लेखा इत्यादि । तथापि, विहित रजिस्टरों को या तो चालू नही रखा गया या अद्यतन नहीं रखा गया था ।

0.26 लाख मीटर पाईप की खरीदी गई कुल मात्रा कमें से 0.06 लाख मीटर बिना लागत के लागू किए अन्य दूसरे प्रमंडलों को स्थानान्तरित कर दिया गया था और 0.19 लाख मीटर को विभिन्न स्थल खातों में स्थानान्तरित कर

दिया गया था जहाँ पाईपों की उपयोगिका का अभिलेख उपलब्ध नही था, विभाग ने पाईपों की अवस्था का निर्धारण नही किया था जिसकी विशेषत में समय के बीतने के साथ ह्रास की प्रवृति थी ।

अत: एच.डी.पी.ई. पाईपों को बिना आवश्यकता के प्राप्त करने के फलस्वरूप सरकार के अपर्याप्त संसाधनों का अनावश्यक अवरोध हुआ था ।

मामला को सरकार को जुलाई 1989 में प्रतिवेदन किया गया था, जबाव प्राप्त नही हुआ था (जुलाई 1992) ।

कंडिका-4.1.10

(i) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए बिहार राज्य निर्माण निगम को 124.34 लाख रूपये का चलाय मान अग्रिम को 1978-87 के बीच भुगतान किया गया । उसे निगम के चालू विपत्रों से वसूल करना था लेकिन मार्च 1989 तक निगम को 236.40 लाख रूपये के चालू विपत्रों के भुगतान किया गया उससे मात्र 22.75 लाख रूपये अग्रिम की ही वसूली की गई ।

(ii) विभाग ने 1982-83 में बिना अपनी आवश्यकताओं के अनुमान लगाये 59.64 लाख रूपये का एफ.डी.पी.ई. पाईप के क्रय के लिए आदेश दे दिया उसके लिए कोई भंडार लेखा आदि नही तैयार किया । यह देखा गया कि 26 हजार मीटर पाईप में से 6 हजार मीटर पाईप अन्य प्रमंडलों को हस्तांतरित कर दिया । शेष पाईपों में से 19 हजार मीटर अपने स्थल लेखा में हस्तांतरित कर दिया जबकि उनका वहाँ कोई उपयोग नही था। समय बितने के साथ उनकी गुणवत्ता ह्रास की कोई जाँच नहीं करवाई गई ।

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका-4.1 से 4.1.10.2 का उत्तर

कंडिका-4.1 संथालपरगना में सिंचाई परियोजनायें

कंडिका-4.1.1 परिचयः मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के परिक्षेत्राधीन संथालपरगना प्रमंडल के अन्तर्गत आदिवासी बाहुल्य, विभिन्न जिला, साहेबग्रल, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका में गुमानी बराज योजना, तोरई जलाशय योजना, सुगावधान जलाशय योजना, अजय बराज योजना, बुढ़ई जलाशय योजना एवं पुनासी जलाशय योजना से सिंचाई कराने का प्रस्ताव था।

कंडिका-4.1.2 संगठनात्मक व्यवस्था- उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चार अंचल, जैसे-सिंचाई अंचल, दुमका/जामताड़ा, मधुपुर एवं जसीडीह तथा 16 प्रमंडल कार्यरत है ।

कंडिका-4.1.3 कोई टिप्पणी नहीं ।

कंडिका-4.1.4 मुख्य अंश पर प्रकाशः- परिक्षेत्राधीन दुमका अंचल के अन्तर्गत पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि तक कुल 9 मध्यम सिंचाइ योजनायें पुरी की जा चुकी है । इसके अलावे मयुराक्षी जलाशय योजना (कनाडा डैम) जो पश्चिमी बंगाल द्वारा निर्मित एवं संचालित है, से कुल 25000 हेक्टेयर जमीन का सिंचाई क्षमता का सृजन संथालपरगना प्रमंडल में किया गया है। जिससे प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध सिंचाई की जाती रही है । पूर्ण सिंचाई योजनाओं का विवरण निम्नांकित है:-

क्र	योजना का विवरण	जिला	अधिकतम उपयोगिता सिंचित क्षेत्र(हे0)
1	कैरावनी जलाशय योजना	दुमका	667
2	बड़ा नदी जलाशय योजना	दुमका	700
3	दिग्गल पहाड़ी जलाशय योजनां	दुमका	540
4	पगला बीयर योजना	पाकुड़	122
5	सूर्योदी जलाशय योजना	गोड्डा	607
6	सुन्दर जलाशय योजना	गोड्डा	5587
7	भौराबांध बराज योजना	गोड्डा	1251
8	सोनुपुर बीयर योजना	गोड्डा	-
9	करनटोला बीयर योजना	साहेबगंज	-

कंडिका-4.1.5 उत्पन्न सिंचाई शक्ति और उसकी उपयोगिता:-

यह कंडिका 4.1.4 में वर्णित है । पूर्व में पूर्ण किये गये मध्यम सिंचाइ यांजनाओं से सिंचाई क्षमता की उपयोगिता ली जा रही है । इसके अतिरिक्त म्यूराक्षी बाम तट नहर 0.25 लाख हे0 क्षमता के विरूद्ध 0.16 लाख हे0 सिंचाई उपयोगिता ही रही है । शेष परियोजनायें अधूरी है इसलिए उनसे सिंचाई क्षमता एवं सृजन का कोई प्रश्न नही उठता है।

कंडिका-4.1.5.1 मध्यम सिंचाई योजनाये जिनका वर्णन कंडिका 4.1.4 में किया गया के अलावे इस क्षेत्र में कार्य भी परियोजना पूर्ण नही हुई अर्थात उपयोगिता के क्रम में सिंचाई क्षमता की सृजन उक्त

परियोजनाओं से नही किया जा सका है । परियोजनाअें को पूरा नही होने के मुख्य कारण सातवी व आठवीं पंचवर्षीय योजना में निधि का अभाव रहा है ।

कंडिका-4.1.5.2 चूंकि इस क्षेत्र के अधीन जो भी परियोजना कार्यान्वयनाधीन रही वे पांचवी, छट्‌ठी एवं सातवी पंचवर्षीय योजना तक पूरी नही हो सकी ।ऐसी परिस्थिति में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग संभव नहीं हो सका । सिंचाई परियोजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग होता है, जब परियोजनायें पूरी हो जाती है।

कंडिका-4.1.5.3 कोई टिप्पणी नही ।

कंडिका-4.1.5.4 कोई टिप्पणी नही ।

कंडिका-4.1.5.5 लघु सिंचाइ विभाग से संबंधित है ।

कंडिका-4.1.5.6 बिहार पर्वतीय लिफ्ट सिंचाई से संबंधित है ।

कंडिका-4.1.5.7 लघु सिंचाई विभाग से संबंधित है ।

कंडिका-4.1.5.8 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं लघु सिंचाई से संबंधित है ।

कंडिका-4.1.6 समय तथा लागत अधिकता

कंडिका-4.1.6.1 बुढ़ई जलाशय योजना- इस जलाशय योजना से संबंधित केन्द्रीय जल आयोग के पृच्छाओं का जबाब समय पर दिया जाता रहा है । कंडिका में वर्णित केन्द्रीय जल आयोंग की वर्ष 79 एवं 81 का जबाब केन्द्रीय जल आयोग को समय पर भेजा जा चुका था ।

केन्द्रीय जल आयोंग द्वारा 1984 में किये गये पृच्छाओं (आयोंग

का पत्रांक-70 दिनांक 24.11.84) जबाव मधुपुर विभागीय तकनीकी पदाधिकारी द्वारा हाथों-हाथ केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया । विभाग के तकनीकी पदाधिकारी दिनांक 4.4.85 से 15.4.85 तक आयोग के कार्यालय में पृच्छाओं के निराकरण के संबंध में कार्य किये तथा आयोग के द्वारा उठाये गये आपत्तियों का निराकरण किया गया था । फिर भी 1986 में योजना को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा लम्बित योजनाओं की सूची में से हटा दिया गया । उसके बाद भी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा समय-समय पर पूछी गयी पृच्छाओं का जबाब हर संभव प्रयास के साथ दिया जाता रहा है । आयोग द्वारा यदि सारी आपत्तियां एक बार उठायी गयी होती तो उनका निराकरण एक साथ कर दिया जाता किन्तु कार्य की प्रकृति के अनुकूल पृच्छायें अलग अलग समय में की जाती रही है । इस क्रम में संबंधित पृच्छाओं के जबाब भेजने के लिये यथावश्यक अन्वेषय एवं जल विज्ञान के आंकड़ो के संकलन में आवश्यक समय लगा । योजना का विस्तृत प्रतिवेदन अगस्त 1990 में मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, पटना के पत्रांक-1809 दिनांक 17.9.90 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया । जल विज्ञान प्रतिवेदन अप्रील 1990 में भेजा गया । पुनः केन्द्रीय जल आयोग ने आयोग के पत्रांक 61 दिनांक 20.6.91 तथा 33 दिनांक 5.5.91 द्वारा सिंचाई कमांड क्षेत्र के 10 प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत सर्वेक्षण कर ग्रामीण नक्शे पर वितरण प्रणाली दिखाई तथा उसके अनुसार लागत निकालने का सुझाव दिया। उक्त कार्य हेतु वर्ष 92-93 में 10 लाख रूपये की मांग की गई किन्तु निधि प्राप्त नही होने के कारण आजतक आगे की कार्रवाई संभव नही हो पाई है ।

कंडिका-4.1.6.2 परियोजना के कार्यान्वयन में संगठनात्मक त्रुटियाँ थी ।

(क) अजय बांध परियोजना का कार्य सुचारू ढंग से सम्पादित कराने हेतु विभाग द्वारा अगस्त 75 में सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया का सृजन किया गया । सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया के सृजन से पूर्व, अजय बांध परियोजना का कार्य सिंचाई प्रमंडल, झाझा द्वारा सम्पादित किया जाता था । सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया के सृजन के बाद सिंचाई प्रमंडल, झाझा द्वारा निमनलिखित कार्य सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया के प्रभार में दिया गया :-

1. करमा टाड़ से सिकटिया तक एप्रोच रोड
2. गंगापुर, मुगबिनी, करमाटांड़ में भवन निर्माण कार्य,
3. अजय मुख्य नहर के चेन 0 से 500 चेन तक का कार्य।

काल क्रम में अक्टूर 79 में अजय बांध परियोजना के कार्य के लिए सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा का सृजन किया गया । सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा के एक के बाद सिंचाई प्रमंडल, झाझा के शेष कार्य (1) जामताड़ा गेरिया और धुतला में भवन निर्माण एवं (2) अजय मुख्य नहर का 500 से 1350 हे0 तक सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा के प्रभार में दिया गया ।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर ने अपने पत्रांक 715 दिनांक 23.8.88 द्वारा अभियंता प्रमुख को अजय बांध परियोजना के निर्माण कार्य के लिए प्रमंडलों के बीच कार्यो के बंटवारा हेतु प्रस्ताव दिया ।सिंचाई द्वारा दिये गये प्रस्ताव का व्यौरा निम्नांकित है:-

1. सिंचाई प्रमंडल, मधुपुर :-

(1) दांया गाईड बांध का निर्माण कार्य

(2) सातवें दांयी और से ।

2. सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया :-

(1) बांया गाईड बांध का निर्माण कार्य ।

(2) शीर्ष नियामक का कार्य

(3) आठवें बांयी ओर से

(4) अजय मुख्य नहर के चेन 0 से 39 तक का कार्य ।

3. यांत्रिक प्रमंडल, देवघर:-

(1) यांत्रिक कार्य

4. सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा

(1) अजय मुख्य नहर के चेन 39 से 1200 चेन तक एवं वितरण प्रणाली का कार्य।

5. सिंचाई प्रमंडल, नाला

(1) अजय मुख्य नहर के चेन 1200 से 2964.50 तक एवं वितरण प्रणाली का कार्य ।

6. सिंचाई प्रमंडल, कुडहित :-

(1) अजय मुख्य नहर के चेन 2964.50 से 3634.90 चेन तक का कार्य ।

7. सिंचाई प्रमंडल, कुलडंगाल :-

(1) वाटर कोर्सेस एवं फिल्ड चैनेल का कार्य ।

सिंचाई प्रमंडल, कुलडंगाल, अक्टूबर 86 में सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, सासाराम, स्थानान्तरित होकर मुर्गाबनी प्रमंडल के नाम से आया । पुन: यह प्रमंडल जून 88 में लघु वितरणी प्रमंडल, कुलडंगाल के नाम से जामताड़ा अंचल के अन्तर्गत यहां से नाला चला गया । इस प्रकार इस प्रमंडल को सासाराम से यहां आने तथा यहां से सिंचाई अंचल, जामताड़ा जाने में एक साल लग गया इसलिए इस प्रमंडल को मुर्गाबनी में कार्य का कोई चार्ज नही मिल सका । यह व्यवस्था कार्यहित में सरकार द्वारा किया गया । यह प्रमंडल स्थानान्तरित होकर आया था इसका नया सृजन नहीं हुआ था । इसकी स्थापना पर व्यय होता ही और सरकार को संबंधित खर्च का वहन करना पड़ता । इस प्रकार यह खर्च अनिवार्य था । अत: इसके स्थानान्तरण की अवधि में खर्च को अपव्यय नही कहा जा सकता ।

प्रमंडलों को लौक, स्टौक एवं बैरल के साथ सिफ्ट करने में तथा प्रभार लेने देने में नये स्थान पर कार्यालय भवन का इन्तजाम करने में एवं कार्यालय को सुसज्जित करने में आवश्यक समय लगा ।

यांत्रिक प्रमंडल, देवघर की स्थापना में खर्च कर्मचारियों को व्यर्थ बैठाकर किये गये है, ऐसी बात नही है । यांत्रिक प्रमंडल की मशीनों का उपयोग अजय बांध परियोजना एवं पुनासी जलाशय योजना के निर्माण के कार्यो में किया गया था । यांत्रिम प्रमंडल, देवघर

इस प्रकार वर्ष 1985 के पश्चात् निम्नांकित प्रमंडल भिन्न-भिन्न तिथियों से इस योजना के कार्य में संलग्न किये गये है । तदुपरान्त वर्ष 1987 तक योजना में कार्यरत प्रमंडलों के बीच मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के पत्रांक 1107 दिनांक 10.7.87 द्वारा निम्नरूप से योजना के कार्यो का वितरण किया गया :-

क्र	प्रमंडलों का नाम	इस योजना में प्रमंडलों के कार्यरत होने की तिथि/वर्ष	कार्यक्षेत्र
1	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	वर्ष 1985 से	1. पुनासी बांध के चेन 30 से 53 तक निर्माण कार्य 2. मुख्य नहर के चेन 0 से 486,1370 से 2000 तक नहर निर्माण कार्य,सभी वितरणी प्रणाली कार्य 3. जसीडीह स्थित शिविर निर्माण कार्य
2	सिंचाई प्रमंडल, देवघर	वर्ष 1985 के पूर्व से कार्यरत	1. पुनासी मुख्य नहर के चेन 486,1370 एवं 2000 से 2600 तक निर्माण कार्य सभी वितरणी के साथ 2. सिंचाई उपनिवेश, देवघर का निर्माण कार्य एवं सिंचाई निरीक्षण भवन का संपोषण कार्य ।

का मुख्य कोई इसकी मशीनों को चालू हालत में रखना एवं संचालित करना था । इस मशीनों द्वारा किये गये कार्यो के भाड़े की वसूली भी की गई ।

यांत्रिक प्रमंडल, देवघर के अधीन मशीनों की मरम्मति के लिए कर्मनाशा नही थी।वर्क शॉप नही रहने के कारण मरम्मति की आवश्यकता पड़ने पर निली कर्मशाखा से मरम्मति कराना पड़ा था । इनकी मरम्मति के लिए कोई रजिस्टर्ड संवेदक नही थे । अत: 1989 तक यांत्रिक प्रमंडल, देवघर पर किये गये खर्च को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता । वर्ष 79 से 89 तक स्थापना पर 58.59 लाख रूपया एवं रख-रखाव पर 88.54 लाख रूपया खर्च हुआ है ।

(ख) पुनासी जलाशय योजना का कार्य पूर्व में सिंचाई अंचल, बटिया के अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल, झाझा एवं सिंचाई प्रमंडल, देवघर द्वारा कराया जा रहा था ।

वर्ष 1985 के पश्चात विभागीय अधिसूचना सं0-125 दिनांक 16.1.87 द्वारा तिरहुत नहर अंचल, गंडल योजना, रतवारा, मुजफ्फरपुर एवं तिरहुत नहर प्रमंडल, ढोली, मुजफ्फरपुर स्थानान्तरित होकर आए । वे क्रमश: सिंचाई अंचल, जसीडीह एवं पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी, शिविर-देवघर के रूप में जून 87 से इस योजना में कार्यरत है ।

इसके पूर्व वर्ष 1985 में विभागीय अधिसूचना के आलोक में जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल, दलसिंसराय स्थानान्तरित होकर आया और इस योजना को सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह के रूप में कार्यरत है ।

पुनासी स्पीलवे प0,पुनासी, शिविर-देवघर	वर्ष जून 87 से कार्यरत	1. पुनासी स्पीलवे,स्पील चैनेल कार्य, खईक का कार्य, पुनासी सिंचाई चेन 18.50 से 30 चेन के बीच तक कार्य एवं चेन 63 से 70 तक बांध निर्माण कार्य । 2. पुनासी शिविर निर्माण कार्य एवं पहुंच पथ का सम्पोषण कार्य । 3. पुनासी बांध के चेन 53 से 63 नदी भाग का कार्य अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य के साथ-साथ सम्बध नक्शा अनुमोदन कराने का कार्य ।

बांध प्रमंडल: कालान्तर में कार्य भार के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना 1574 दिनांक 25.8.88 द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सेमरबारी स्थानान्तरित होकर इस योजना के बांध कार्य के कार्यान्वयन हेतु पुनासी बांध प्रमंडल, पुनासी के रूप में पुनर्स्थापित हुआ ।

इस कंडिका में कहा गया है कि नहर की लम्बाई 2557 चेन में से 557 चेन के क्षेत्राधिकार में वितरक नहरों और जलबाहों को किसी प्रमंडल को नही आवंटित किया गया।

प्रमंडलों के बीच उपरोक्त कार्य वितरण सूची(कार्यक्षेत्र) से स्पष्ट होगा कि नहर में पूरे लम्बाई 0 से 2600 चेन में नहर निर्माण के साथ साथ सभी वितरण प्रणाली का कार्य भी प्रमंडलों को सौपा गया है ।

परियोजना सं सबंधित व्यय विवरण निम्नांकित है :-

वित्तीय वर्ष	आवंटन	कार्य-व्यय	स्थापना व्यय	अभ्युक्ति
1987-88	364.00	296.57	53.633	स्थापना व्यय 15.6 प्रतिशत मात्र ।
1988-89	565.00	549.636	78.968	
योग	929.00	846.636	132.60	

विदित हो कि जून 87 में एक अंचल एवं एक प्रमंडल बाहर से स्थानान्तरित होकर आये । उस वर्ष वर्किंग सीजन पार हो चुका था । फलत: कार्य पर प्रगति कम हुई, स्थापना पर व्यय तुलनात्मक दृष्टि से अधिक परिलक्षित है । एक प्रमंडल वर्ष 88 में अपने पूर्व स्थान से साज-सज्जा सहित स्थानान्तरित होकर आया ।

कंडिका-4.1.6.3 (क)तोरई जलाशय योजना

तोरई जलाशय योजना का कार्य वर्ष 75-76 में स्वीकृत किया गया था । शुरू में इस योजना में भू-अर्जन के लिए विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय नही रहने के कारण भू-अर्जन अधियाचना जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दुमका को ही दिया गया था । बाद में विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय देवघर में सृजित होने पर भू-अर्जन का कार्य उनके द्वारा किया गया । पुन: वर्ष 86-87 में विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय दुमका में स्थापित होने पर अब उनके द्वारा भू-अर्जन का कार्य किया जा रहा है । जलाशय क्षेत्र से विस्थापित होने वाले दो गांवों के 243 परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित करने हेतु स्थल चयन का कार्य हेतु गठित साहेबगंज जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में अंतत: 20.11.90 को कुमार भांजा एवं कालाजोर में 91.10 एकड़ स्थल का चयन कर लिया गया । भू-अर्जन के लिए अधियाचना भेजा गया

है । इस योजना से विस्थापित होने वाले प्रभावित परिवारों के समस्याओं को सरकार द्वारा निर्धारित पुनर्वास नियम के तहत 10 व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी में तथा 2 व्यक्तियों को तृतीय श्रेणी में नियुक्त की गई है । मुख्य बांध पर वर्ष 90-91 में कार्य भी प्रारम्भ किया गया ।

(ख) सुगाबथान जलाशय योजना

इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य निर्माण निगम को वर्ष 78 में सौपा गया था । जन अवरोध के कारण कार्य को स्थगित करना पड़ा । अत: वर्त्तमान में इस योजना पर कोई प्रक्रिया नही की जा रही है ।

कंडिका-4.1.6.4 तोरई जलाशय योजना एवं गुमानी बराज योजना :-

तोरई जलाशय योजना तथा गुमानी बराज योजना में प्रारम्भिक वर्षो से भू-अर्जन नही होने के कारण काफी जन अवरोध हुआ और प्रगति भी अवरूद्ध हुई । वर्ष 8374-75 से 88-89 तक कुल करीब 3400 एकड़ जमीन का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिसके विरूद्ध इसी अवधि तक 810 एकड़ जमीन अर्जित की जा सकी थी । इन वर्षो में भू-अर्जन से अनुपातिक उपलब्धि कम रही । इसका कारण दुमका में विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय का सृजन वर्ष 86-87 में होने के चलते था ।

तोरई जलाशय योजना में कुल भू-अर्जन की आवश्यकजता 3490 एकड़ की है । इसके विरूद्ध 2719 एकड़ का अधिग्रहण हो चुका है और भू-धारियों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है ।

इसी तरह गुमानी बराज योजना में भी विभिन्न वर्षो में 74-75 से 88-89 में आवश्यकतानुसार कुल 1678 एकड़ की अधियाचना की गई थी । इसके विरूद्ध इस अवधि में 1257 एकड़ जमीन ही अर्जित की गई थी ।

गुमानी बराज योजना में कुल भू-अर्जन 1842 एकड़ की आवश्यकता है । इसके विरूद्ध 1747 एकड़ का अधिग्रहण हो चुका है आलेख्य में अधिकाधिक विलम्ब से भी कार्य बाधित रहा । गुमानी बराज परियोजना के गेट की निविदा विभागीय स्तर पर चार वर्षो तक लम्बित रहने के कारण सिविल कार्य भी काफी दिनों तक लंबित रहा । पुनः बराज के मूल आलेख्य में संशोधन का प्रश्न भी निहित था, जिसका समाधान अन्ततः फरवरी 91 में संभव हो सका एवं मुख्य बराज का औसतन 60 प्रतिशत सिविल कार्य वर्ष 90-91 तक पूरा किया गया ।

इसी तरह तोरई जलाशय योजना में मुख्य शीर्ष में डाइक निर्माण का कार्य 90 प्रतिशत हो चुका है एवं कई वर्षो के बाद मुख्य बांध का रूपांकित आलेख्य एक विशेष उचाई के लिए ही प्राप्त हुआ और अन्य खंड के लिए कार्य अभी भी लम्बित है । इस योजना में स्पील चैनल, स्पीलवे तथा दांया आउटलेट आदि का रूपांकण एवं स्वीकृत आलेख्य अभी तक भी अप्राप्त है । स्पष्टतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कार्य बाधित रहा । मुख्य बांध का उपलब्ध आलेख्य के आधार पर वर्ष 90-91 में मिट्टी का कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम द्वारा प्रारंभ किया गया परन्तु अगले वर्ष से निधि उपलब्ध नही रहने के कारण कार्य स्थगित हो गया । तोरई जलाशय योजन के बांयी नहर

प्रणाली एवं दांयी नहर प्रणाली में क्रमशः 70 प्रतिशत तथा 85 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है ।

अजय बरात • योजना :-

अजय बराज परियोजना में भूमि अधिग्रहण निम्न प्रकार है :-

अजय बराज योजना के लिये भूमि की कुल आवश्यकता 10,795 एकड़ है । कार्य के लिए यथावांछित रूप में अद्यतन 5227.4 एकड़ भूमि का अधियाचना दिया गया जिसके विरूद्ध 4881.4 एकड़ (45.22 प्रतिशत) भूमि का अधिग्रहण हुआ । स्पष्ट है कि इस योजना में भू-अर्जन में कोई विलम्ब निम्न प्रकार है :-

क्र0	वर्ष	पुनरीक्षित राशि (लाख रू0 में)
1	1966	564.81
2	1973	900.10
3	1975	1034.58
4	1976	1516.68
5	1978	2181.42
6	1981	6603.00
7	1988	11076.00

जहाँ तक ड्राईगं एवं डिजाईन की स्वीकृति की बात है, इसकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग पर निर्भर थी, और केन्द्रीय जल आयोग जो भारत सरकार से संबंधित है, के द्वारा स्वीकृति में विलम्ब हुई ।

योजना के प्राक्कलन में वृद्धि का कारण मजदूरो की मजदूरी दर एवं वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के कारण हुआ है ।

पुनासी जलाशय योजना :-

इस योजना के लिए कुल 3642.84 हेक्टर भूमि की आवश्यकता थी जिसमें 3042.04 हेक्टर (79) भू-अर्जन का प्रस्ताव विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को अधियाचित था जिसके विरूद्ध 1157 हेक्टर जमीन (32.127) हेक्टर भू-अर्जन हो सका । चूंकि योजना का कार्य फेज बाईज प्रारंभ हुआ, भू-अर्जन का कार्य भी फेज बाईज नहीं हुआ । साथ ही योजना के कार्यान्वयन के लिए वन भूमि अधिग्रहण करना था । फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 के तहत वन भूमि के बदले जमीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई । विभाग के पास वन भूमि के बदले वन विभाग को देने हेतु हमीन उपलब्ध नही थी । फलस्वरूप विभाग द्वारा उपायुक्त, देवघर को योजना के कार्यान्वयन के लिए वन विभाग को वन भूमि के बदले भूमि देने हेतु सरकारी गैरमजरूआ जमीन उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया परन्तु जमीन उपलब्ध नही हो सका । यह मामला अभी भी उपायुक्त, देवघर के यहां चल रहा है । इसके अलावा प्रभावित भू-धारियों के लिए उनके पुनर्वास हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा ।

कंडिका-4.1.6.5 सरकार के संयुक्त सचिव, सिंचाई, पटना के पत्रांक 8334 दिनांक 29.12.93 तथा मुख्य अभियंता, सिंचाई, देवघर के पत्रांक 50 दिनांक 13.1.84 से बिहार राज्य निर्माण निगम को अजय बराज परियोजना का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य जून 86 में पूरा कर देना था, किन्तु कार्य की प्रगति नगण्य थी । निगम, जो राज्य सरकार का उद्यम है, के अनुरोध पर जून 99 तक समय वृद्धि मुख्य अभियंता, देवघर के पत्रांक 1626 दिनांक 5.12.86 द्वारा इस शर्त के साथ दी गई की भविष्य में समय वृद्धि नही दी जायेगी किन्तु जून 88 तक निगम द्वारा मात्र 10 प्रतिशत ही कार्य किया गया । इस असंतोषजनक प्रगति के कारण मुख्य अभियंता, देवघर ने अपने पत्रांक 660 दिनांक 28.2.90 से सभी

कार्य निगम के जिम्मे विभाग का 1,68,25,679/- रूपये बकाया रह गया था ।

कार्य वापस किये जाने के बाद बकाया राशि के संबंध में निविदा समिति के द्वारा, जिसमें मुख्य अभियंता, देवघर, वित्तीय परामर्शी न संसाधन विभाग, अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग उपस्थित थे । दिनांक 2.9.89 को निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य निर्माण निगम के जिम्मे बकाये राशि को रिकभरी के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन देंगे ।

बिहार राज्य निर्माण निगम के कार्य कलापों के संबंध में अक्टूबर 1993 में निगम के पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक हुई । उस बैठक में निगम के जिम्मे बकाये राशि को राज्यस्तर पर निर्णय लिया गया है । निगम द्वारा किये गये कार्यो पर एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय निगरानी द्वारा जाँच पड़ताल चल रहा है ।

निगम से वापस लेने के बाद निविदा आमंत्रित की गई । निविदा की स्वीकृति, अभियंता प्रमुख के पत्रांक 105 दिनांक 14.9.89 द्वारा दी गई । निविदा समिति की बैठक 2.9.89 को हुई । मेसर्स हरदेव सिंह को राज्य स्तरीय निविदा समिति द्वारा कार्य आवंटित किया गया । स्पष्ट है कि कार्य आरंभ आदेश सरकार द्वारा अनुमोदित है ।

कंडिका-4.1.6.6 गुमानी बराज निर्माण का सिविल कार्य मनोज इंजिनियरिंग को वर्ष 1984 में विभिन्न एकरारनामों के तहत आवंटित किया गया था । लगभग एकरारनामों की राशि का कार्य संवेदक द्वारा पूरा

किया गया । बराज के पियर्स का कार्य समय पर पूरा नही हुआ । इस कारण भी गेट की निविदा जो बहुत दिनों तक लम्बित रही । अन्तत: इसका निष्पादन 5.9.89 को विभाग द्वारा किया गया । बराज का स्वीकृति मूल आलेख्य भी कतिपय संशोधन के परिपेक्ष्य के उपरान्त वर्ष 90-91 में प्राप्त हुआ । वर्ष 90-91 के बाद विभाग द्वारा इस योजना पर निधि उपलब्ध नही होने के कारण आगे का कार्य स्थगित करना पड़ा। बराज के नक्शे की स्वीकृति में विलम्ब का कारण कतिपय संशोधन था ।

कंडिका-4.1.6.7 योजना कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षो मे कतिपय कठिनाई थी । जैसे: भू-अर्जन समस्या, आदिवासियों द्वारा तीव्र जन अवरोध, स्वीकृत रूपांकण के अभाव । इन कारणों से योजना के कार्य स्वीकृत कार्यक्रमानुसार संभव नही हुए । फिर भी सिंचाई परियोजनाओं के शीर्ष-कार्य एवं वितरणी प्रणाली पूर्ण क्षेत्र में सभी मुख्य नहर, शाखा नहर एवं वितरणियों में मिट्टी खुदाई का कार्य किया गया । मुख्य शीर्ष कार्य पूरा होने के पूर्व नहर वितरण प्रणाली के कार्यो को पूरा करने की सामान्य परिपाटी है ताकि सिंचाई कार्य प्रारम्भ होने में कोाई बाधा न हो । वर्त्तमान में परियोजना की वार्षिक कार्यक्रम की स्वीकृति विभाग द्वारा कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए उपलब्ध आंवटन के तहत दी जाती है और तदनुरूप ही कार्यक्रम की प्रक्रिया अपनायी जाती है । किये गये कार्य की संघन मोनिटरिंग विभिन्न स्तरों पर की जाती है । योजना पूरा करने के लिए जो निधि एवं निर्माण सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह नही हांने के कारण साथ-साथ अन्य स्थानीय समस्याओं के

कारण ये परियोजनाआयें अभी तक अधूरी रही है । जहाँ तक वरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का प्रश्न है वे योजना के कार्यो की समीक्षा विभिन्न मासिक बैठकों में करते रहे है । मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर ने गुमानी एवं तोरई जलाशय योजना का निरीक्षण 23 जुलाई 88 के अतिरिकत विभिन्न अवसरों पर अनेक बार निरीक्षण किया एवं कार्य स्थल पर आवश्यक निर्देश दिया । इसके अलावा 10.1.91 को तोरई एवं गुमानी योजना में अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना का विस्तृत निरीक्षण हुआ ।

जहाँ तक अजय बराज का प्रश्न है यह कहना कि योजना के कार्यान्वयन के लिए एक यर्थाथवादी ढांचे का कार्यक्रम का निर्धारण नही किया गया था, ऐसी बात नही है । योजना का कार्यान्वयन निश्चित कार्यक्रम के तहत ही कराया जा रहा था। अजय बराज में मिट्टी का कार्य 68 प्रतिशत एवं संरचना का कार्य 62 प्रतिशत अभी तक हुआ है । स्पष्ट है कि मिट्टी कैं कार्य एवं संरचनाओं के कार्य की प्रगति साथ हुई है ।

जहाँ तक मुख्य अभियंता के द्वारा स्थलों के निरीक्षण का सवाल है, मुख्य अभियंता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य स्थलों का निरीक्षण किया गया है । मुख्य अभियंता द्वारा प्रत्येक बार स्मारित किये जाने संबंधी विवरण लिखित रूप में नही दिया जाता है, बल्कि मुख्य अभियंता अधिकतर स्थल निरीक्षण के क्रम में मौखिक निर्देश दिया करते है । कार्य की प्लानिंग, मोनिटरिंग एवं प्रगति की समीक्षा समय-समय पर मुख्य अभियंता स्तर पर एवं राज्य सरकार के स्तर पर मासिक बैठक में किया जाता रहा है ।

योजना के समय पर पूरा नहीं होने का मुख्य कारण निधि का अभाव रहा है ।

कंडिका-4.1.7 कोई टिप्पणी नही ।

कंडिका-4.1.8.1 कोई टिप्पणी नहीं । इस परिक्षेत्र से संबंधित नही है ।

कंडिका-4.1.8.2 कोई टिप्पणी नही । इस परिक्षेत्र से संबंधित नहीं है ।

कंडिका-4.1.9 कोई टिप्पणी नही ।

कंडिका-4.1.9.1 (1) बिहार राज्य निर्माण निगम को अजय बराज परियोजना के निर्माण कार्य में जल-विहिन (डिवाटरिंग) करने के मद में एकरारनामा के अनुसार 35.65 लाख रूपये का भुगतान करना था किन्तु निगम को 46.15 लाख रूपये का भुगतान किया गया । जलविहिन करने के मद में 10.50 लाख रूपये अधिक भुगतान की राशि की वसूली के लिए मुख्य अभियंता के पत्रांक 1849 दिनांक 30.7.88 द्वारा लिखा गया है । किन्तु निमग से कार्य वापस ले लिए जाने के कारण अधिक भुगतान की गई राशि वसूल नहीं की जा सकी है । निगम के जिम्मे इस प्रकार की बकायी राशि की वसूली के लिए पूर्ण प्रतिवेदन सरकार को दे दिया गया है ।भुगतान करनेवाले पदाधिकारी निलम्बित है। उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

(11)(क) साप्ट रॉक विथ ब्लास्टीग में 2,99,000.00 रूपये की वसूली के लिए निगम को मुख्य अभियंता के पत्रांक 1849 दिनांक 30.7.88 द्वारा आदेश दिया गया है ।

मामले की जाँच निगरानी विभाग के द्वारा की जा रही है तथा भुगतान करनेवाले पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

(ख) इस मामले पर भी निगरानी विभाग द्वारा जाँच चल रही है, तथा संबंधित पदाधिकारी पर विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

(ग) मुख्य अभियंता के द्वारा 13.69 लाख रूपये निगम से वसूली के लिए विभाग को लिखा गया है । कॉपर डैम में अधिक भुगतान के लिए निगरानी द्वारा जाँच पड़ताल संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध चल रही है ।

(घ) अधिक भुगतान की भी निगरानी द्वारा जाँच चल रही है । दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध विभागयी कार्यवाही चल रही है ।

(ङ.) कट-ऑफ ट्रेन्थ के मिट्टी के उपयोग से संबंधित मामला का जाँच निगरानी द्वारा चल रही है ।

(च) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा फाईनल नक्शें में गाईड बांध एक्सीस बदलाव से यह खर्च हुआ । इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

8. अजय मुख्य नहर में मिट्टी कार्य :-

अभिलेखों से स्पष्ट है कि अजय बराज परियोजना का कुल कार्य 1972 में प्रारंभ हो गया था किन्तु नहर में मिट्टी कार्य वर्ष 94-95 में प्रारम्भ हुआ जब विभाग के द्वारा योजना के औपबंधिक प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

पुनरीक्षित प्राक्कलन के अभाव में वर्ष 1984 से मुख्य नहर में मिट्टी कार्य का कार्य बन्द रहा । अक्टूबर 1987 में योजना को पुनरीक्षित कर केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया एवं मुख्य अभिंयता के निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1944 टी. दिनांक 15.10.87 में मुख्य भियंता, देवघर ने मुख्य नहर में मिट्टी कार्य पुनः प्रारंभ करने का निर्दश दिया । तदनुसार जामताड़ा नाला तथा कुण्डहित प्रमंडलों द्वारा मिट्टी कार्य का विस्तृत प्राक्कलन मुख्य अभियंता को समर्पित कर दिया गया तथा साथ ही कार्य के लिए निविदा भी आमंत्रित की गई । किन्तु मुख्य अभियंता द्वारा पुनरीति प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, क्योंकि 1980 में स्वीकृत प्राक्कलन की तुलना में मिट्टी कार्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हो रही थी । अधीक्षण अभियंता, जामताड़ा ने अपने पत्रांक 1 कैम्प-देवघर दिनांक 3.2.88 एवं 264 दिनांक 12.2.88 द्वारा मिट्टी कार्य में बढ़ी हुई मात्रा का विशलेषण तथा उसके कारणों पर प्रकाश डाला । बताया गया कि 1980 में स्वीकृत प्राक्कलन की कुल मात्रा 92 लाख घन मीटर थी । 1981-82 में वह मात्रा बढ़कर 108 लाख घन मीटर हो गई थी । 1987 में बनाये गये प्राक्कलन जो 100 फीट पर आड़ीकट के आधार पर तैयार किया गया था के अनुसार मिट्टी की मात्रा 129.2 लाख घन मीटर आया । इसके अनुसार वृद्धि मात्र 21.5 प्रतिशत है । मुख्य अभियंता ने भी अपने पत्रांक 681 दिनांक 10.3.88 एउवं 753 टी0 दिनांक 25.3.88 में अभियंता प्रमुख को लिखा कि बढ़े हुए मात्रा 40 प्रतिशत में से 15.62 प्रतिशत वृद्धि के स्लीप में परिवर्तन के कारण तथा 34.38 प्रतिशत वृद्धि नहर की लम्बाई में वृद्धि 130 चेन के कारण तथा शेष 15 वर्षो के अन्तराल में समान क्षति के कारण हो सकती है । नहर के बाहर बैंक स्लोप 1.1/2 के बदले 2:1 करने का आदेश अभियंता प्रमुख के पत्रांक 454 दिनांक 8.6.78 द्वारा प्राप्त था किन्तु साथ ही मुख्य अभियंता ने किये गये मिट्टी कार्य की मात्रा एवं भुगतान पर संदेह प्रकट करते हुए तथा बढ़ोत्तरी के कारणों का संतोषप्रद औचित्य नही दिये जाने के आधार पर निविदाओं को रद्द करने का आदेश दिया तथा यह भी निदेशित किया कि

अजय मुख्य नहर के किसी भी भाग में अवशेष मिट्टी कार्य, तबतक प्रारंभ नहीं किया जाय जबतक कि जाँच की कार्रवाई पूरी नही हो जाती है । मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक 117 टी0 दिनांक 11.5.88 द्वारा श्री इन्द्रानन सिंह, कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल-3, देवघर के अध्यक्षता में जाँच हेतु एक समिति गठित की । समिति ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 5.12.88 में मिट्टी कार्य की मात्रा बढ़ोत्तरी का निम्नलिखित कारण बताया:-

1. नहर के रेखांकण में परिवर्तन ।
2. नहर के बैंक स्लोप में परिवर्तन ।
3. नहर के बेड स्लोप में परिवर्तन ।
4. पूर्व के स्लोप के अनुसार बेड कटिंग तथा पुनरीक्षित स्थल के भराई का कार्य ।
5. नहर के सिल्ट का जमाव तथा वर्षा से कटाव एवं
6. बिना कार्य कराये हुए संभावित अतिरिक्त भुगतान ।

इसके साथ ही जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि वर्त्तमान में अवशेष मिट्टी कार्य की मापी लेने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन में दर्शाया गया परिमाण करीब-करीब सही है ।

योजना का विस्तृत लेभल के आधार पर बनाये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जाँच के उपरान्त योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर योजना आयोग की स्वीकृति अक्टूबर 1988 में प्राप्त हुई ।

मुख्य अभियंता ने पत्रांक 225 दिनांक 4.2.79 द्वारा जाँच दल के प्रतिवेदन पर मांगे गये मंतव्य के अनुपालन में अधीक्षण अभियंता, जामताड़ा ने एक विस्तृत टिप्पणी अंचलीय पत्रांक 743 दिनांक 11.4.89 द्वारा समर्पित की । इस पत्र में

मिट्टी की मात्रा में हुई वृद्धि की समीक्षा विस्तृत रूप से करते हुए औचित्य दर्शाया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि अजय बराज योजना में अतिशय विलम्ब के कारण योजना की राश में भी और अधिक वृद्धि हो जायेगी तथा इसको पूरा करने में कार्यक्रम भी वर्षो पीछे चला जायेगा । अतः इस पत्र द्वारा मुख्य अभियंता से प्राक्कलन बनाने के संबंध में उचित निर्देश मांगा गया । अंचल द्वारा पुनः विभिन्न ग्रुपों में प्राक्कलन समर्पित भी किया गया किन्तु मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक 2057 दिनांक 17.8.89 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर अंचल द्वारा सभी प्राक्कलनों को लौटाते हुए प्राक्कलन को पुनः सुधार कर समर्पित करने का निदेश दिया ।

(क) मात्र अवशेष का ही प्राक्कलन समर्पित है । इसमें किये गये कार्यो की गणना दी जाय ।

(ख) स्वीकृत लम्ब काट, आड़ीकाट एवं रेखांकण दी जाय ।

(ग) कार्य करने के पूर्व का भू-स्तर दिया जाय ।

(घ) वर्त्तमान स्थिति की लम्ब काट, आड़ीकाट प्रस्तुत किया जाय ।

(ड.) प्राक्कलन की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित प्राक्कलन से तुलना की जाय ।

मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक 2885 दिनांक 8.8.89 द्वारा विभाग को यह लिखते हुए कि प्राक्कलन सुधार हेतु लोटा दिया गया है एवं पुनः प्राप्त होने पर पुनरीक्षित प्राक्कलन का समुचित जाँचोपरान्त स्वीकृति दी जायेगी । अगले वित्तीय वर्ष में निर्धारित कार्यक्रम में निधि आवंटन को देखते हुए अगले कार्यकारी मौसम में जाँच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन का अनुपालन करते हुए कार्यहित में कार्य अविलम्ब आरंभ करने का निदेश दिया।

इस क्रम में अंचल कार्यालय के पत्र संख्या 1530 दित्रांक 31.8.89 द्वारा 39 चेन से 1703 चेन के बीच तथा पत्र संख्या 1975 दिनांक 9.12.89 द्वारा

चेन 1700 से 2964.50 चेन के बीच मिट्टी कार्य का प्राक्कलन मुख्य अभियंता को समर्पित किया गया इसमें पूर्व मे किये गये मिट्टी कार्य की कुल मात्रा एवं राशि लम्ब काट तथा भू-स्तर आदि भी दिया गया ।

प्राक्कलन की जाँच के उपरान्त मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक 3874 दिनांक 22.12.89 के द्वारा निर्देश दिया की नहर का जितना कार्य हो चुका है उसकी स्वीकृति के लिए पूर्व कृत की दर कार्य से ही पुनरीक्षित प्राक्कलन में स्वीकृत होना है । इसलिए किये गये कार्य को पुराने दर पर राशि क्या है, सूचित की जाय । पुराने दर पर मिट्टी कार्य 15 वर्षो के अन्तराल में विभिन्न अंचलों के अधीन विभिन्न प्रमंडलों द्वारा विभिन्न दरों पर कराया गया था और उन्हें एकत्रित करना अत्यन्त दुष्कर था । फिर भी निदेशानुसार सिंचाई प्रमंडल, झाझा, सिकटिया, जामताड़ा नाला एवं कुण्डहित के भाउचरों के आधार पर किये गये कार्य की मात्रा एवं राशि, अथक प्रयास के बाद एकत्रित की गई है । इस तरह 1984 से मार्च 1991 तक अजय मुख्य नहर में मिट्टी का कार्य नगन्य ही रहा । इसमें स्पष्टत: बताया गया कि समिति ने जो रिर्पोट दिया था उसमें मिट्टी की मात्रा में बढ़ोत्तरी का कारण दर्शाया है । साथ ही पुनरीक्षित प्राक्कलन मे दर्शाई गई मात्रा को करीब-करीब सही माना है । उस रिपोर्ट पर न तो किसी तरह की कार्रवाई करने का प्रश्न है और न ही अतिरिक्त वित्तीय भार होने का ही प्रश्न है ।

9. सिमेन्ट सेट करने के संबंध में :-

सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया:- इस संबंध में आर्य कुमार सरकार, कनीय अभियंता एवं मो0 सकीरूद्दीन, कनीय अभियंता तथा श्री किशोरी लाल आर्य, सहायक अभियंता को दोषी ठहराते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता के पत्रांक 2659 दिनांक 12.9.95 द्वारा लिखा गया है ।

सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा :-

इस संबंध में श्री महादेव मोदी, कनीय अभियंता, श्री शालीग्राम सिंह, कनीय अभियंता, श्री राम कृष्णा प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, श्री उमेश प्रसाद यादव, सहायक अभियंता (यांत्रिक) को दोषी ठहराते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के पत्रांक 647 दिनांक 13.11.95 द्वारा लिखा गया है ।

कंडिका-4.1.9.2 (1) पुनासी जलाशय योजना के चेन 0 से 30 तक बांध निर्माण का कार्य सिंचाई प्रमंडल, झाझा द्वारा स्पीलवे प्रमंडल, देवघर को प्राप्त कराया गया । योजना का कार्य पूरा करने हेतु 3042 हेक्टेयर जमीन अर्जन हेतु विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर को अधियाचित थी । इसके विरूद्ध (32.12 प्रतिशत) 1157 हेक्टैयर भूमि अर्जन हो सका । चूंकि इसमें वन भूमि भी पढ़ रही थी । अधिग्रहण वन संरक्षण कानून, 1980 के तहत वन भूमि के बदले जमीन देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई । विभाग के पास वन भूमि के बदले वन विभाग को देने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं थी जिसके लिए उपायुक्त, देवघर को लिखा गया । इसके साथ-साथ निजी जमीन अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा । फलस्वरूप भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका । इस भाग में भू-अर्जन की कठिनाई के कारण ग्रामीण जनता द्वारा कार्य स्थल पर अवरोध उपत्पन्न किया जाता रहा तथा विस्थापितों को बसाने एवं विस्थापित परिवार के एक सदस्यों को नौकरी देने को लेकर कार्य स्थल पर काफी अवरोध उत्पन्न होता रहा, जिसके चलते निर्धारित समय पर संवेदक द्वारा कार्य पूरा नही कराया जा सका और वर्ष 86 में संवेदक का एकरारनामा बन्द कर दिया गया ।

पुनः प्रयास किया गया एवं स्थिति में सुधार को देखते हुए पुनः निविदा की गई किन्तु जन अवरोध के कारण अन्य किसी दूसरे संवेदक द्वारा निविदा नही दी गयी । फलस्वरूप पूर्व के संवेदक को ही जिन्होंने निविदा दी थी, कार्य पुनः आवंटित किया गया, लेकिन पुनः स्थिति बिगड़ गई एवं संवेदक द्वारा पुनः कार्य नही कराया जा सका तथा वर्ष 87 में एकरारनामा बन्द कर दिया गया ।

चूँकि इसमें संवेदक का कोई दोष नही था, इसलिए उन पर कोई जुरमाना आरोपित नहीं किया गया ।

(II) पुनासी बांध के चेन 30 से 41 तक के कार्य हेतु हर निविदा दाता द्वारा दर दिया गया जिसमें निगम के अलावे दो श्रमिक सहयोग समितियों एवं अजय कन्स्ट्रक्शन रॉंची द्वारा भी दर दी गयी थी । जिसमें श्रमिक सहयोग समिति का दर अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत कम दर पर था ।

प्राप्त निविदा इस कार्यालय के द्वारा मुख्य अभियंता, देवघर को दिया गया और इस निविदा का आवंटन विभागीय स्तर पर गठित निविदा समिति एवं अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा किये गये निर्णय के अलोक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के पत्रांक 627 दिनांक 30.6.86 द्वारा 5 प्रतिशत अधिक दर पर बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य आवंटित किया गया । निर्माण निगम सरकार का एक उद्यम है और सरकार के नीति के तहत ही उन्हें कार्य दिया गया । जन अवरोध के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका ।

(III) (कट ऑफ ट्रेन्च) से निकली हुई मिट्टी बांध निर्माण कार्य लायक नहीं थी, जैसा कि प्रो0 एस0 के0 सिन्हा, बीआई0टी0 सिन्द्री द्वारा प्राप्त मिट्टी जॉच प्रतिवेदन से परिलक्षित होता है ।

रिसर्च पदाधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार बोरा एरिया से सटे हुए मिट्टी लाकर बांध का निर्माण कराया गया तथा वास्तविक लोड के अनुसार निगम को भुगतान किया गया । फलस्वरूप अधिक व्यय कार्य में हुआ ।

कंडिका-4.1.9.3 इस क्षेत्र से संबंधित नही है ।

कंडिका-4.1.9.4 लघु सिंचाई योजना से संबंधित है ।

कंडिका-4.1.9.5 भीम नाला लघु सिंचाई से संबंधित है ।

कंडिका-4.1.10 अन्य दिलचस्प प्रकारण:-

कंडिका-4.1.10.1 सिंचाई अंचल, दुमका:

पूर्व में बिहार राज्य निर्माण निगम, अजय बराज, गुमानी बराज तथा तोरई जलाशय योजना में कार्य हेतु विभागीय आदेश के आलोक में मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया गया था, जिसका आंशिक रूप से वसूली तत्काल किया गया बाद में उनके द्वारा इन पर किये गये कार्यो के भुगतान एवं वसूली के संबंध में वर्ष अक्टूबर, 93 राज्यस्तरीय बैठक सचिवालय में आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में हुई जिसमें समग्र रूप से इनसे चलाये मान पेशगियों की वसूली पर निर्णय लिया जा चुका है ।

कंडिका-4.1.10.2 यह कंडिका इस क्षेत्र से संबंधित नही है ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस परिक्षेत्र से संबंधित कंडिकाओं को

समाप्त करने हेतु समर्पित किया जाता है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-4.2

कंडिका-4.2 दुर्गावती जलाशय परियोजना

विभागीय स्पष्टीकरण:

4.2.1 परिचय

दुर्गावती जलाशय परियोजना की परिकल्पना दुर्गावती नदी जो कर्मनाशा नदी की एक सहायक नदी है, की जल संसाधनों की काम में लाने के लिए की गई थी और उसके द्वारा अघौरा, भगवानपुर और रोहतास जिलों के चेनारी प्रखंडों के अल्पवृष्टि वाले क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना था ! परियोजना की योजना आयोग द्वारा 1975 में मंजूरी मिली थी ।

4.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

परियोजना, एक अधीक्षण अभियंता, जिसके अधीन 6 कार्यपालक अभियंता जो 4 असैनिक प्रमंडलों और 2 यांत्रिक प्रमंडलों का कार्यभार संभाले थे, के द्वारा नैतृत्व प्रदान किया जाता है । अधीक्षण अभियंता, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जल संसाधन, डेहरी ऑन सोन से संलग्न है ।

4.2.3 लेखा परीक्षा विस्तार या क्षेत्र

अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं के कार्यालयों में मार्च 1989 तक की अवधि के लिए मार्च से मई 1989 तक संचालित

परियोजना के अभिलेखों की जाँच परीक्षक के दौरान देखे गये बिन्दुओं को निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लिखित किया गया है ।

4.2.4 विशिष्टनाएं

-- दुर्गावती जलाशय योजना का न तो वास्तविक परियोजना प्रतिवेदन (राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्तर पर सितम्बर 1976 में अनुमोदित) नही आधुनिक परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मई 1989 तक निकासी किया गया था । राज्य सरकार द्वारा भी आधुनिक परियोजना प्रतिवेदन को अनुमोदित नहीं किया गया था ।

(कंडिका: 4.2.6)

-- अपर्याप्त सर्वेक्षण और अन्वेषण ले परिणामस्वरूप कार्य की प्रारंभ करने में देरी होने के कारण अनुमानों को 25.30 करोड़ रूपये (सितम्बर 1976) से 100.98 करोड़ रूपये अगस्त 1983 में संशोधित करना पड़ा ।

(कंडिका: 4.2.6 एवं 4.2.7.2)

-- मार्च 1989 तक मृदा बांध का कार्य अंशत: पूर्ण हुआ था और नहर कार्य मई 1989 तक प्रगति पर था, उत्पलव मार्ग और वितरक नदियों में मई 1989 तक कार्य शुरू ही नही हुआ था । मार्च 1989 तक व्यय 39. 10 करोड़ रूपये तक कर दिया गया था ।

(कंडिका: 4.2.7)

-- बांध के एक भाग का अनुमानित लागत को निर्धारित करने में अन्तिम आरेखण के आधार पर विफलता के परिणामस्वरूप लागत में 84.38 लाख रूपये के दाम पर वृद्धि हुई ।

(कंडिका: 4.2.8.1)

-- कारगंर पर्यवेक्षण के अभाव और सी.डब्लू.सी. के बिना निकासी के

बावजूद लिये गये कार्य के परिणामस्वरूप 11.25 लाख रूपये का एक निष्फल व्यय हुआ ।

(कंडिका: 4.2.8.2 और 3)

-- स्थापना व्यय का कार्य व्यय से अनुपात उच्च 21 प्रतिशत परियोजना प्रतिवेदन में अपेक्षित 95 प्रतिशत के विरूद्ध था ।

(कंडिका: 4.2.8.4)

-- 290.80 लाख रूपये का भारी मशीन एकदम विष्क्रिय पड़ा रहा । मार्च 1989 तक उनके मरम्मत/देखभाल पर 138.21 लाख रूपये का व्यय वहन करना पड़ा और 380.29 लाख रूपये निष्क्रिय स्थापना पर ।

(कंडिका: 4.2.8.5)

4.2.5 परियोजना का कार्यक्षेत्र

परियोजना के अन्तर्गत एक 46.3 मीटर ऊँचा और 1615.4 मीटर लम्बा रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में कर्माचट गांव के नजदीक दुर्गावती नदी पर मिट्टी का बांध बनाने का विचार किया गया था साथ ही 0.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भूमि का वार्षिक सिंचाई के लिए बांध के दोनों हिस्सों में 57.35 कि.मी. लम्बा मुख्य नहर (दाहिने 34.87 कि.मी., बांये 22.48 कि.मी.) के निर्माण पर भी विचार किया गया था । इसके अतिरिक्त यह 0.18 लाख हेक्टेयर फसल वाले क्षेत्र की भी सिंचाई का स्थायी करेंगे, जो कुर्दा गांव के निचली धारा पर स्थित दुर्गावती वीयर जो 1960 में निर्मित के नियंत्रित क्षेत्र में पड़ता था । परियोजना की अन्य प्रमुख विशेषताएं परिशिष्ट 12 में दी गयी है ।

4.2.6 आकलन का संशोधन

परियोजना की प्रशासनिक स्तर पर 25.30 करोड़ रूपये के लिए सितम्बर 1976 में सरकार द्वारा अनुमादित किया गया था और तकनीकी स्वीकृति

सात वर्षों के बीतने के बाद अक्टूबर 1983 में मुख्य अभिंयता द्वारा दी गई थी । इसी समय में 88.30 करोड़ रूपये का एक संशोधित अनुमान तैयार किया गया था और अगस्त 1981 में सी.डब्लू.सी. को भेजा गया था । सी.डब्लू.सी. से प्राप्त टिप्पणी के आधार में संशोधन अनुमानों को पुनः आधुनिक 100.98 करोड़ रूपये का किया गया था (अगस्तर 1983) न ही वास्तविक परियोजना की या न ही, आधुनिक परियोजना को मई 1989 तक सी.डब्लू.सी. द्वारा आकलन मंजूरी दी गई थी । आधुनिक परियोजना का राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकृत नहीं किया गया था । उत्पन्न होने वाली सिंचाई शक्ति में प्रत्याशित वृद्धि के बिना ही परियोजना लागत में 25.30 करोड़ रूपये से 100.98 करोड़ रूपये की वृद्धि हो गई थी । विभाग द्वारा लागत में वृद्धि को मूल्यों मे बढ़ोत्तरी, चूना-पत्थर के मौजूदगी के कारण बांध में विशेष नींव अभिक्रिया, ढाँचे में बदलाव और वास्तविक अनुमान में अपर्याप्त आप्रावधानों पर आरोपित किया गया था।

4.2.7 कार्य की प्रगति

दुर्गावती जलाशय परियोजना का कार्य वर्ष 1977 में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु विस्तृत भू-गर्भीय सर्वेक्षण के आधार पर मूल रेखांकन में बदलाव करना पड़ा । दुसरी ओर योजना के डुब क्षेत्र में पड़नेवाले निवासियों के द्वारा प्रबल अवरोध, श्रम एवं निर्माण सामग्रियों के दरों में वृद्धि तथा समय-समय पर संसाधनों की कमी के कारण योजना की लागत में वृद्धि हुई है । रोहतास एवं कैमूल जिला के सुखाग्रस्त एवं पिछड़े क्षेत्र में 14,889 हे0 खरीफ एवं 5,666 हे0 रब्बी में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना को कार्यान्वयन चल रहा है । वर्त्तमान में यह योजना त्वरित सिंचाई लाभ के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त ऋण सुविधा के अर्न्गत कार्यान्वित हो रहा है । वर्त्तमान मे दुर्गावती स्पीलवे, बाँया आउटलेट, डैम के 0 से 3 चेन के बीच निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा

डैम के नदी फ्लोवर वाले भाग में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। बाँया तट एवं दाँया तट नहरों के मिट्टी कार्य एवं संरचना का कार्य भी प्रगति पर है । योजना से शीघ्र सिंचाई सुविधा प्राप्त करने हेतु मार्च 2003 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।

4.2.8.1 दुर्गावती बांध के चेन 0 से 11 तक के बीच का निर्माण कार्य स्पेशफिक ड्राईन्म के आधार पर तैयार किए गए परिमाण विपत्र के आधार पर आवंटित किया गया था । विस्तृत अनुसंधान एवं सर्वे के आधार पर कार्य की प्राक्कलित राशि में वृद्धि होने के कारण ही 341.25 लाख रूपये से बढ़कर 539.18 लाख रूपये हो गई । वर्ष 88-89 में बिहार राज्य निर्माण निगम के सहमति के आधार पर 3 से 11 चेन के बीच कार्य आवंटित किया गया । 0 से 3 चेन के बीच डैम का निर्माण कार्य वर्ष 2000-2001 में आवंटित किया गया है एवं कार्य पूर्ण प्रगति पर है ।?

4.2.8.2 बांध के गर्भ में लाए जानेवाले ओरिजेन्टल फिल्टर के अनुमानित त्रुटियों के आधार पर तत्कालीन मुख्य अभिंयता के स्थल निरीक्षण के आधार पर कार्य बन्द कर दिया गया था । मुख्य अभियंता के यह आदेश अनुमानित त्रुटियों पर आधारित था, किन्तु सामग्रियों की जाँच राज्यस्तरीय रिसर्च संस्थान, खगौल से कराये जाने पर प्राप्त निष्कर्ष में फिल्टर की गुणवता को सही ठहराया गया जिसके आधार पर मुख्य अभियंता के पत्रांक 176 दिनांक 9.2.87 के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में इस कार्य हेतु राशि का भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार इस भुगतान को अनियमित नहीं कहा जा सकता है ।

4.2.6.3 दुर्गावती मिट्टी बांध के रेखांकन निर्धारण के क्रम में चेन 44 से 46 में केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा ट्रायल आवरण पिलाई (ग्राउटिंग) कराने की आवश्यकता बताई गई थी । यह आदेश केन्द्रीय जल आयोग के निदेशक का पत्रांक 2/14/82 ए.आर.डी.डी. 1162 दिनांक 23.10.82 एवं

पत्रांक 2/14/84 ए.आर.डी.डी. 1131 दिनांक 7.2.83 के द्वारा दिया गया था । पुनः केन्द्रीय जल आयोग की टीम के द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान ट्रायल आवरण पिलाई (ग्राउटिंग) के परिणाम की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि आवरण पिलाई की आवश्यकता नही है । पूर्व के निर्माण एवं बाद में टीम के निरीक्षण के अन्तराल में जो ट्रायल आवरण पिलाई का कार्य कराया गया उसकी राशि 5.95 लाख रूपये थी। बिना ट्रायल आवरण पिलाई का कार्य कराए हुए यह सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं था कि प्रस्तावित रेखांकन पर मिट्टी कार्य उपयुक्त है अथवा नही । इतनी बड़ी लागत राशि की जलाशय योजना के निर्माण के लिए इस तरह की ट्रायल एवं यद्र-छीद्र (रेन डम) की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो । उपरोक्त तल्य के आलोक में इस कंडिका को विलोपित किया जाय ।

4.2.8.4 परियोजना का कार्य वर्ष 1977 में प्रारम्भ करने के आरम्भ से ही डूब क्षेत्र में पड़नेवाले निवासियों के द्वारा प्रबल अवरोध, समय-समय पर संसाधनों की कमी के कारण शीर्ष कार्य में फाउन्डेशन एवं जिओ-टेकनिकल के समस्या के कारण योजना की अपेक्षित प्रगति नही हो पाई, परन्तु निर्माण कार्य में लगे स्थापना का व्यय नियमित रूप से जारी रहा । यही कारण है कि स्थापना व्यय एवं परियोजना का निर्माण कार्य में समानुपातिक संतुलन नही रह सका । उपरोक्त स्थिति के आलोक में इस कंडिका को विलोपित की जाय ।

4.2.8.5 परियोजना के निर्माण कार्य में लगे मशीनों यंत्र-संयंत्र इत्यादि क्षेत्रीय यांत्रिक प्रमंडल, भीतरी बांध एवं यांत्रिक प्रमंडल, भीतरीबांध के नियंत्राधीन था । उक्त दोनो प्रमंडलों कायोजना के कार्यान्वयन में समय-समय पर उपयोग होता रहा । इन मशीनों को स्पीलवे के ओभर वरडेन कार्य में भी प्रयोग किया गया । उक्त तथ्यों के आलोक में इस कंडिका को

विलोपित किया जा सकता है ।

कंडिका 4.2.1 से 4.2.7 तक परिचयात्मक कंडिका है, जिसे मुख्य रूप से किस बिन्दुवार आपत्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है ।

कंडिका 4.2.8.6 से संबंधित मामले की छानबीन की जा रही है ।

कंडिका-4.2.8.7

(1) कार्य की धीमी प्रगति : 1976 में प्रशासनिक स्वीकृति देते समय यह अपेक्षा की गई थी कि कार्य 6 वर्षो में पूरा हो जायेगा । लेकिन डैम का निर्माण नवम्बर 1985 प्रारम्भ किया गया । मार्च 1989 तक 50 चेनों में से 26 चेनों का कार्य पूरा किया गया । 8 चेनों में कार्य प्रारम्भ। ही नहीं किया गया । 6 चेनों में लेखा परीक्षा की तिथि तक कार्य प्रगति में थी । दो मुख्य नहर जिसकी लम्बाई 57.35 कि.मी. थी, में 51.27 कि.मी. में कार्य प्रगति में था। वितरणी नाले के निर्माण एवं स्पीलवे निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं किया गया । इस कार्य के लिए 6 प्रमंडलों का निर्माण किया गया लेकिन दाहिनी किनारा मुख्य नहर प्रमंडल चेनारी को छोड़करअन्य सभी प्रमंडल कार्य स्थल से 56 कि.मी. दूर सासाराम में अवस्थित थे । उससे भी कार्य सम्पादन में बाधा हुई ।

(2) कार्य के प्रारम्भ होने में विलम्ब का कारण निधि की कमी बतलाया गया । लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मूल आकलन बिना कोई जाँच एवं अन्वेषण के बनाया गया । उसका नक्शा सी.डब्लू.सी. को 1981 में भेजा गया जिसे सी.डब्लू.सी. नवम्बर 1984 में लौटाया । इस प्रकार विभागीय क्षेत्र ही कार्य में विलम्ब के लिए प्रमुख थे ।

कंडिका-4.2.8.8

(i) चेन 0 से 11 तक मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए विभाग ने एक औपबंधिक नक्शे के आधार पर निर्माण व्यय (325.00 लाख) की गणना की और बिहार राज्य निर्माण निगम से अनुमानित व्यय से 5 प्रतिशत ऊँचे दर पर उसके निर्माण के लिए 341.25 लाख रूपये का अनुबंध किया (सितम्बर 1985) फरवरी 1986 में अंतिम नक्शा तैयार हुआ जिसके अनुसार अनुमानित व्यय बढ़कर 539.18 लाख रूपये हो गया (चेन 0 से 3-37.75 लाख एवं चेन 4 से 11- 501.43 लाख) निगम ने चेन 0 से 3 को छोड़ शेष स्थलों पर 355.29 लाख रूपये का कार्य कर शेष कार्य बंद कर दिया । उसी शेष कार्य के लिए निगम के साथ एक दूसरा अनुबंध किया गया (जनवरी 1989) और चेन 4 से 11 के शेष कार्य के लिए अनुमानित व्यय 172.21 लाख रूपये से 255.99 लाख रूपये हो गया । इस प्रकार अन्तिम नकशे को तैयार किये बिना अनुमानित व्यय आंकने और अंतिम नक्शे में बिलम्ब के कारण विभाग को मात्र चेन 4 से 11 के कार्य के लिए 84.38 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

(ii) चेन संख्या 45 और 47 के बीच के डैमा पर समतल फिलटर बनाने का काम 10 सितम्बर 1983 में एक संवेदक को दिया गया । लेकिन 4. 70 लाख रूपये के कार्य के सम्पादन के बाद यह पाया गया कि इस कार्य में स्पेसीफिकेशन एवं डिजाईन का पालन नही किया फलस्वरूप इसे बांध पर से हटाया गया जिसपर 0.60 लाख रूपये व्यय करना पड़ा । इस प्रकार समय-समय पर कार्य के निरीक्षण नही होने के कारण विभाग को 5.30 लाख रूपये का निष्फल व्यय करना पड़ा ।

(iii) उसी प्रकार चेन संख्या 44 से 46 के बीच के मिट्टी बांध पर करटेन ग्राउटींग 19.96 लाख रूपये पर एक संवेदक को किदया गया । जब सी.

डब्लू.सी. का एक दल ने अपने दौरे के सिलसिले में देखा तो बतलाया कि मिट्ब्ह के बांध पर ग्राउटींग की आवश्यकता ही नहीं थी । उस समय तक इस कार्य प- कुल 5.95 लाख रूपये का निष्फल व्यय इस कार्य पर दिया जा चुका था ।

(iv) प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट पर व्यय किये जाने पर कुल निधि का मात्र 9.5 प्रतिशत ही उसके स्थापना पर व्यय करना था । जब कि उस परियोजना का स्थापना व्यय 21 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार उसके स्थापना पर 8.07 करोड़ रूपये के बजाय 6.78 करोड़ रूपये व्यय किये गये ।

(v) परियोजना के यांत्रिक प्रमंडल द्वारा डोजर, डम्पर, स्पैयर आदि भारी मशीनों का क्रय किया । इस क्रय पर 290.80 लाख रूपये का व्यय किया गया । लेकिन लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि इन मशीनों से काम नही के बराबर लिया गया । लेकिन इसकी मरम्मति एवं संधारण पर मार्च 1989 तक 138.21 लाख रूपये का व्यय किया गया । साथ ही साथ इसके स्थापना पर प्रति वर्ष 380.29 लाख रूपये मार्च 1989 में हो रहा था । इन मशीनों के भविष्य में उपयोग की भी कोई सम्भावना नही था ।

(vi) डैम डिविजन 1 के कार्यपालक अभियंता द्वारा एक जीप पर 1987-89 के बीच 0.99 लाख रूपये का व्यय दिया गया । उसी प्रकार अन्य गाड़ियों की मरम्मति के लिए भी अपनी स्वीकृति शक्ति का दुरूपयोग अधीक्षण अभियंता द्वारा किया गया ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग द्वारा दिये गये उत्तर से समिति संतुष्ट है । आगे की योजनाओं के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें । समिति इसे अब आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-4.3

कंडिका-4.3 निष्फल या व्यर्थ व्यय

1986-87 के दौरान 8,000 हेक्टेयर के रब्बी फसलों की सिंचाई के दृष्टिकोण से सरकार ने अक्टूबर 1986 में पूर्वी चम्पारण में घोड़ासाहन नहर के मरम्मत के प्रस्ताव को अनुमादित किया । नहर 1986 के बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ था जिसके कारण खरीफ फसल की भारी हानि हुई थी ।

मुख्य अभियंता (नवम्बर 1986) द्वारा जारी आदेशों के आधार पर अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, रक्सौल, (प्रतियोगी दरों पर कार्य सौपने के सामान्य क्रिया विधि के प्रतिकूल) नहर के विभिन्न खण्डों में मृदाकार्य के कार्यान्वयन के लिए नवम्बर 1986 और जनवरी 1987 के बीच 241 ठेकेदारों का नामांकन के आधार पर और अनुमानित लागत अनुसूचित दरों के आधार पर काम में लगाया ।

कार्य, जो कार्यपालक अभियंता, घोड़ासाहन नहर प्रमंडल, रक्सौल द्वारा सम्पन्न करना था और 15 दिनों में पूर्ण करने के लिए लक्षित था, रब्बी मौसम (मार्च 1987) के बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा था। कार्य के कार्यान्वयन के ढंग पर लगाये गये विभिन्न आरोपों के बाद, सभी खण्डो में अतिरिक्त कार्य को सरकार ने विलम्बित अतिरिक्त अन्वेषय के आदेशों के अन्तर्गत अप्रील 1987 से रोक दिया था ।

इसी बीच विभाग बकाया उत्तरदायित्व 25.88 लाख रूपये (मार्च 1989 तक स्वीकृत नहीं) सहित निलम्बित कार्यो पर 76.80 लाख रूपये खर्च कर चुका था । प्रमंडल में अभिलेखों की छानबीन प्रगटित करता था कि अक्टूबर 1986 और मार्च 1987 के बीच रब्बी मौसम के दौरान, नहर से कोई सिंचाई नही हुई या जिसने प्रमंडल राजस्व वसूलिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जैसा कि उप-समाहर्त्ता, राजस्व विभाग, मोतिहारी के प्रतिवेदन से देखा जा सकता था जो मुख्य अभियंता के जलदरों की वसूली के लिए जिम्मेवार थे । कार्यपालक अभियंता ने यद्यपि दावा किया (जनवरी 1986) कि 8,000 के लक्ष्य के विरूद्ध 1,872 हेक्टेयर सिंचाई उपार्जित किया था, निकृष्ट प्रदर्शन के लिए नहर में पानी

की अनुपलब्धता को आरोपित किया।

इस संबंध में, यह देखा गया कि 6 मामलों में, यद्यपि अनुबंधों का कार्यान्वयन 24 मार्च 1987 को हुआ था, उन अनुबंधों के विरूद्ध चलित खाता बिलों का भुगतान तत्काल पारित, 28 मार्च 1987 को, जैसा कि 4 दिनों के अन्दर हो गया था ।

अत: मरम्मत कार्यो पर खर्च 76.80 लाख रूपये का व्यय, जिसका कार्यान्वयन अप्रील 1987 से बंद था, निष्फल प्रदर्शित था क्योंकि प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

वर्ष 1986-87 में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण घोड़ासहन नहार की स्थिति क्षत-विक्षत हो गयी थी । नहर की स्थिति को देखकर अभियंता-प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव ने अपने पत्रांक-9625 दिनांक 23.10.86 द्वारा रब्बी सिंचाई हेतु नहर की मरम्मति के लिए नामांकण के आधार पर अनुसूचित दर पर बिना निविदा आमंत्रण के 1.00 लाख रू0 का कार्य अधीक्षण अभियंता एवं 2.00 लाख रू0 का कार्य मुख्य अभियंता को आवंटित करने का शक्ति प्रदत्त किया ।

2. सभी संवेदकों का वर्ष 86-87 का दायित्व विभागीय पत्रांक 3027 दिनांक 31.12.90 एवं 480 दिनांक 12.3.90 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ।

3. कार्य में की गयी अनियमितता का उड़नदस्ता एवं मंत्रिमंडल निगरानी विभाग अन्वेषण व्यूरों के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पदाधिकारियों को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी एवं 20 पदाधिकारी दंडित किये गये । कैबिनेट भीजीलेन्स अन्वेषण व्यूरों के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संवेदको/पदाधिकारियों के विरूद्ध 13 कीमीनल केश दायर है जिसमें पदाधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई है । इन पर निम्न आरोप कैबिनेट- भीजीलेन्स के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित पाया गया :-

(क) 1.05 लाख रू0 का अतिरेक भुगतान ।

(ख) 3.20 लाख रू0 का अतिरेक विपत्र बनाना अर्थात् अधिक भुगतान करने की मंशा ।

दंडादेश का पत्रांक निम्न है :-

क्रमांक	पदनाम	दंडादेश सं0	दिनांक
1	अ0अ0	680	15.5.2000
2	का0अ0	2995	17.9.97
3	स0अ0	133	8.2.99
4	स0अ0	126	5.2.99
5	स0अ0	117	4.2.99
6	स0अ0	595	3.8.99
7	स0अ0	164	13.2.99
8	स0अ0	134	8.2.99
9	स0अ0	600	6.8.99
10	स0अ0	925	21.8.98
11	क0अ0	228	4.9.92
12	क0अ0	109	3.2.99
13	क0अ0	66	24.4.95
14	क0अ0	451	26.7.94
15	क0अ0	264	4.11.92
16	क0अ0	1015	7.9.98
17	क0अ0	163	13.2.99
18	क0अ0	127	5.2.99
19	क0अ0	136	8.2.99
20	क0अ0	135	8.2.99

4. उपरोक्त नहर की मरम्मति पर वर्ष 86-87 में 50.92 लाख रू0 एवं वर्ष 87-88 में 1081 लाख रू0 एवं वर्ष 88-89 में 5.00 लाख रू0 कुल 57.73 लाख रू0 व्यय हुआ ।

5. 76.08 लाख रू0 नही बल्कि 50.92 लाख रू0 जो खर्च 1986-87 में हुआ उसे पूर्ण रूपेण निष्फल नहीं कहा जा सकता है । चूँकि कार्य वर्ष 87 में पूरा नही हो पाया, अतः इन्सटेन्ट लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका किन्तु 50.00 लाख रू0 का कार्य कराने केबाद बचा हुआ अवशेष कार्य जो वर्ष 92 में पूरा हुआ उसके बाद से 14,000 हेक्टेयर (रब्बी और खरीफ) सिंचाई हो रहा है ।

अतः यह स्पष्ट है कि वर्ष 86-87 का व्यय निष्फल नही कहा जा सकता है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक मे समिति इसे अब आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-4.4

कंडिका-4.4 एक रेल पुल के निर्माण मे विलम्ब

2,131 हेक्टेयर की भूमि में सिंचाई प्रदान करने की दृष्टि से, विभाग ने गोपालगंज जिलेअ में गंडक परियोजना के सारण नहर योजना के अन्तर्गत बहादुरा उप-वितरिका नवा का निर्माण प्रस्तावित किया । जैसा कि एक रेल लाईन प्रस्तावित उप-वितरिका नदी को सिंधवलिया और दिग्वा-दुवूलिया रेल स्टेशनों के बीच आरडी 3.34 को अवरूद्ध कर रहा था, मुख्य अभियंता, जल संसाधन, सीवान ने प्रमंडल रेल प्रबंधक (डी.आर.एम.) वाराणसी से अप्रैल 1984 में प्राथित किया एक रेल पुल के निर्माण के लिए, जिससे उप-वितरिका नदी के जल का युक्त वहाव हो सके ।

रेल विभाग द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के आधार पर, कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज ने डी.आर.एम. वाराणसी को जून 1984 में, पुल की लागत के तहत, 12.77 लाख रूपये (0.08 लाख रूपये पूर्व जमा सहित) जमा किया । रेल विभाग को जनवरी 1985 में अनुमानों के संशोधन के हिसाब से 1.30 लाख रूपये की एक राशि का पुन: भुगतान किया गया था । यह देखा गया कि कुछ प्रारम्भिक कार्यों को छोड़कर, कार्यपालक अभियंता द्वारा डी.आर.एम. वाराणसी को नियमित दिए गए स्मरण पत्रों के वावजूद रेल विभाग ने अगस्त 1989 तक पुल के निर्माण को आरम्भ नही किया था । विभाग ने फिर भी न ही मामले को रेल बोर्ड के साथ उठाया और न ही मुख्य प्रबन्धक, नोर्थ इष्टन रेलवे, गोरखपुर (अगस्त 1989) के साथ काम को शीघ्र संपादित करने के लिए उठाया ।

रेल विभाग के पास 14.07 लाख रूपये करीब 5 वर्षो के लिए अवरूद्ध हो जाने के अलावे, निर्माण में विलंब के परिणामस्वरूप भी विभाग को हिताधिकारियों से जलदरों के रूप में राजस्व की सालाना हानि हुई थी जो कि कार्यपालक अभियंता (अगस्त 1989) के अनुसार अर्पेल 1985 से प्रति वर्ष 2. 71 लाख रूपये की राशि थी । मामला को अक्टूबर, 1989 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था । जबाव प्राप्त नही हुआ था (जुलाई 1992) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

रेलवे के द्वारा पुल निर्माण का कार्य पुरा हो गया है । रेलवे पुल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है ।

अत: रेवले द्वारा कार्य पूर्ण होने के बाद सिंचाई नहर को जोड़कर संभव हो पाया ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति इसे अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-4.5

कंडिका- 4.5 सर्वेक्षण और अन्वेषण पर अविवेकपूर्ण व्यय

कार्यपालक अभियंता, प्रधान योजना और अन्वेषण प्रमंडल, डाल्टेनगंज ने बिना प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति के पलामू जिला के डेवरी नदी पर एक जलाशय योजना के सर्वेक्षण और अन्वेषण जुलाई 1981 से आरम्भ कर दिया था । अक्टूबर 1985 में सरकार द्वारा 9.63 लाख रूपये का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था ।

जब सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य प्रगति पर था, अधीक्षण अभियंता, मुख्य योजना और अन्वेषण अंचल, डेहरी (रोहतास) ने नवम्बर 1984 में स्थल के अपने निरीक्षण के दौरान देखा कि प्रस्तावित योजना के जलाशय क्षेत्र के नजदीक ही, केन्द्रीय कोल फील्ड समिति (सी.सी.एल), राँची (भारत सरकार का एक उपक्रम) द्वारा खनन कार्य चलाया जा रहा था ।

विभाग द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त सूचनायें प्रदर्शित करती थी कि प्रस्तावित योजना को सम्पूर्ण जलाशय क्षेत्र पूर्णतया सी.सी.एल. प्राधिकारियों द्वारा खनन कार्यो के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी थी । मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना -11 पटना ने अधीक्षण अभियंता (दिसम्बर 1985) को अनुशंसा पर प्रस्ताव को छोड़ दिया और तभी से (जुलाई 1986) अतिरिक्त सर्वेक्षण और अन्वेषण को रोक दिया था । इसी बीच, विभाग ने उस समय तक योजना के सर्वेक्षण और अन्वेषण पर 9.67 लाख रूपये का व्यय वहन कर चुका था जो अन्ततोगत्वा निरर्थक सिद्ध हुआ ।

मामला सरकार को अक्टूबर 1989 में प्रतिवेदित था, जबाव प्राप्त नही हुआ था (जुलाई 1982)

विभागीय स्पष्टीकरण

देवरी जलाशय योजना का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1981-82 में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना एवं अन्वेषण प्रमंडल, डाल्टेनगंज द्वारा टेन्टेटिभ सम्भावयता प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ कर वर्ष 1984-85 तक 9.634 लाख रूपये व्यय किया गया । वर्ष 1981-82 में जब सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था तब सी.सी.एल. द्वारा कोयल खदान के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन की कोई सूचना विभाग को नहीं थी । दिनांक 26.11.84 को निरीक्षण के दौरान तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना एवं अन्वेषण अंचल, डिहरी ने पाया कि सर्वेक्षाधीन देवरी जलाशय योजना के प्रस्तावित बांध स्थल के निकट इंटार कोलियरी में कोयला खदान का कार्य चल रहा है । तब इस आशंका पर कि इस जलाशय के डूब क्षेत्र में खदान क्षेत्र तो नहीं पड़ता है, विभागीय पदाधिकारी द्वारा सी.सी.एल. के पदाधिकारियों से सम्पर्क किया गया, तब ज्ञात हुआ कि इस जलाशय के डूब क्षेत्र के अन्तर्गत खदान क्षेत्र का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा पड़ेगा । फलस्वरूप योजना के लिए वैकल्पिक स्थल का चयन करने का प्रयास किया गया लेकिन प्रस्तावित बांध स्थल के उपर जाने का जलश्राव क्षेत्र बहुत कम पाया गया तथा बांध स्थल के नीचे जाने पर खदान क्षेत्र प्रभावित होता पाया गया ।

अन्ततोगत्वा योजना का सर्वेक्षण कार्य उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तकनीकी दृष्टिकोण से उपर्युक्त नहीं होने के फलस्वरूप वर्ष 85 में स्थगित कर दिया गया ।

वर्ष 1981-82 से वर्ष 1983-84 तक सर्वेक्षण कार्य पर किए गए व्यय के विरूद्ध जलाशय का सर्वेक्षण कार्य 1200 एकड़, कमाण्ड का सर्वेक्षण 9000 एकड़ एवं नहर एलायनमेंट का सर्वेक्षण कार्य-23 कि0मी0 में सम्पादित किया गया ।

सर्वेक्षण कार्य पर किए गए 9.634 लाख रूपये के व्यय की विभाग द्वारा सभी पहलूओं पर पूर्णरूपेण जाँच कर एवं किए गए व्यय को सही मानते हुए दिनांक 31.10.85 को इसकी घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई एवं इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, राँची को भी दी गई । अतः किए गए व्यय को अनियमित नहीं कहा जा सकता है ।

जहाँ तक निरर्थक व्यय का प्रश्न है, उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में किए गए व्यय को निरर्थक नही कहा जा सकता । यदि सी.सी.एल. द्वारा प्रस्तावित खदान कार्य की रूप-रेखा पूर्व से ही निर्धारित रहती एवं विभाग को इसकी सूचना प्राप्त होता तो इस योजना पर सर्वे का कार्य नहीं किया गया होता । जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध जलों का पूर्णरूपेण जनहित में उपयोग हेतु योजना बनाने का कार्य किया जाता है एवं इसी उद्देश्य से सर्वेक्षण का कार्य भी किया गया । वस्तुतः कार्य प्रारम्भ करने के काफी अरसे बाद सी.सी.एल. द्वारा प्रस्तावित खदान के कार्य को कराने के कारण तकनीकी दृष्टिकोण से इसे स्थगित करना पड़ा ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-4.6

कंडिका-4.6 परिहार्य अतिरिक्त लागत

नेपाल से होकर गुजरने वाली पश्चिमी कोशी नहर के 23.48 किलोमीटर पर गोरादधार के एक निचले चारा मोड़ नहर के निर्माण पर 10.40 लाख रूपये की अनुमानित लागत, अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर वृत नं0-2, वीरपुर (सहरसा), द्वारा 9.46 लाख रूपये पर एक ठेकेदार को, 10 मई 1983 तक पूर्ण होने के लिए दिनांक नियत कर, प्रदान (जनवरी 1983) किया गया था । कार्य

की प्रगति बहुत धीमी थी । कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल -2, कुनौली द्वारा नहर को जोड़ने वाली सड़क की खराब अवस्था की वजह से अगस्त 1983 तक दिए गए बढ़े हुए समय के बाद भी कार्य अपूर्ण पड़ा रहा । जब ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई अपेक्षित की गयी थी, कार्यपालक अभियंता द्वारा उनकी स्थल पर अंतिम मापी के लिए 21 नवम्बर 1983 को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था । कार्य के कार्यान्वयन में जमीदार द्वारा उपस्थित की गयी कठिनाइयों की वजह से उसके द्वारा पुनः अतिरिक्त समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था ।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया था कि ठेकेदार द्वारा उद्धृत दलाल जो कि तर्कसंगत नहीं थे, सहायक अभियंता, उप-प्रमंडल नं0-3, राज बिराज (जून 1984) का कार्यपालक अभियंता का प्रतिवेदन सूचित करना था कि जमींदार को नेपाल का ही निवासी हांने के कारण नेपाल सरकार द्वारा तबतक मुआवजे का पहले से ही भुगतान किया जा चुका था । फिर भी, विभाग ने बिना किसी अभिलिखित कारणों के, पुनः जुलाई 1984 तक समय की बढ़ोत्तरी प्रदान कर दी । ठेकेदार ने फिर भी 3.50 लाख रूपये प्राप्त करने के बाद 19 जून 1984 से आगे कार्य बन्द कर दिया । अनुवध के अनुसार ठेकेदार कार्य करने के लिए आवद्धया और अनुभव की शर्तो के पालन के विफलता की स्थिति में कार्य को उसके ही दायित्व एवं लागत पर करना चाहिए था । लेकिन संबंधित पदाधिकारी ने ठेका रद्द कर एक दूसरे ठेकेदार को शेष कार्य 8.95 लाख रूपये पर आवंटित किया गया जो 9.39 लाख रूपये पर पूरा किया गया । यहाँ तक कि ठेकेदार का 0.66 लाख रूपये की जमानत की राशि भी लौटा दी गई । इसके फलस्वरूप विभाग को 4.43 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

विभागीय स्पष्टीकरण

नेपाल से गुजरने वाली पश्चिमी कोशी नहर के 23.48 कि0मी0 पर गोराद धार के एक नीचले धारा मोड़ नहर के निर्माण से सम्बन्धित है, के पृच्छा के

संबंध में कहना है कि संबंधित कार्य पश्चिमी कोशी नहर के नेपाल भू-भाग में पड़ता है । पहले सम्वेदक द्वरा कार्य कराने में भू-स्वामियों द्वारा लगातार अड़चन डाली जाती रही, बिहार सरकार द्वारा भू-अर्जन के मद में नेपाल सरकार की राशि दे देने के बाद भी भू-स्वामियों को भुगतान में विलम्ब हुआ था, जिसके चलते कार्य को कराने में विलम्ब हुआ और संवेदक को कार्य को छोड़ना पड़ा । कार्यपालक अभियंता द्वारा पहले संवेदक की जमानत की राशि जब्त कर लिया गया था परन्तु संवेदक की अपील एवं तथ्य की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अधीक्षण अभियंता द्वारा जब्त राशि को लौटाने का निदेश दिया । चूंकि एफ-2 कॉन्ट्रेक्ट के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता, कंडिका-23 के अधीन विवाचक भी थे । भू-अर्जन के अभाव में संवेदक को दोषी न पाकर जब राशिं को लोटा दिया गया ।

संवेदक पर दवाब डालने के वाबजूद भी भूमि की अधिग्रहण के अभाव में एवं जनता के प्रतिरोध के कारण समय पर कार्य नहीं हो सका, जिस कारण मे लागत में अधिक खर्च हुआ, न कि अनुबन्ध में लागू शर्त्त के अनुपालन कराने में ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-4.7

कंडिका-4.7

काष्ठ पूल के निर्माण में विलम्ब - पश्चिमी कोशी परियोजना के परवाने धार नामक स्थान में आर.डी. 80 पर जल निकासी एवं अन्वेषण प्रमंडल, सहरसा ने काष्ठ के एक पुल निर्माण का ठेका एक ठेकेदार को 20.17 लाख रूपये की लागत पर दिसम्बर 1982 में दिया । कार्य को मार्च 1983 में पूरा होना

था लेकिन ठेकेदार ने 2.68 लाख रूपये व्यय करने के बाद अप्रिल 1983 में पूल निर्माण का कार्य बन्द कर दिया । इस एकरारनामें को रद्द कर संवेदक के ही लागत एवं दायित्व पर कार्य को पूरा करने का कार्रवाई नहीं की गई। मार्च 1989 तक पुनः टेन्डर निकाल कार्य करवाने की भी कार्रवाई नहीं की गई। फ़लस्वरूप विभाग का 2.68 लाख रूपये अवरूद्ध होकर रह गया । साथ ही साथ उस क्षेत्र की जनता को पूल का अभीष्ठ लाभ भी नहीं मिल सका। धुप और पानी के वजह से काष्ठ का क्षय होना भी शुरू हो गया होगा ।

विभागीय स्पष्टीकरण

परवाने धार के आर.डी. 80 पर काष्ठ पूल निर्माण कार्य की निविदा मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 14.8.82 की स्वीकृति के उपरान्त आवंटित की गई थी।

एकरारनामा की राशि 20.17 लाख रूपये थी । वर्ष 82-83 के अन्तर्गत 2,67,526/- रूपये के कार्य के विरूद्ध संवेदक को 31.3.87 तक कुल 2,11,641/- रूपये का भुगतान किया जा चुका है । यह कार्य कोशी योजना चरण-1 के तहत किया जा रहा था, जिसे सरकार द्वारा वर्ष 85-86 से बन्द कर दिया गया । इस बीच इस कार्य के संवेदक का निधन हो गया ।

कोशी चरण-11 योजना के चालू होने पर यह कार्य पूरा किया जा सकता है । पूर्व में कराये गये कार्य अनुत्पादक नहीं माना जा सकता है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशः

विभागीय उत्तर के आलोक में, चूँकि संवेदक का निधन हो गया है, इस कंडिका को निष्पादित किया जाता है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-4.8

कंडिका-4.8 सामग्री की चोरी

जल निकासी एवं अन्वेषण प्रमंडल, गंडक परियोजना, उपराक शीतलपुर के भंडार में 25.78 लाख रूपये का 460 टन छड़ सितम्बर 1979 से धरा हुआ था मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग परा कैनाली हस्ताक्षर से निर्गत एक आदेश के तहत कार्यपालक अभियंता, जल निकासी एवं अंकेक्षण प्रमंडल, छपरा बिना समुचित छान-बीन एवं अधीक्षण अभियंता के आदेश के 142 टन जाली आदेश में अंकित/ के बजाय 222 टन छड़ (कीमत 12.28 लाख रूपये) कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल को निर्गत करवां दिया । जनता की शिकायत पर अधीक्षण अभियंता द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि मुख्य अभियंता के यहाँ से कोई आदेश भी निर्गत नही किया गया न उक्त छड़ सारण नहर प्रमंडल में प्राप्त किया । अधीक्षण अभियंता ने उक्त चोरी के लिए कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता की मिली भगत के बारे में मुख्य अभियंता तथा सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया । सरकार ने सबों को निलम्बित कर दिया । लेकिन जाँच की कार्रवाई से निलम्ब के कारण फरवरी 1987 में निलम्बन से मुक्त कर दिया । मई 1989 तक बाद की घटनाओं को कोई सूचना नहीं थी ।

विभागीय स्पष्टीकरण

जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, छपरा में लौह छड़ की चोरी होने के संबंध में तीन पदाधिकारियों को निलंबित कर डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलाई गई।

2. डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग के पश्चात एक कार्यपालक अभियंता, एक सहायक अभियंता एवं एक कनीय अभियंता को दंडित किया गया ।

3. कनीय अभिंयता को सेवासे बर्खास्त किया गया ।

4. कार्यपालक अभियंता का दंड मान्नीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.एल.पी. 2344/2001 दिनांक 12.4.2001 में निरस्त कर दिया गया ।

5. पदाधिकारियों एवं अन्य के विरूद्ध एक क्रिमीनल केश दिघवारा थाना काण्ड 66/84 तथा दूसरा परसा थाना काण्ड 70/84 दायर है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-5.1

कंडिका-5.1 भंडार और स्टॉक लेखे

5.1.1 प्रस्तावना

1982-83 से 1988-89 की अवधि के लिए पश्चिमी कोशी परियोजना के अन्तर्गत 27 पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल (एक जल विकास प्रमंडल सहित) में से 10 के मार्च से जून 1989 के भंडार और स्टॉक लेखे की नमूना जाँच लेखा परीक्षा में की गयी जिसके दौरान पाये गये मुख्य विन्दु अधोलिखित कंडिकाओं में प्रदर्शित है । दरभंगा, जल निकास प्रमंडल(दरभंगा), झंझारपुर, खुटौना, मधुबनी, फलपरास (कैम्प-घोघरडीहा), रामनगर, राजनगर (कैम्प-खजौली), सकरी, सिरसिया(कैम्प-खुटौना) ।

5.1.2 विशिष्टतायें

- चार प्रमंडलों मे मार्च 1989 के अंत तक संचित भडार का मूल्य 299. 18 लाख रूपये की सस्वीकृत संरक्षित भंडार सीमा से अधिक हो गया।

  (कंडिका-5.1.3)

- पश्चिमी कोशी परियोजना के जल निकास कार्य के लिए 52.88 लाख रूपए का लागत पर 2 हाइड्रोलक एक्सकैवेटरी का जुलाई 1987 में खरीदा गया जो खरीद के समय से ही अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। बाद में

उन्हें अन्य परियोजना में स्थानान्तरित कर दिया गया, जहाँ वे अप्रयुक्त ही पड़े हुए है ।

(कंडिका-5.1.6)

- एक प्रमंडल द्वारा गैर लेवी सीमेंट की खरीद पर 21.52 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

(कंडिका-5.1.7)

- एक प्रमंडल द्वारा खुले बाजार से सिमेंट उठाने में विलम्ब के फलस्वरूप 8.61 लाख रूपये का विलंब प्रभार देना पड़ा ।

(कंडिका-5.1.8)

- एक प्रमंडल द्वारा रेलवे परिसर से सीमेंट उठाने में विलम्ब के फलस्वरूप 8.61 लाख रूपये का विलंब प्रभार देना पड़ा ।

(कंडिका-5.1.9)

- भंडारण के दौरान सुरक्षात्मक उपाय नही किये जाने के फलस्वरूप तीन प्रमंडलों के सीमेंट जम जाने के कारण 3.99 लाख रूपये की हानि हुई।

(कंडिका-5.1.10)

- पांच प्रमंडलों में 411.25 लाख रूपये के (एम.ए.) मृदु इस्पात छड़ों का अत्यधिक भंडारण किया गया था ।

(कंडिका-5.1.11)

- दो प्रमंडलों में भंडार का भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप 2.20 लाख रू0 के भंडार की कमी पायी गयी ।

(कंडिका-5.1.12)

5.1.3 संरक्षित भंडार

प्रमंडल द्वारा भंडार में रखे गये स्टॉक का मूल्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रिजर्व स्टॉक की सीमा से अधिक नहीं होना है। चार प्रमंडलों (राजनगर, मधुबनी, सिरसिया, कैम्प-खुटौना और झांझारपुर) में मार्च 1988 का अंत होनेवाले वर्ष के दौरान रखे गये स्टॉक का मूल्य विनिर्दिष्ट आरक्षित भंडार सीमा से अधिक हो गया जो नीचे लिखा हुआ है :

	प्रमंडल का नाम	मार्च 1989 के अंत तक स्टॉक का मूल्य (लाख रू0 में)	संस्वीकृत आरक्षित स्टॉक सीमा
1.	राजनगर	89.31	50.00
2.	सिरसिया कैम्प-खुटौना	283.27	100.00
3.	मधुबनी	65.00	50.00
4.	झंझारपुर	109.49	47.89
	जोड़	547.07	247.89

5.1.4 स्टॉक रजिस्टर का संधरण

नियम के अनुसार अनुमंडलों को आरंभ शेष, प्राप्तियाँ निर्गत और अंत शेष दिखलाते हुए स्टाक का अर्द्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना है । प्रमंडल स्तर पर अपने अनुमंडलों से संबंधित सभी लेनदेनों का समाविष्ट करते हुए एक अर्द्धवार्षिक स्टॉक रजिस्टर रखना है । प्रमंडल द्वारा रखे गये स्टॉक रजिस्टर में चालू निर्गम पर के आधार पर स्टोर का मूल्य और मात्रा दर्ज किया जाना है। स्टॉक रजिस्टर को छः महीने में पुनरीक्षण किया जाना है और निगम दरों के पुनरीक्षण के दौरान हुए आधिक्य/कमी को लेखा में समायोजित किया जाना है।

लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि स्टॉक के अर्द्धवार्पिक रजिस्टर झंझारपुर प्रमंडल में सितम्बर 1983 से फुलपरास (कैम्प-घोघरडीहा) प्रमंडल में मार्च 1985 से राजनगर (कैम्प-खजौली) और दरभंगा प्रमंडलों में मार्च 1986 से पुनरीक्षण और बंद नही किया गया था । इन सभी प्रमंडलों में तय किये गये निर्गम दरों का पुनरीक्षण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

चार अन्य प्रमंडलों में यथा -राजनगर, मधुबनी, सकरी और सिरसिया कैम्प-खुटौना यद्यपि अनुमंडलवार अर्द्धवार्षिक रजिस्टर संकलित किये गये थे, फिर भी प्रमंडल ने अपने स्टॉक का खाता शेष नहीं निकाला था और भौतिक शेष के साथ "उचत स्टॉक" शीर्ष के अन्तर्गत स्टोर का खाता शेष का फरार सुरक्षित नहीं किया था ।

5.1.5 स्टॉक का भौतिक संस्थापन

प्रमंडलीय अधिकारी की यह सुनिश्चित करना है कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए । स्टॉक, औजार और संयंत्र आदि का भौतिक सतपन अधोलिखित प्रकमंडलों में थे किसी का नही किया गया है :

प्रमंडल का नाम	कब से भौतिक सत्यापन नही हुआ था
झंझारपुर	1977
राजनगर, कैम्प-खजौल	1982
दरभंगा	1983
सिरसिया (कैम्प-खुटौना और मधुबनी)	1988
खुटौना प्रमंडल	जनवरी 1989

5.1.6 अभियंता प्रमुख-सह अतिरिक्त आयुक्त-सह-सरकार के विशेष सचिव के अनुरोध पर (मई 1986) दो हाइड्रालिक एक्सकेवेटरी (कुल लागत: 52. 88 लाख रू0) की खरीद जुलाई 1987 में जल विकास प्रमंडल, दरभंगा द्वारा एक फर्म से की गयी जिसका कारखाना जमशेदपुर में है। एक्सर्कवेटर जिकसा लागत पश्चिमी कोशी परियोजना को डेबिट की गयी का उपयोग विभिन्न जल विकास कार्य के लिए मिट्टी की खुदाई में की गयी। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि प्रमंडल में एक्सकेवेटरी के आगमन के समय से ही उसका उपयोग परियोजना के कार्य में नही किया गया और वे निष्क्रिय पड़े हुए है। लेखा परीक्षा के प्रमाण जवाब में जल निकास प्रमंडल, दरभंगा के कार्यपालक अभियंता ने बताया (मार्च 1989) कि सम्पर्क नहर और विहुल नदी के बीच संरेखन में परिवर्तन होने के कारण एक्सकेवटरी का उपयोग अब परियोजना में नहीं है। मुख्य अभियंता (सी.ई.) के आदेशानुसार (फरवरी 1988) एक्सकेवेटरी का पूर्वी कोशी परियोजना के अन्तर्गत वीरपुर के एक प्रमंडल में बिना लागत के स्थानान्तरित कर दिया गया। स्थानान्तरित एक्सकेवेटरों में से एक, दरभंगा प्रमंडल के परिसर में पड़ा हुआ था। निगरानी पर 0.08 लाख रूपये व्यय हुआ) और मई 1989 में जयनगर में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके लॉलबुक और पिष्पादन रिपोर्ट और अन्य मशीने जिन्हें पहले से ही वीरपुर में स्थानान्तरित किया गया था, के अभिलेखों का लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके अभाव में उस परियोजना में रखे गये मशीनों की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित नही की जा सकी।

5.1.7 लेबी मुक्त सीमेंट की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

पश्चिमी कोशी मुख्य नहर (अनुमानित लागत: 513.92 लाख रू0) के 37. 75 आ.डी. पर भूतहीबलान नदी के आरपार एक सुपर पेसैज का निर्माण फरवरी 1986 में एक ठेकेदार को दिया गया। करार के अनुसार विभाग

द्वारा अगर उपलब्ध हो तो ठेकेदार को सीमेंट स्टॉल आदि की आपूर्ति की जानी थी । निर्माण कार्य पर सीमेंट का अनुमानित आवश्यकता 7,902 टन की थी ।

फरवरी 1986 में निर्माण कार्य आरंभ किया गया (समापन तिथि: जून 1987) और सिरसिया प्रमंडल (कैम्प-खुटौना) ने अप्रैल 1986 में क्रय और परिवहन (डी.पी.टी.) के निदेशक के पास 15,000 टन सीमेंट के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया । जबकि अभिलेखों में इतनी अधिक मात्रा के लिए मांग पत्र का कारण नही बताया गया था, डी.पी.टी. ने अवधि को निर्दिष्ट किये बिना चार फर्मो को 12,100 टन लेवी सीमेंट की आपूर्ति के लिए (जून से नवम्बर 1986) आदेश निर्गत किया ।

साथ ही साथ, फर्म द्वारा लेवी सीमेंट की आपूर्ति में विलंब का अनुमान करते हुए डी.पी.टी. ने प्रमंडल के अनुरोध पर सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (भारत सरकार का उपक्रम) का 5,000 टन लेवी मुक्त सीमेंट की आपूर्ति का अलग से आदेश दिया । लेवी और लेवामुक्त सीमेंट का प्रचलित दर क्रमशः 879.60 रू0 और 1,31. रू0 प्रति टन था ।

उपर्युक्त आदेश की जगह 4,999 टन लेवीमुक्त सीमेंट अप्रील से दिसम्बर 1986 के बीच प्राप्त किया गया और 8.299 टन लेवी सीमेंट जून 1986 से अप्रैल 1987 के बीच प्राप्त किया गया, जबकि इस निर्माण कार्य के लिए अनुमानित आवश्यकता केवल 7,902 टन सीमेंट की थी और प्रमंडल के पास उस समय कोई अन्य निम्राण कार्य करने को नही था फिर भी लेबी ओर लेवीमुक्त सीमेंट का कुल 13,682 टन सीमेंट प्राप्त किया गया जिसमें 395 टन सीमेंट भंडार में पहलेसे ही उपलब्ध था । केवल 5,854 टन सीमेंट की कुल मात्रा का ही उपयोग निर्माण कार्य में किया गया । इस प्रकार अतिरिकत सिमेंट प्राप्त विधियों का अवरूद्ध करने के अलावे

प्रमंडल द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करने में प्रारभिंक विलम्ब करने के फलस्वरूप उच्च दर पर लेवीमुक्त सीमेंट का खरीद के कारण 31.52 लाख रू0 के अतिरिक्त व्यय हुआ जो परिहार्य था ।

5.1.8 सीमेंट की खरीद पर परिहार्य व्यय

दिसमबर 1987 के अन्त तक 1.952 टन सीमेंट शेष था । यह देखा गया कि सिरसिया (कैम्प-खुटौना प्रमंडल) से अतिरिक्त सीमेंट प्राप्त करने के बदले खुटौना प्रमंडल से सिरसिया से आधा किलोमीटर से कम की दूरी पर अवस्थित है, ने डी.पी.टी. को सीमेंट आपूर्ति करने के लिए मांग पत्र दिया (दिसम्बर 1987) प्रमंडल ने अगस्त और नवम्बर 1988 के बीच एक फर्म से 1000 टन सीमेंट खरीदा और 11.99 लाख रूपये खर्च किया जिसमें रेल द्वारा प्राप्त सीमेंट की लागत 8.64 लाख रूपये, रेलवे परिसर से प्रेषण को उठाने में विलंब के फलस्वरूप विलंग प्रभार के रूप में 1. 92 लाख रू0 (उत्तरादायित्व तय नहीं किया गया) और प्रमंडल के गोदाम तक सड़क द्वारा परिवहन प्रभार पर 1.43 लाख रू. शामिल है अगर सिरसिया प्रमंडल(कैम्प-खुटौना) जहाँ कि उस तिथि तक सीमेंट उपलब्ध था,से सीमेंट प्राप्त किया जाता तो विलंब प्रभार और सड़क द्वारा परिवहन प्रभार पर विभाग द्वारा किये गये 3.35 लाख रूपये के व्ययको टाला जा सकता था ।

5.1.9 विलम्ब प्रभार का परिहार्य भुगतान

डी.पी.टी. द्वारा दिए गए आदेश (जून/नवम्बर 1986) के विरूद्ध फार्म "क" द्वारा 1.06 लाख बोरा सीमेंट (0.39 लाख बोरा) और फाम "ख" द्वारा देल से सिरसिया (कैम्प-खुटौना) प्रमंडल (परेषिति) तक (0.67 लाख बोरा) सीमेंट की आपूर्ति की गई । यह देखा गया कि रेल शीर्ष (नारायणपुर-अनंत, मुजफ्फरपुर, पर जनवरी-फरवरी 1987 के बीच सीमेंट

पहुंचने पर, प्रमंडल ने रेल परिसर से माल उठाने में विलम्ब किया । चूंकि विलम्ब 17 दिनों का हो गया था प्रमंडल ने 8.61 लाख रू0 रेलवे को विलम्ब प्रभार के रूप में दिया । सरकार द्वारा माल उठाने में विलम्ब करने का उत्तरदायित्व तय करने के लिए जांच नही किया गया। व्यय को नियमित करने के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति जून 19809 तक नही प्राप्त की गई थी

5.1.10 सीमेंट जम जाने के कारण हानि

सकरी, सिरसिया और फुलपरास इन तीन प्रमंडलों में गोदामों में वर्षा कापानी इकट्ठा होने और रिसाव से 7,071 बोरे सीमेंट के जम जाने के कारण 3.99 लाख रूपये की हानि हुई । इन मामलों का व्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) जून और सितम्बर 1985 के बीच सकरी (कैम्प-मधुबनी) प्रमंडल ने 7,757 बोरा सीमेंट प्राप्त किया जिसमें से 3,205 बोरे सीमेंट का उपयोग मार्च 1986 तक निर्माण कार्य में किया गया और 2,070 बोरे सीमेंट को अन्य प्रमंडलों में स्थानान्तरित कर दिया गया अप्रैल 1986 एवं जून 1986 तक 2,482 बोरे सीमेंट शेष बच गये । इस सीमेंट का उपयोग नही हो सका। जनवरी से जून 1988 के बीच भंडार का भौतिक सत्यापन किये जाने से पता चला कि सीमेंट का सम्पूर्ण स्टॉक (2,482 बोरे) जिसकी कीमत 1.41 लाख रू0 था, जम गया था । असावधानी के फलस्वरूप हुइ हानि का उत्तरदायित्व तय नहीं किया गया था ।

(ख) सिरसिया (कैम्प-खुटौना) प्रमंडल में 2,65,731 बोरे सीमेंट की खरीद अप्रैल 1986 से अप्रील 1987 के बीच की गई । 2,46,578 बोरे सीमेंट का निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने तथा अन्य प्रमंडलों में स्थानान्तरित किए जाने के बाद दिसम्बर 1988 के अंत तक 19,153 बोरे सीमेंट भंडार में

थे । इसी बीच सितम्बर 1987 में कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता को सूचना दी कि गोदाम में उपलब्ध सीमेंट के स्टॉक में से 2,962 बोरे सीमेंट गोदाम में वर्षा का पानी इकट्ठा होने के कारण जहम गए । लिए गए सुरक्षात्मक उपायोग का जिक्र अभिलेखमें नही था । सहायक अभियंता फुलपरास कैम्प- घोघरडीहा अनुमंडल के द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किए जाने (जनवरी 1989) यह सुनिश्चित किया गया कि 2962 बोरे सीमेंट (मूल्य: 1.69 लाख रूपये) सही अवस्था में जम गये । किस कारण से सीमेंट की हानि हुई इस बात की जांच एवं कार्यवाही कार्यपालक अभियंता द्वारा नही की गई । इसका उतरदायित्व भी जून 1989 तक तय नहीं किया गया था ।

(ग) फुलपरास (कैम्प-घोघरडीहा) के एक कनीय अभियंता ने जो भंडार के प्रभारी थे, सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता को अक्टूबर 1986 में सूचित किया कि चूंकि गोदाम नीचे स्तर पर अवस्थित था और छत के रिसाव के कारण भंडारित सीमेंट (1,977 बोरे) को अगर तुरन्त हटाया नही गया तो जमने की सम्भावना है । अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। जुलाई 1987 में वही कनीय अभियंता ने सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता को सूचित किया कि 22 जुलाई से 25 जुलाई 1987 के बीच गोदाम में बाढ़ का पानी घूस जाने के कारण 1,570 बोरे सीमेंट जिसकी कीमत 0.99 लाख रू0 थी, जम गये । सीमेंट भंडारण का एहतियाति कार्यवाही नही किये जाने के कारण विभाग को 0.89 लाख रू0 की हानि हुई, सरकार द्वारा जून 1989 तक इसका उत्तरदायित्व नही तय किया था।

5.1.11 मृदु इस्पात छड़ों का अत्यधिक भंडारण पांच प्रमंडलों (खुटौना, सिरसिया, झंझारपुर, दरभंगा और राजनगर) में भंडारों के लेन देनों की नमूना जाँच से पता चला कि 1979-80 से 1985-86 के दौरान प्राप्त किए गए 19,423 टन मृदु इस्पात (एम.एस.) छड़ों में से 9,950 टन जिसकी कीमत

411.25 लाख रू0 था, मार्च 1989 के अंत तक अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। प्रमंडलवार स्थिति नीचे दी गई है :

क्र0	प्रमंडल का नाम	कब प्राप्त किया गया	मात्रा		31 मार्च 1989 की अंत शेष	
			प्राप्त टन	प्रयुक्त टन	मात्रा टन	लागत मूल्य (लाख रू. में)
1	खुटौना	1982-83	1,022	532	490	22.18
2	सिरसिया (कैम्प-खुटौना)	1982-86	6,309	3,901	2,408	108.26
3	झंझारपुर	198-286	4,204	1,145	3,059	144.32
4	दरभंगा	1979-81	4,865	3,810	1,055	31.82
5	राजनगर (कैम्प-खजौली)	1982-85	3,023	85	2,938	104.67
		योग -	19423	9473	9950	411.25

मार्च 1989 के अन्ततक एम.एस. रॉड की मात्रा 1979-86 के दौरान खरीदी गई मात्रा का करीब्र 51.2 प्रतिशत थी । 1982-86 और1982-85 के दौरान झंझारपुर और राजनगर (कैम्प-खजौली) प्रमंडलों मेंप्राप्त किए गए 4,204 टन और 3,021 टन में से अप्रयुक्त भंडार का ढेर क्रमश: 3,059 टन और 2,938 टन था जो मार्च 1989 के अन्त तक भंडार में अप्रयुक्त पड़ा हुआ था उसके निपटान में देरी का कारण यह बताया गया कि विभाग ने क्रय करने से पूर्व ठीक ढ्ंग से आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया था जिससे निधि अवरूद्ध हो गया ।

5.1.12 भंडारों की कमी

भंडारों के भौतिक सत्यापन (मधुबनी और सिरसिया प्रमंडल) के दौरान 2.20 लाख रूपये के भंडार की कमी का पता चला जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

5.1.12.1 मधुबनी प्रमंडल में एक कनीय अभियंता जो भंडार का प्रभारी था और जोचोरी के आरोप में जेल में था, का सितम्बर 1986 से निलंबित कर दिया गया । उसे मार्च 1987 में जेल से मुक्त कर दिया गया । निलंबन के दौरान उसने अपने प्रभार के अन्तर्गत स्टोर को न हस्तांतरित किया और न कार्यपालक अभियंता द्वारा निलंबन के दौरान उसके प्रभार की देखभाल करने के लिए कोई प्रबंध ही किया गया । बारम्बार अनुसार दिए जाने के बाद भी जब उसने अपना प्रभार नहीं दिया तब गोदाम का ताला तोड़कर (जनवरी से जून 1988 के बीच) उसके प्रभार के अन्तर्गत भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया। जिससे 0.93 लाख रूपये मूल्य के 15,523 टन एस.एम. रॉड की कमी का पता चला । कर्मचारी से हानि की वसूली से सम्बन्धित कोई कार्यवाही नही की गई । (फरवरी 1990) ।

इस बीच निलंबन की अवधि 2 वर्ष बीत जाने पर (विभागीय अनुसंधान पूरा नहीं हुआ था) फरवरी 1989 से उसे फिर से सेवा में बहाल कर दिया गया और उसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया । प्रमंडल में उसे अर्पल 1988 से कार्यमुक्त कर दिया गया । विभाग ने अभी तक (जून 1990) इसकी जबावदेही निश्चित नहीं की थी।

5.1.12.2 सिरसिया (कैम्प खुटोना प्रमंडल) में जनवरी और जून 1987 के बीच भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया जिससे 1.27 लाख रूपये के मूल्य के 23.020 टन एम.एस. रोड की कमी का पता चला। विभाग ने फरवरी 1990 तक भंडार की कमी के लिए कोई उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया ।

इस बात की सूचना सरकार को सितम्बर 1989 को दी गई थी उसका उत्तर अभी तक (जुलाई 1992) प्राप्त नहीं हुआ था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

5.1.3 पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण को पूर्ण करने में बाधक नही बने । इस ध्यय की पूर्ति एवं कार्य की आवश्यकता आकते हुए भंडारण किया । इसी कारण विनिर्दिष्ट आरक्षित भंडार सीमा का ध्यान नही रखा जा सका ।

5.1.4 स्टाक रजिस्टर का संधरण करा दिया गया ।

5.1.5 स्टाक का भौतिक सत्यापन करा दिया गया ।

5.1.6 पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के कार्यो में हाईड्रोलिक एक्सावेटर की आवश्यकता देखते हुए दो अदद एक्सावेटर खरीद का सरकारी निर्णय लिया गया, जिसका प्रयोग योजना में किया गया । अपरिहार्य कारणों से योजना बन्द करने पर वर्ष 1988 में उक्त दो मशीनों को वीरपुर यांत्रिक प्रमंडल-1 को हस्तानान्तरित किया गया । इससे कई स्थलों (पूर्णिया एवं बाल्मीकीनगर) में प्रयोग में लाया । अभी यह मशीन सिंचाई प्रमंडल, पांकी (डाल्टेनगंज) को हस्तानान्तरित कर दिया गया है।

5.1.7 भूतही बलान नदी को धारा परिवर्तन की टेन्डेन्सी को देखते हुए संरचना निर्माण कार्य को चुनौती के रूप में लिया गया उस समय के स्वीकृत कार्यक्रम को संवेदक द्वारा ससमय पूर्ण कराने के उद्देश्य से लेवी मुक्त सीमेंट क्रय करने का निर्णय लिया गया, जो विाााग के हीत में था । अन्यथा विभाग को निविदा के विभिन्न शर्तो के कारण संवेदक को अप्रयाशित वृद्धि राशि का दावा भुगतान करना पड़ सकता था ।

5.1.8 हर प्रमंडल के स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप सिमेंट क्रय का निर्णय किया गया था ताकि सभी कार्य दुलर्भ सामग्रि के अभावमें बाधित न हो ।

5.1.9 कोषागार से राशि निकासी प्रक्रिया में विलम्ब के कारण सीमेंट उठाने में विलम्ब हुआ जिस कारण रेलवे को अधिक भुगतान करना पड़ा।

5.1.9 कोषागार से राशि निकासी प्रक्रिया में विलम्ब के कारण सीमेंट उठाने में विलम्ब हुआ जिस कारण रेलवे को अधिक भुगतान करना पड़ा।

5.1.10 सिमेंट जम जाने के संबंध में संचिका सं.-22/नि.सिं. (दर) 16-1070/96-526 दिनांक 5.6.97 द्वारा संबंधित कनीय अभियंता से राशि वसूली कर ली गई ।

ज़मे सिमेंट बोरे का उपयोग बाढ़ सुरक्षात्मक योजना एवं बाढ़ संघर्षात्मक योजना में करने का निर्णय विभागीय आदेश बाढ़ सिंचाई विविध- 17/98 (अंश)' 745 दिनांक 26.4.01 संसूचित है ।

5.1.11 माइल्ड इस्पात रौड का क्रय कार्य की आवश्यकता के अनुसार किया गया था । अपरिहार्य कारणों से कार्य बन्द हो जाने से इस्पात रोड शेष रह गया ।

5.1.12.1 पश्चिमीा कोशी नहर प्रमंडल, सकरी शिविर-मधुबनी के एक कनीय अभियंता को दिनांक 14.8.87 को निलंबित कर उनके विरूद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलाई गई एवं डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग के पश्चात् विभागीय आदेश सं0-22/नि.सि. (दर)-16-1023/96-278 दिनांक 7.2.98 के द्वारा दंडित किया गया ।

5.1.12.2 पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सिरसिया कैम्प खुटौना बाद में पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, पिपराही, शिविर-निर्मली के एक कनीय अभियंता के विरूद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलाई गई एवं इनके पश्चात छड़ों की कमी के लिए विभागीय आदेश संख्या-22/नि.सि. (दर)-16-103/96-85 दिनांक 27.1.99 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-5.2

कंडिका-5.2 सीमेंट की कमी

कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी (गिरिडीह) का कनीय अभियंता ने जो विभिन्न गोदामों का प्रभारी भी था, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता द्वारा बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बाद भी मई 1987 से भंडार की प्राप्ति निर्मम और शेष के

मासिक सेवाओं का प्रस्तुत नहीं किया था । जलपथ अचंल, हजारीबाग के अधीक्षण अभियंता के आदेश पर (फरवरी 1987) जलपथ प्रमंडल, बरही के सहायक अभियंता द्वारा प्रमंडल के भंडार का वार्षिक भौतिम सत्यापन से 7,685 बोरा सीमेंट के संदिग्ध दुर्विनियोजन का पता चला (सितम्बर 1987)। कनीय अभियंता के प्रभार के कितने गोदाम में उन सभी को सील कर दिया गया । तत्पश्चात अधीक्षण अभियंता के कहने पर कार्यपालक अभियंता ने विभिन्न मांग कर्ता प्रमंडलों से निर्गमों के विवरण प्राप्त करने के बाद (पत्रांक 1987 के बाद नई प्रतियाँ नही थी) 3.16 लाख रूपए मूल्य के 5,745 बोरे सीमेंट की कमी का हिसाब बताया । 22 सितम्बर 1987 को पुलिस में इसकी सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन का प्रथम दृष्टया मामला कनीय अभियंता के विरूद्ध पुलिस द्वारा स्थपित किया गया (पत्रांक 1988) । कनीय अभियंता गायब हो गया और उसे अक्टूबर 1987 से निलंबित कर दिया गया । पुलिस कनीय अभियंता के विरूद्ध आपराधिक मामला शुरू करने में आरोप पत्र सरकार के अनुमोदन के अभाव में नही बना पाई जो मार्च 1989 तक प्राप्त नहीं हो सकी है । सम्बन्धित कर्मचारी पर उत्तरदायित्व तय करने के बाद भी विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है। इस बात की सूचना सरकार को मई 1989 में दी गयी थी, उत्तर प्राप्त नही हुआ था । (जुलाई 1992)

विभागीय स्पष्टीकरण

कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी के अन्तर्गत 7,685 बोरा सीमेंट के कमी के लिए 2 पदाधिकारियों को निलम्बित कर डिपार्टमेंटल प्रोसीडीग चलायी गयी एवं 2 पदाधिकारियों के विरूद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसीडींग चलायी गयी ।

2. एक कनीय अभियंता को दिनांक 30.10.2000 से सेवा बर्खास्त किया गया एवं एक सहायक अभियंता को दोष मुक्त किया गया है ।

3. इसमें डुमरी थाना कांड संख्या- 73/87 दिनांक 22.9.87 भी दायर है जिसमें चार्ज-शीट समर्पित है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नही बढ़ाना चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका-5.3

कंडिका-5.3 अनावश्यक ईट की प्राप्ति

1975-76 में 1.38 लाख रूपये की लागत पर पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के आर.डी. 116.88 पर जल निकास संरचना के निर्माण के लिए 5.94 लाख ईट (प्रथम श्रेणी 4.68 लाख, द्वितीय श्रेणी 1.26 लाख) पश्चिमी कोशी नहर (डब्लू.के.सी.) प्रमंडल सकरी (मधुबनी) द्वारा प्राप्त की गयी थी । ईट का सम्पूर्ण स्टॉक बिना निगरानीऔर सुरक्षा के कार्यस्थल पर अप्रयुक्त पड़ा रहा । मई 1984 में 8 लाख के बाद (उस समय तक ईटों का न उपयोग हुआ और न निपटारा हीइ किया गया) पश्चिमी नहर अंचल, मधुबनी के अधीक्षण अभियंता ने ईटों (लगातार धूप और वर्षा में खुला रहने से बेकार हो गये) की स्थिति का अनुमान करने के लिए कार्यस्थल पर गये बिना ही मुख्य अभियंता, सिंचाई, दरभंगा से दैनिक मजदूरी पर दो चौकीदारों को नियुक्ति हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन किया। मुख्य अभियंता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया । (जुलाई 1984) और वर्तमान उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा ही वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दिया जो क्रियान्वित नहीं हुआ । डब्लू.के.सी. प्रमंडल, बेनीपट्टी, केउटी, 1980 में इसमें निर्माण कार्य स्थानान्तरित करने के बाद जिसने उस समय तक सामग्रियों का प्रभार दिया था, के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मई 1988 तक स्थिति इस प्रकार थी, मई 1984 के बाद विभिन्न अवसरों पर 2. 15 लाख ईटों (मूल्य 0.50 लाख रू0) की चोरी हुई (पुलिस में एफ.आई.आर. नहीं किया गया), 0.32 लाख ईट (मूल्य 0.07 लाख रू0) अन्य प्रमंडल में स्थानान्तरित किया गया और 1.97 लाख ईट (मूल्य 0.46 लाख रू0) जेसा कि एस.डी.ओ. द्वारा कार्यपालक अभियंता को सूचति किया गया (मई 1988) कि वे 1987 की बाढ़ में बह गयी या चोरी हो गयी । इतने वृहद् मात्रा में ईट खरीदने की आवश्यकता को

होते हुए असहमति के बिन्दुओं के साथ विभागीय पत्रांक 1331 दिनांक 2.5.97 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त होने पर पुनः इसकी समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त 57 बोरे सेट सिमेंट के लिए जिम्मेदार पाया गया । तदनुसार निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गया है :

(क) 57 बोरे सेट सिमेंट के मूल्य $57 \times 60 = 3420/-$ रु॰ की वसूली।

(ख) 25.9.86 से 4.3.87 (जेल की अवधि) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा किन्तु उपर्युक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी । बाद की अवधि को कर्त्तव्यरत माना जायेगा । अपराधिक मामले में यदि श्री प्रसाद को दोषी पाये जायेगा तो तदुनसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अर्जुन प्रसाद तत्कालीन कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी शिविर-मधुबनी को तदनुसार संसूचित किया जाता है ।

(ह॰ अस्पष्ट)
बी॰ बी॰ पाण्डेय
सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक – पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा/समस्तीपुर/सरकार के उपसचिव, श्री एस. ए. कबीर, प्रभारी कोषांग/कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, हसनपुर/श्री अर्जुन प्रसाद, कनीय अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, हसनपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–19, 10, 12 एवं 13, जल संसाधन विभाग, पटना की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह॰ अस्पष्ट)
बी॰ बी॰ पाण्डेय
सरकार के उपसचिव

बिहार सरकार
जल संसाधान विभाग

ज्ञपांक सं॰ 22/नि॰सि॰ (दर) 16-1070/96/156 पटना, दिनांक-17.5.97

आदेश

श्री राकेश रंजन सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, शिविर खुटौना को उक्त प्रमंडल के पदस्थापन अवधि में सीमेन्ट का भंडारण एवं रख-रखाव ठीक ढंग के नहीं करने के कारण सेट हो गया फलस्वरूप सरकार को वित्तीय क्षति हुई जिसके लिए विभागीय पत्रांक-1655 दिनांक 13.5.96 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षापोरान्त पाया गया कि चूंकि श्री सिंह द्वारा पत्राचार करने में ही समय को व्यतीत किया गया और सरकारी सामग्री को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया गये जाने आदि कतिपय गलतियों के कारण सीमेन्ट सेट होने के लिए दोषी पाया गया, फलस्वरूप दण्ड देने का निर्णय लिया गया, तदनुरूप निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है-

1. सीमेन्ट सेट होने के कारण सरकार को हुई वित्तीय क्षति रु॰ 4.44 लाख का पच्चीस प्रतिशत रु॰ 1.48 लाख हुए (एक लाख अरतालिस हजार रुपये की वसूली।)

श्री सिंह से यह वसूली उनके वेतन से दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से की जायेगी और जो राशि बच जायेगां वह सेवानमृति के पश्चात मिलने वाले पावनों से एक मुस्त की जायेगी ।

(ह॰ अस्पष्ट)

बी॰ बी॰ पाण्डेय

सरकार के उप सचिव मुख्य निगरानी पदाधिकारी

ज्ञापांक-1571 पटना, दिनांक 17.5.97

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव/अपर सचिव, प्रबंधक कोषांग, जल संसाधान विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधान विभाग, बिहार/श्री राकेश रंजन सिंह, कनीय अभियंता, अवधि का निलम्बित द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन, केन्द्रीय कोषांग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, 9, 10 एवं 22 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

(ह० अस्पष्ट)
बी० बी० पाण्डेय
सरकार के उपसचिव
मुख्य निगरानी पदाधिकारी

बिहार सरकार

जल संसाधान विभाग

सं० 22/नि०सि० (दर) 16-1070/96 आदेश-526/पटना, दिनांक-5.6.97

शुद्धि-पत्र

श्री राकेश रंजन सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सिरसिवा, शिविर खुटौना से सम्बन्धित निर्गत दण्ड का आदेश संख्या-456 दिनांक-17.5.97 में उल्लिखित "सिमेन्ट सेट होने के कारण सरकार को हुई वित्तीय क्षति रु० 4.44 लाख का पचास प्रतिशत रु० 1.48 लाख ए लाख अड़तालिस हजार रुपये का वसूली ।" के बदले सिमेन्ट सेट होने के कारण सरकार को हुई वित्तीय क्षति रु 4.44 लाख का पचास प्रतिशत रु० 1.11 लाख रुपये (एक लाख ग्यारह हजार रुपये) की वसूली पढ़ा जाय ।

अन्य शर्तो पूर्ववत रहेगा ।

बी० बी० पाण्डेय

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1744 पटना, दिनांक 5.3.1997 ई०

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव/अवर सचिव, प्रबंधन कोषांग, जल संसधान विभाग, पटना/सभा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री राकेश रंजन सिंह, कनीय अभियंता, द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन केन्द्रीय रूपांकण, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, 9, 10 एवं 22 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बी० बी० पाण्डेय

सरकार के उपसचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सं० 22/नि०सि०रा० 0115-155/94/330 पटना, दिनांक-30.10.2000

आदेश

श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता यांत्रिक, कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी (सम्प्रति निलंबित) को कतिपय अनियमितता के आरोप में विभागीय आदेश सं०-94 दिनांक 15.10.87 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया । श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-2047 दिनांक-19.9.91 द्वारा सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील (नियमावली के नियम-55 के तहत नहीं होने के कारण विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया । संचालन पदाधिकारी की सेवा निवृत्ति तक जांच सम्पन्न नही होने के कारण विभागीय आदेश सं०-257 दिनांक 5.2.98 द्वारा जाँच पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी पुनः नियुक्त किया गया । प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के पदोन्नति हो जाने के कारण पुनः विभागीय आदेश सं०-479 दिनांक-23.3.98 द्वारा दूसरे पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये गये एवं इस पर सम्यक समीक्षा सरकार द्वारा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री सिंह, के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त करने तथा निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के क्रम में गुरु दण्ड संसूचित करने के पूर्व विभागीय पत्रांक-1467 दिनांक 3.7.99 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया । श्री सिंह को द्वितीय

कारण पृच्छा के साथ संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति तथा प्रमाणित आरोप की सूचना भी दी गई ।

श्री सिंह, कनीय अभियंता नि० से अभी तक द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण मामले की पुर्नसमीक्षा सरकार के स्तर पर की गई तथा निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाया गया है ।

1. कोसार नहर प्रमंडल, डूमरी के अधीन पदस्थापन काल वर्ष 87-88 में डोरियो, चैनपुर एवं डूमरी स्थित विभागीय गोदामों के प्रभारी के रूप में उक्त तीनों गोदाम से 5745 बोरा सीमेन्ट गायब करना जिसकी कीमत 3,13,975/-रुपये था ।

2. जुलाई 87 के अन्त तक 45,584=67 रुपये अस्थाई अग्रिम की राशि अप्रैल 87 के बाद ली गई । अग्रिम का लेखा समय पर समर्पित नहीं करना ।

3. अनेक निर्देशों के बावजूद मई 87 से भंडार लेखा, यंत्र संयंत्र लेखा एवं अन्य लेखाओं को सहायक अभियंता, डूमरी को समर्पित नहीं करना ।

4. भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन दिनांक 1.9.87 को समर्पित किये जाने के बाद से ही बिना पूर्वानुमति या सूचना के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय के अनुपस्थित रहना ।

5. 5745 बोरा सीमेंट गबन करने के नियत से सीमेन्ट का मासिक प्रतिवेदन का झूठा आरोप तैयार करना ।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है ।

1. सेवा से वर्खास्त

2. निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

अतएव श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता यांत्रिक नि० को आदेश निर्गत की तिथि से उपर्युक्त निर्धारित दण्ड संसूचित किया जाता है।

इन्दू भूषण कुमार

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1270 पटना, दिनांक-30.10.2000

प्रतिलिपि : श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता यांत्रिक नि० द्वारा कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, डूमरी/सभी अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधान विभाग/अवर सचिव श्री चन्द्रशील गुप्ता, जल संसाधान विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 13 जल संसाधन विभाग, पटना/प्रभारी बायोडाटा कोषांग क० अ० जल संसाधन विभाग, पटना/भारी, कम्प्यूटर कोषांक, जल संसाधान विभाग, पटना/अधिक्षक अभियंता, जल पथ अंचल हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल डूमरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

इन्दू भूषण कुमार

सरकार के अवर सचिव

मूद्रक : प्रभा इंटरप्राईजेज, खजांची रोड, पटना-4